खण्ड-109, अंक-3
बुधवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(10 सितम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 109 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारात, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज़ शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विशम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण, मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणप्र, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पन्त, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

संसद भवन

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जूनियर हाई स्कूलों में प्रान्तीय भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था

*१---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह जूनियर हाई स्कूलों में वैकल्पिक विषयों में गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी फारसी आदि प्रान्तीय भाषाओं को पढ़ाने की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---जूनियर हाई स्कूलों के पाठ्य-क्रम में ऐच्छिक विषयों में फारसी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी, उर्दू और सिन्धी सम्मिलित हैं जिनमें से विद्यार्थी कोई एक ले सकते हैं।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस तरह से अंग्रेजी पढ़ाने के लिये वैकल्पिक विषयों के अध्यापक रखे जाते हैं तो क्या इसी तरह से प्रान्तीय भाषाओं के लिये भी रखने की कोशिश की जायगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)---इस प्रकार का प्रबन्ध है।

राजनीतिक पीड़ितों को भूमि का वितरण

*२---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार राजनीतिक पीड़ितों को अब भी नयी तोड़ी हुई जमीन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां और किस नियम के मातहत ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---जहां तक भूमि देने का संबंध है राजनीतिक पीड़ितों को तराई और काशीपुर के इलाके में भूमि मौजूद होने की सूरत में भूमि दी जाती है और दी जावेगी। अभी किसी और इलाके में ऐसी जमीन नहीं दी जा रही है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलावगे कि इस समय तराई और गाजीपुर के क्षेत्रों में भूमि मौजूद है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हां, थोड़ी सी जमीन मौजूद है।

श्री झारखंडे राय---क्या भूमि कम ज्यादा देने के नियम एक राजनैतिक पीड़ित की सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवस्था के आधार पर बने हैं या उस में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन अगर कहीं किसी हिस्से में ज़मीन उपलब्ध होती है और कोई राजनीतिक पीड़ित प्रार्थना पत्र देता है और यदि यह देखा जाता है कि वहां ज्यादा जमीन दी जा सकती है और साधन हैं तो कोशिश की जाती है कि ज्यादा दे दी जाय लेकिन साधारणतः जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार दी जाती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या इस साल भी लोगों को जमीनें दी गई हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार कृपा कर के बतावेगी कि क्या उस के पास कोई राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थनापत्र आये हैं कि उन को भूमि दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हां, पत्र आये हैं।

श्री राम दास रविदास (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जिन राजनीतिक पीड़ितों के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है और जो अच्छे व्यवसायी हैं उनको भी जमीन दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं।

*३---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार उन राजनीतिक पीड़ितों को भी जमीन देगी जो आज कांग्रेस के विरोधी दलों में हो गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां।

संविधान (द्वितीय संशोधन) बिल, १९५२, पर सदन का मत लेना

*४---**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फरुखाबाद)---क्या सरकार का ध्यान संविधान (द्वितीय संशोधन) बिल, १९५२, की ओर गया है जिस पर लोक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार जनमत प्राप्त किया जा रहा है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां।

*५---**श्री सुल्तान आलम खां**---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बिल की स्वीकृत हो जाने के बाद इस प्रदेश के दो संसदीय और दस विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र कम कर दिये जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---इस विधेयक के जारी हो जाने पर क्या असरात होंगे, इसका अभी पूरी तरह हिसाब नहीं लगाया गया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार ने मिस्टर बिस्वास जो मिनिस्टर इन्चार्ज थे उन की तकरीर पढ़ी है जिस में उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की २ कांस्टीटुयेंसी और असेम्बली की १० कांस्टीटुयेंसी सूबे में कम की जायंगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, मुमकिन है कि उन्होंने ऐसा बयान किया हो लेकिन हमारे यहां इस पर कोई विचार नहीं किया गया है और हिसाब नहीं लगाया गया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या माननीय मंत्री जी ने जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है उस का स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स पढ़ा है जिस में लिखा है कि जितने पर अब रिप्रिजेंटेशन दिया जाता है उस से ज्यादा पर नहीं दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, वह बिल हमारे पास है और उस के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स को पढ़ा है।

*६---**श्री सुल्तान आलम खां**---क्या सरकार उपर्युक्त बिल पर सदन का मत लेने के लिये कोई दिन निश्चित करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार ने इस विषय पर अभी तक विचार नहीं किया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इस बात का भी मौका देगी कि इस मसले पर इस हाउस के सामने विचार किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके मुताल्लिक सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*४–६—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*७—श्री रामदास रविदास—[१९ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा निवासियों की वाटर वर्क्स के लिये मांग

*८—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि गोंडा म्युनिसिपैलिटी में वहां के निवासियों की वाटर वर्क्स के लिये बहुत दिनों से मांग है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी हां।

*९—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या गोंडा म्युनिसिपैलिटी ने सरकार के पास इस संबंध में कोई योजना भेजी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

*१०—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कब तक गोंडा म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार चाहती है कि जहां तक हो सके हर शहर में शीघ्रातिशीघ्र वाटरवर्क्स की स्थापना हो जाय। परन्तु गोंडा म्युनिसिपैलिटी इस संबंध में स्वयं उत्सुक नहीं जान पड़ती।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गोंडा नगरपालिका की आर्थिक अवस्था खराब है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या सरकार गोंडा म्युनिसिपैलिटी को आर्थिक सहायता देने को तैयार है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जितनी आर्थिक सहायता बजट में देने का प्रावीजन किया गया है वह म्युनिसिपैलिटीज को बांटी जायगी उसमें अगर गोंडा का भी अधिकार होगा तो उसे अवश्य दी जायगी।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या गोंडा वाटरवर्क्स के लिये भी उसमें कोई आयोजन है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस समय बजट में जो उधार देने की रकम म्युनिसिपैलिटियों के लिये रखी गयी है उसी में से वाटर वर्क्स को भी सहायता दी जायगी। गोंडा म्युनिसिपैलिटी ने जो पहले कार्यवाही की है वही अभी पूरी नहीं की। इसलिये और रुपया उधार देकर वाटर वर्क्स चलाने का कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता।

*११–१२—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*१३--श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)--[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१५--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर की अवक्रांत (सुपरसीड) नगरपालिका की आर्थिक स्थिति

*१६--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति तथा आय उस समय क्या थी जब जिलाधीश ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसका चार्ज लिया था तथा आज क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जिस समय जिलाधीश ने रामपुर नगरपालिका का कार्यभार संभाला था, उस समय उसकी आर्थिक अवस्था इस प्रकार थी--

नकद रोकड़	१,१५,७८२ रू०
वर्ष की आय	६,५५,२४६ रू०
वर्ष का व्यय	७,३७,८७४ रू०

मार्च ३१, १९५२ को उक्त बोर्ड की आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी--

नकद रोकड़	१,२९,४३७ रू०
वर्ष की आय	११,६६,५४७ रू०
व्यय	१०,५५,५०७ रू०

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार का विचार इस १२ लाख की आय में से कोई होल टाइम ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का है।

श्री मोहन लाल गौतम--अभी तक तो कोई विचार नहीं है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार की ओर से जिलाधीश को नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटरशिप के लिये कोई भत्ता दिया जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम--मुझे इसकी सूचना नहीं है।

*१७--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की सुपरसीडेड नगरपालिका किस श्रेणी की मानी जाती है ?

श्री मोहन लाल गौतम--नगरपालिकाओं का वर्गीकरण संशोधित वेतन क्रमों के लागू करने के निमित्त दिया गया था। रामपुर के विषय में सरकार ने निर्णय किया था कि यहां उक्त वेतन क्रम लागू नहीं किये जायेंगे, अतएव इस बोर्ड के वर्गीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी कि वहां यह वेतनक्रम क्यों लागू नहीं किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम--अभी तक उन स्टेट्स में जो हमारे सूबे में अभी मिली हैं उनकी म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में जांच पड़ताल हो रही है इसलिये यह फैसला अभी नहीं किया जा सका है कि उनके भी एम्प्लाईज वही पे पायेंगे जो इस वक्त यू० पी० में रायज है।

*१८--श्री रामदास रविदास---[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[२४ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

महमूदाबाद, जिला सीतापुर, में म्युनिसिपैलिटी कायम करने के संबंध में प्रार्थनापत्र

*२०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या महमूदाबाद, सीतापुर के निवासियों का प्रार्थना पत्र म्युनिसिपैलिटी कायम किये जाने के संबंध का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज किन किन शर्तों पर बनाये जाते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये आप नियमों को देख सकते हैं।

*२१-२२---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

भिखमंगों व कोढ़ियों को सार्वजनिक स्थानों से अलग रखने का प्रबन्ध

*२३---श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भिखमंगों व कोढ़ियों को सार्वजनिक घाटों, बाजारों, मेलों से हटा कर निश्चित स्थानों पर रखने का कोई प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई कानून बनाने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय सदस्य कृपा करके इस संबंध में दी लीपर ऐक्ट, (१८९८) और दी यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, (१९१६) देखें।

श्री शिवराम राय---क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से जिन ऐक्टों का आपने हवाला दिया है उससे प्रश्न का मतलब पूरा हो जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अवश्य।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोढ़ की रोकथाम के लिये प्रदेश में कितने अस्पताल खुले हुये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये।

श्री रामदास रविदास---क्या माननीय मंत्री जी यह भी बता सकेंगे कि हमारे प्रान्त में कितने भिखारी और कितने कोढ़ी हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये भी नोटिस चाहिये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भिखारीपने की रोकथाम के लिये सरकार कोई बैन लगा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी तक यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*२८-२५—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले की पंचायती अदालतों में हरिजन अधिकारी

*२७—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृप करेगी कि गोंडा जिले में कितनी अदालत पंचायतें हैं? इन पंचायतों में कितने हरिजन अदालत सरपंच व अदालती पंच हैं और उपरोक्त सरपंच-पंचों में से कितने पिछड़ी हुई जाति के हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—गोंडा जिले में कुल २६५ पंचायती अदालतें हैं।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग कुछ संदिग्ध सा है, यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य हरिजन से परिगणित जाति से हैं तो गोंडा जिले की अदालतों में १७६ पंच परिगणित 'शेड्यूल्ड' जाति के हैं तथा ५ सरपंच और ७६ पंच पिछड़ी हुई "बैकवर्ड" जातियों के हैं।

*२८—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में कितने पंचायती मंत्री हैं और उनमें हरिजनों की कितनी संख्या है?

श्री मोहन लाल गौतम—गोंडा जिले में कुल २६५ पंचायत मंत्री हैं। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य परिगणित जाति से है तो उस जिले में १२ पंचायत मंत्री परिगणित जाति के हैं।

*२९-३०—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३१-३३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[१७ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री सुल्तान आलम खां—[२५ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३६—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३९—श्री पुद्दनराम (जिला बस्ती)—[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

जिला जौनपुर की वसालतपुर पंचायती अदालत के निर्वाचित-सरपंच को चार्ज न देना

*४०—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वसालतपुर, थाना बक्शा, जिला जौनपुर के अन्तर्गत जो सरपंची अदालत के लिए वोटिंग हुई थी उसमें जो आदमी विजयी हुआ वह चार्ज लेकर कार्य कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं। वह कार्य नहीं कर रहा है। इसका कारण यह था कि जो आदमी चुना गया उसके विरुद्ध एक मुक़दमे में जाल बनाने की शिकायत थी और उसकी जांच अभी चल रही है।

श्री बाबू नन्दन---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कौन सा आदमी उस जगह पर कार्य कर रहा है और किस आधार पर?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये मुझे नोटिस चाहिए।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव होने के पहले कोई जांच उस सरपंच की करायी गयी थी जो आज कल निकाल दिया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम---इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है---

श्री माता प्रसाद पंच उप-चुनाव द्वारा २२-५-५२ को सरपंच चुने गये। चुनाव के बहुत पूर्व अर्थात् १-१-५२ को उनके विरुद्ध यह रिपोर्ट तत्कालीन सरपंच द्वारा की गयी कि उन्होंने मुकदमा सूरज नारायण सिंह बनाम मु० सिताबी इत्यादि में जाल बनाया है। इनके विरुद्ध मुक़दमा चलाया जाय। इसकी पुष्टि पंचों के बहुमत द्वारा भी की गयी। जांच से पता चला कि श्री माताप्रसाद मु० सिताबी के निकट सम्बन्धी हैं। श्री माताप्रसाद का आचरण इस मामले में अत्यधिक संदिग्ध है और इसकी जांच संबंधित हाकिम परगना द्वारा की जा रही है। ऐसी दशा में उनको कार्यभार देना उचित नहीं था विशेषतया जब कि समस्त प्रमाण जो उनके विरुद्ध जांच में प्रस्तुत किये जायंगे उनको प्राप्त हो जाते और उसमें वे मनमानी काटपीट कर सकते थे। जनता तथा पंचायत का हित देखते हुए जब तक उपरोक्त जांच न समाप्त हो जाय, श्री माताप्रसाद को सरपंच पद का कार्यभार देना उचित नहीं था। इस कारण उनको कार्यभार न देकर एक अस्थायी सरपंच नियुक्त करके उसे कार्यभार दे दिया गया है। हाकिम परगना के जांच करने के पश्चात् उनके निर्णय के अनुसार पुनः कार्यवाही की जायगी।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां जनता में कुछ नाइत्तिफाकी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी?

श्री मोहन लाल गौतम---मेरे दफ्तर में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*४१-४२---**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)---[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---[१७ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अध्यक्षों द्वारा हाट बाजारों का प्रबन्ध

*४५---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार विधेयक के अधीन बाजारों का जो प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्षों द्वारा कराया जा रहा है उनमें बाजारों की तह-बाजारी का कोई समान रेट सरकार बनाने जा रही है?

श्री मोहन लाल गौतम---जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम के फलस्वरूप सरकार ने निहित हाट बाजारों आदि के जिला बोर्डों द्वारा प्रबन्ध की वर्तमान व्यवस्था अस्थायी है। इस व्यवस्था को क्या अंतिम रूप दिया जायगा यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रबन्ध का आधार रूप सिद्धान्त या गाइडिंग प्रिंसिपिल क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी जब सारा प्रश्न विचाराधीन है तो गाइडिंग प्रिंसिपल भी विचाराधीन है। इस समय खर्चा काट कर १५ फीसदी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और ८५ फीसदी अभी गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है ।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इस प्रबन्ध से जो कुछ आय होगी उसमें बोर्डों को क्या मिलेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---मैंने अभी उत्तर दिया कि खर्चा काट कर १५ फीसदी बोर्डों को दिया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उन बाजारों का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बजाय ग्राम पंचायतों द्वारा कराये ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह सारा प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी आमदनी के बाजारों को वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देंगे और कितनों को ग्राम सभाओं को छोड़ने को तैयार हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---सारा प्रश्न विचाराधीन होते हुए अभी इस पर कोई राय नहीं दी जा सकती।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह नियम बाजारों का टाउन एरिया की सीमा के भीतर जो बाजार हैं उन पर भी लागू होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---शायद मेरे मित्र को यह मालूम होगा कि जमींदारी उन्मूलन से टाउन एरिया के हाट बाजारों पर कोई असर नहीं पड़ता है ?

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार, जो धार्मिक मेले हैं उनको भी अपने इन्तजाम में लेने जा रही है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस प्रश्न से सम्बन्धित सप्लीमेंटरीज के लिये मेरे पास कोई कागज नहीं है । सूचना की जरूरत है ।

*४६---श्री रामलखन मिश्र---यदि हां, तो क्या सरकार बाजार में श्रम करने वालों, कृषि के छोटे औजार बेचने वालों तथा सब्जी बेचने वालों को बाजार-कर से मुक्त करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है ।

*४७-४८---श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---

[१७ सितम्बर, १९५२, के लिए स्थगित किये गये ।]

हाथरस क्षेत्र की दादनपुर ढकपुरा अदालती पंचायत द्वारा मुकदमों में विलम्ब तथा जर्मानों की वसूली

*४९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस क्षेत्र के दादनपुर ढकपुरा की अदालत पंचायत में कितने मामले विचाराधीन हैं ? उनमें से कितने मामले ६ सप्ताहों से अधिक दिनों से विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---दादनपुर ढकपुरा पंचायती अदालत में इस समय कुल ६ मामले विचाराधीन हैं। उन मामलों में से ५ मामले ६ सप्ताह से अधिक दिनों से विचाराधीन पड़े हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या यह सच है कि उस पंचायत के सरपंच एक साल से इस पंचायत की हद से बाहर रहते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमे इतने दिनों से क्यों पेंडिंग पड़े हुये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---उन मुकदमों में पूर्ण पंचायत मंडल के उपस्थित न होने के कारण मुकदमे भेजने में विलम्ब हो रहा है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या यह सच है कि उस पंचायत के सरपंच हाथरस शहर में व्यापार करते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---नोटिस चाहिये।

*५०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दादनपुर ढकपुरा अदालती पंचायत में अब तक कितने जुर्माने किये गये और उनमें से कितनों की वसूलयाबी अब तक हो चुकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---दादनपुर ढकपुरा पंचायती अदालत में अब तक केवल ३ मुकद्दमों में जुर्माना किया गया है जिसकी समस्त राशि ८१ रुपये है और उनमें से एक मुकद्दमे में किया गया जुर्माना वसूल हो चुका है जिसकी कि धनराशि १० रुपया है।

अध्यक्ष, बदायूं नगरपालिका, का अपनी कोठी का किराया अदा न करना

*५१---श्री चुन्नी लाल सगर (जिला बदायूं)---क्या यह सच है कि अध्यक्ष नगरपालिका, बदायूं, जिस इमारत (कोठी) में रहते हैं वह निकासी जायदा (इवेकुई प्रापर्टी) है ?

श्री मोहन लोल गौतम---जी हां ।

*५२---श्री चुन्नीलाल सगर---यदि हां, तो उपरोक्त कोठी का क्या मासिक किराया नियत किया गया है और उस कोठी में रहने वाले पर अब तक कितना किराया और शेष है ?

श्री मोहन लाल गौतम---कोठी का किराया ४५ रुपय मासिक नियत किया गया है और कोठी में रहने वाले पर १६७६।।=) किराया शेष है।

श्री चुन्नीलाल सगर---क्या यह सत्य है कि इस कोठी का किराया ७५ रुपय मासिक होना चाहिये परन्तु ४५ रुपया मासिक पर दी गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतना रुपया जब किराये का शेष है तो उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री मोहन लाल गौतम---कार्यवाही अवश्य की गयी। कई बार उनसे तकाजा किया गया और उन्होंने वादा किया कि वह रुपया दे देंगे और अब श्री अली मक़सूद साहब को यह नोटिस दे दिया गया है कि १५ अक्तूबर, सन् १९५२, तक अगर यह किराया वसूल नहीं हुआ तो यह किराया, एरियर्स आफ रेवेन्यू के तौर पर वसूल किया जायगा।

अतारांकित प्रश्न

वनोषधियों का ज्ञान तथा प्रयोग

१---श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने वनोषधियों की जानकारी की कोई योजना तैयार करायी है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---वनोषधियों की जानकारी की एक योजना उपसंचालक (आयुर्वेद) द्वारा तैयार कराई जा रही है। अभी योजना तैयार नहीं है। हां, एक योजना सहकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

२---श्री केवल सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी दवाख़ानों में जंगल की औषधियों काम में लायी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकारी देशी चिकित्सालयों में जंगल की औषधियां आवश्यकतानुसार काम में लाई जाती हैं। इस ओर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

समाचार पत्र में प्रसूचित एक हत्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष---मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का आया है। उनके पास एक अख़बार की रिपोर्ट आयी है जिसकी बुनियाद पर एक हत्या होने का जिक्र है और उसकी बुनियाद पर वे काम रोको प्रस्ताव लाये हैं। चूंकि यह साधारण इन्तजाम से संबंधित है, सार्वजनिक महत्त्व इसका नहीं है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

१९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ जुलाई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ जुलाई, सन् १९५२ ई०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति ३१ जुलाई, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दस दिन की अवधि इस सदन ने दी थी परन्तु छुट्टियां आदि के कारण उसका काम पूरा नहीं हो सका। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की नियत अवधि २० सितम्बर, १९५२, तक बढ़ा दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की नियत अवधि २० सितम्बर, १९५२, तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मालूम हुआ है कि अभी प्रेस से छप कर नहीं आया है। मैं रेसेस के बाद प्रस्तुत कर दूंगा अगर वह छप कर आ गया।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२

अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री यह प्रस्ताव पेश करेंगे कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। विधान की धारा २०७ के अनुसार हर प्रकार के फाइनेंशल बिल के उपस्थित करने के लिये गवर्नर महोदय की सिफारिश होनी चाहिये। एलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमको बांटा गया है, वह चार पांच दिन से मेज़ पर रखा है। इसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश छपी नहीं है। पहले जब इंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स बिल माननीय मुख्य मंत्री ने रखा था, तो उसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश छप गयी थी। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्पष्ट नहीं किया कि गवर्नर महोदय की सिफारिश से वे इसे उपस्थित कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिफारिश होती तो वे कहते कि मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कार्य अनुच्छेद २०७ के अनुसार आवश्यक है।

अध्यक्ष—अनुच्छेद क्या है, पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor,....."

[अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा.....।]

अध्यक्ष---वह तो ठीक है। क्या आप कोई ऐसा नियम बता सकते हैं जिस में मंत्री जी को यह बात कहनी पड़े कि मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह करता हूं या छप जाया करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---विधान के अनुसार अनुमति होनी चाहिये।

अध्यक्ष---विधान के अनुसार गवर्नर महोदय की अनुमति आ चुकी है। अनुमति यह है---

"In pursuance of.....the Governor recommends that the U.P. Electricity Duty Bill be introduced in the U. P. Legislative Assembly."

[.....के अनुसार राज्यपाल सिफ़ारिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाय।]

इस प्रकार अनुमति आ चुकी है। 'अनुमति' कहना चाहिये या नहीं कहना चाहिये उसके लिये कोई नियम नहीं है परन्तु मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि अगर ऐसी इजाजत मिल गयी हो तो वह पहले से बता दिया करें जिसमें सदन का समय एतराज करने में नष्ट न हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की ९६ धारा की तरफ दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस विधेयक से संबंधित जितने पत्र हों वे सदस्यों की मेज पर रखे जायं।

अध्यक्ष---कौन से कागज आप चाहते हैं वे बता दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह बिल जिन परिपत्रों के आधार पर है, कल परसों से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी से परसों से इस बात की कोशिश हो रही है कि वह तमाम ऐसे पेपर्स जिनके आधार पर यह बिल बनाया गया है प्रस्तुत करें। लेकिन उनकी तरफ से वादे पर वादे होते चले आ रहे हैं और यह कहा गया है कि इस बिल से संबंधित पेपर्स आज १ बजे तक देंगे। तो अध्यक्ष महोदय हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम उनको कब देखें और कैसे समझें कि इसमें क्या है। इसलिये हम चाहते हैं कि संबंधित पेपर्स सदस्यों की मेज पर रख दिये जायं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, अभी एक मेम्बर साहब मेरे पास तशरीफ ले गये थे और उन्होंने मुझसे फरमाया था तो मैंने उनको बतला दिया था कि इस बिल के मुताल्लिक जो यहां पर कीमत बिजली की मुख्तलिफ़ जगहों में ली जा रही है उसकी फेहरिस्त तो मैं दिलवाये देता हूं। चुनांचे मैंने दिलवा दी थी। और कोई चीज हमारे पास है नहीं और न किन्हीं कागजात के आधार पर यह बिल बनाया गया है। इसको तो जब हाउस सुनेगा तो मालूम होगा कि उसमें किसी कागज पत्र की जरूरत भी नहीं हो सकती थी सिवाय इस बात के जानने के कि कहां कहां बिजली की कीमत क्या ली जा रही है और उसकी फेहरिस्त मैं दे चुका हूं। इन साहबान को तो नहीं दी है लेकिन जो दूसरे भाई उनसे पीछे तशरीफ रखे हैं उन्हीं को मैंने कागज दे दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मांग तो मैं कर रहा हूं, मुझे तो मिले नहीं हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---आप उनसे ले लें।

अध्यक्ष---यह मैंने माननीय सदस्य से पहले भी कह दिया था कि ऐसे कागजात की जब मांग की जाय तो एक आध रोज़ पहले अगर अध्यक्ष की भी सहायता ले ली जाय तो उचित होगा। नहीं तो नियम ९६ तो बना ही है कि जिस वक्त विचार के लिये पेश हो उसी वक्त मांग की जा सकती है। लेकिन तत्काल कागजात आ नहीं सकते क्योंकि मालूम नहीं कि आप कौन से कागज मांगेंगे। तो ऐसी अवस्था में पहले से अगर मुझे बता दिया जाय तो मैं उसमें माननीय सदस्यों की सहायता कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त तो परिस्थिति के अनुसार मैं यही कहूंगा कि जो कागज़ दे दिये गये हैं उनका उपयोग माननीय सदस्य करें और माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण में उन बातों का जिक्र करें कि जिनके ऊपर विचार हो सके। इसके ऊपर जो भाषण होगा उसके अनुसार माननीय सदस्य उत्तर दे सकते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इस विधेयक में यह लाया जा रहा है कि बिजली की जो कीमत इस वक्त इस प्रदेश में ली जा रही है वह उससे ज्यादा ली जाय। उसके मुताल्लिक तो ज्यादा बात कहने की इसलिये जरूरत नहीं है कि इस बिल की धारा ३ जो है सिर्फ वह ही इस बात को जानने के लिये काफी है कि क्या इज़ाफ़ा उस कीमत में होगा जो आज ली जा रही है। एक तो बिजली ली जाती है घरों में पंखों और रोशनी के लिये। उसकी जो कीमत ली जा रही है उसमें यूनिट के हिसाब से दाम दिये जाते हैं। एक यूनिट पर १ आना बढ़ जायगा। अब जहां कहीं ४ आने कीमत है वहां ५ आने १ यूनिट पर हो जायेंगे। लेकिन यह बढ़ोत्तरी उन तमाम जगहों पर नहीं होगी जहां ९ आने से ज्यादा फी यूनिट कीमत ली जा रही है। ऐसी भी जगहें हैं जहां पर कीमत ९ आने से ज्यादा है तो वहां कीमत नहीं बढ़ेगी और अगर किसी जगह ऐसी कीमत ली जा रही है जिसमें १ आने के बढ़ जाने से ९ आने से ज्यादा हो जायेंगे तो वह ज्यादा भी नहीं होगा, वहां पूरा १ आना नहीं बढ़ेगा। अगर तीन पैसे बढ़ने से ९ आने होते हैं तो तीन पैसा बढ़ाये जायेंगे और दो पैसे बढ़ने से ९ आने होते हैं तो २ पैसे बढ़ाये जायेंगे। यह उन तमाम लोगों के लिये है जो अपने घरों के खर्चे के लिये बिजली ले रहे हैं। इसके अलावा जो बिजली ली जाती है उसके लिये यह रक्खा गया है कि २५ फीसदी का इजाफा हो और उसका अन्दाजा हाउस यों कर सकता है इंडस्ट्री के लिये मसलन ग्रिड एरिया में ६ पैसे लिये जाते हैं तो उस ६ पैसे की पाइयां हुई १८ का चौथाई हिस्सा हुआ ४ या ५ पाइयां, ४ या ५ पाइयां उसके ऊपर और बढ़ जाँयगी। सिर्फ इतनी ही बात उसके अन्दर है और कुछ नहीं है। १ आना फी यूनिट उस सूरत से जो मैंने पहले अर्ज किया और २५ फी सदी दूसरी सूरत में जैसा मैंने अर्ज किया कहीं १२ पाई है, कहीं १८ और कहीं १० पाई जो इंडस्ट्री के लिये ली जाती है, उस पर बढ़ जायगा। छोटी इंडस्ट्रीज जो बिजली लेती हैं उनके ऊपर ६ पैसे और बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं मसलन् २००, ३०० किलोवाट जहां बिजली खर्च होती है उसकी कीमत कम होती है ७, १० या १२ पाई, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें हैं, लेकिन उन पर २, ३ पैसे से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसमें जो दफायें रक्खी गई हैं उनमें यही है कि चारों तरफ क्या-क्या इन्तजाम इसके लिये होंगे, क्या क्या काम करना होगा, इस किस्म की बातें इसमें रक्खी गई हैं। एक फेहरिस्त इस सिलसिले में मेरे पास मौजूद है जिसे पढ़ कर सुनाये देता हूं और जैसा मैंने अर्ज किया एक दोस्त जो जो अपोजीशन के मेम्बर थे उनको वह फेहरिस्त मैंने दे भी दी थी, अगर हाउस सुनना चाहे तो मैं उन कीमतों को सुनाये देता हूं। लम्बी फेहरिस्त है और मेरे खयाल में इतनी जरूरी नहीं है कि उसको सुनाया जाय जब कि यह बात सामने आ गई कि ९ आने से ज्यादा कहीं भी दाम नहीं होंगे।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर लम्बी फेहरिस्त है तो खास खास सुना दें कि ये प्रिवेलिंग रेट्स हैं लेकिन नाम लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जैसा मैंने अर्ज किया ४ आने से ले कर १३ आने इस प्रदेश में बिजली के रेट्स हैं जो घरों के खर्चे के लिये इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्री वगैरह के लिये नहीं। १३ आने सीतापुर में है, ११ आने किसी और जगह है, मगर इजाफा ८ आने तक ही होगा। ४ आने से लेकर ८ आने तक के कंज्यूमर्स के लिये १ आना बढ़ जायगा। तो इसका खुलासा यह निकलता है और जिस किसी को इसकी जरूरत होगी मैं बाद में अर्ज कर दूंगा। अब सवाल यह है कि इसके बढ़ने से जो रुपया मिलेगा उसका अन्दाजा कितना होगा। उसका अन्दाजा मैं हाउस को दिये देता हूं। जो हमारा इस्टिमेट है उसके मुताबिक ८५ लाख रुपया इससे मिलने का खयाल है। एक्चुअल में जाकर कुछ कमी भी हो सकती है शायद ८० लाख रह जाय लेकिन आज अन्दाजा यह है कि इस तजवीज से करीब ८५ लाख रुपया इस ड्यूटी के बढ़ने से मिलेगा जो कि बिजली पर यह स्टेट बढ़ाने जा रही है। क्यों यह आमदनी की जाय इसके लिये मैं लम्बी तकरीर करने वाला नहीं हूं। यह टैक्सेशन का मसला है इसके ऊपर तकरीर हो भी चुकी है और अभी और कुछ बाकी है। जहां तक बिजली की बात का ताल्लुक़ है मैं इतनी बात इस ऐवान के सामने अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमको इर्रीगेशन को बढ़ाना है और अपने यहां इंडस्ट्री को बढ़ाना है और साथ ही अग्रीकल्चुरल परपज़ के लिये पावर को बढ़ाना है गर्ज कि हर काम के लिये बिजली की जरूरत है और बिजली हमारे पास जरूरत से कम है। इसके ऊपर एक दिन यहां पर बहस हो चुकी है। मैं उसको निस्बत आंकड़े वगैरह जो कुछ भी रखता था ऐवान के सामने पेश कर चुका हूं और न वह बात इस वक्त मुताल्लिक है और उसको इस बहस के अन्दर मिलाने की जरूरत भी नहीं है इसलिये मैं उसको नहीं लेता हूं। अगर आज जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली भी हमारे पास होती तो तब भी हमको आगे बढ़ाने की जरूरत होती लेकिन आज तो बिजली बहुत कम हमारे पास है और जो ५ साला प्रोग्राम बनाया गया है उसके अन्दर जो योजना रखी गई है बिलखसूस इर्रीगेशन की योजना के और पावर बढ़ाने की योजना के उसके बिना काम नहीं चल सकता है उस वक्त जब तक कि हमारे पास ज्यादा बिजली की पावर न हो। इस बिजली को ५ साल में तैयार करना है और उसके खर्चे को पूरा करने के लिये ५ साल के बजट में बिजली पावर के लिये, अग्रीकलचर के लिये, इंडस्ट्री के लिये जो अन्दाजा रखा गया है वह ९२ करोड़ का अन्दाजा है इसमें बहुत सारे काम डैवलपमेंट के शामिल हैं। उसमें सिर्फ बिजली के लिये २८ करोड़ रुपया रखा गया है कि इस रुपये से बिजली पावर को इस सूबे में बढ़ाया जाय। अब यह सवाल पैदा होता है कि उस रुपये को कहां से पूरा किया जाय। २८ करोड़ रुपया इस सूबे की जो आमदनी है उससे निकलने वाला नहीं है। बाजारों से करजे की शक्ल में आ जाय यह भी मुमकिन नहीं है और जो हालत इस वक्त की है कि रुपया नहीं मिल रहा है वह सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं वह कहीं से पैदा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट के पास इतनी आमदनी नहीं और गवर्नमेंट आफ इंडिया से मदद की तौर पर इतना रुपया नहीं मिल सकता है। तो फिर इसमें जरूरत इस बात की होती है कि रुपया कहां से हासिल किया जाय। उसके लिये यह तजवीज सोची गई कि जो बिजली बनाते हैं और जो बिजली खर्च करते हैं जो आज इस बिजनेस के अन्दर हैं और जो इस काम को कर रहे हैं उनसे भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिये रुपया लिया जाय। इसलिये कि जो बिजली बढ़ेगी उससे जो देश का फायदा होगा तो उससे वह बिजली बनाने वाले भी फायदा उठाने वाले होंगे। जो यहां पर बिजली बढ़ेगी उससे जो बिजली खर्च करते हैं उनको भी फायदा होगा क्योंकि बिजली के दाम कम हो जायेंगे। आज जो कीमत उनसे ली जाती है उससे कम कीमत उनको देनी पड़ेगी। जितनी आज बिजली है उससे ज्यादा तादाद में हो जायगी। इन दोनों तरह के आदमियों को इसके जरिये से फायदा पहुंचेगा और आराम पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि जहां तक बिजली का ताल्लुक़ है इन दोनों तरह के आदमियों से डेवलपमेंट के काम को पूरा करने के लिये रुपया हासिल किया जाय। वह जरिया सिर्फ यही था कि हम खुद बिजली की कीमत को बढ़ायें। ताकि वह मिल सके। अब यह बिजली की कीमत उन आदमियों के वास्ते जिन से यह ली जायेगी काबिले बरदाश्त

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

है या नहीं, यह एक सवाल पैदा होता है, तो इसके नतीजे में एक छोटी सी बात अपनी ज़ाती मालूमात और अपने ज़ाती तजुरबे की बिना पर अर्ज करता हूं और वह तजुर्बा ऐसा नहीं है कि वह मेरा खुद का ही हो बल्कि मैं वह तजुर्बा और दूसरों को भी करा सकता हूं। मसलन मैं यह अर्ज करता हूं कि हमारे यहां १३ आना फी यूनिट घरेलू कामों के लिये आज गरां से गरां कीमत है। लेकिन आज जो चीज़ हमारे शहरों में है उसे भी आप को बतला देता हूं वह यह है कि जिस के यहां माना १३ आना फी यूनिट है वह हमारे पास आता है और कहता है कि आप हम से १४ आना या १५ आना फी यूनिट ले लीजिये लेकिन हम को बिजली दीजिये। जहां तक बिजली देने का ताल्लुक है जितने आदमी इस ५ साल के अन्दर मेरे पास बिजली मांगने के लिये आते रहे हैं मैंने उन से बातचीत की और उन की बातचीत से यह पता चला कि वह इस से भी ज्यादा देने के लिये तैयार हैं चाहे वह इंडस्ट्री के लिये हो या दूसरी चीजों के लिये हो। मैं इस बात को मान नहीं सकता कि आज बिजली की जो कीमत ली जा रही है वह काबिले बरदाश्त नहीं है। मैं यह कभी नहीं कहता कि इस की कीमत को कम किया जाय और १३ के जगह पर घटा कर १२, ११ या १० आना न किया जाय। यह दूसरी बात है और मैं इसका तरफदार भी हूं। जो इस तरह का कोई प्रपोजल हो उस को सपोर्ट करने के लिये तैयार भी हूं कि बिजली की कीमत जिस तरीके से मुमकिन हो उस को घटाया जाय, यह बिलकुल दूसरी बात है। लेकिन जहां तक इस टैक्सेशन का सवाल है यह दूसरी बात है। बतौर एक पेशबन्दी के कह रहा हूं कि वह लोग कभी इस बात की शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हम से एक आना और ज्यादा मांगा जा रहा है और हम नहीं दे सकते हैं। मैं इसको नहीं मानूंगा कि इस तरह की बात सच्ची है बल्कि इसके खिलाफ मानूंगा। जब यह लागू किया जायगा उसके बाद तब उसका तजुर्बा दुनिया के सामने आ जायेगा कि जो बात मैंने आज कही है वह सही है या गलत है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है वह मैंने अर्ज कर दिया है कि यह क्यों आया है। वह इसलिये आया है कि हम उन्नति करना चाहते हैं और उसके लिये पैसे चाहियें क्योंकि और जरियों का मिलना कठिन है। इस वजह से बिजली की कीमत बढ़ाना तजवीज किया गया। इससे यह होगा कि आइन्दा हम बिजली को भी बढ़ा सकेंगे जिनके पास थोड़ा है उन को और फायदा हो और जिन को नहीं मिली है उनको भी मिल जाय। मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं समझता। इस किस्म की बातें परसों और कल भी हुई हैं और शायद आज भी हों। लेकिन मैं अपनी तरफ से वक्त सर्फ कर के यकीनन इस हाउस का बेश कीमत वक्त फजूल खर्च नहीं करना चाहता। मैं इस की माफी भी चाहता हूं। जहां तक किसी मालूमात को मेम्बरान के सामने रखने की बात है मैं उस की भी जरूरत नहीं समझता कि कोई मालूमात की जरूरत है। कोई ऐसे कागजात नहीं हैं जिन की बिना पर यह बिल बनाया गया है। कोई ऐसा स्टेटमेंट या पुराना बिल मालूमात के लिये नहीं है जिन की बिना पर यह बनाया गया हो। कोई इस तरह की चीज नहीं थी जिसके प्राविजन पर यह बेश करता हो। कोई लैण्ड रिफार्म का मामला नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज है कि हम अभी तक एक चीज पर दो आना लेते थे और अब हम उस पर डेढ़ आना और लेंगे। इसलिये अगर कोई इस के बारे में किसी किस्म के कागजात मांगे तो यह नहीं है। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस वक्त अपनी गुज़ारिश को ख़त्म करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत सुन्दर ढंग से इस बिल को हाउस के सामने रखा है। इस के साथ साथ मुझे यह ताज्जुब भी हुआ कि उन्होंने कहा कि इस बिल को उपस्थित करते हुये हमें कोई टैक्सेशन नहीं लगाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित समझता हूं कि पहले मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ दूं। "एक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य पूर्ति के लिये अगले तीन या चार वर्षों में विकास का जो कम से कम कार्यक्रम इस राज्य को पूरा करना है वह प्लैनिंग कमीशन द्वारा बनाई गई पंच वर्षीय योजना में दे दिया गया है। इस योजना में विद्युत शक्ति की विकास योजनाओं

पर १३ करोड़ ५८ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। हमारे वर्तमान साधनों से इतने बड़े व्यय का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि जनकल्याण के लिये इतना व्यय किया जाय और योजना की प्रगति में कोई बाधा न आने दी जाय। इसलिये नये साधन प्राप्त करने हैं और वह अधिकतर नये करों से ही उपलब्ध किये जा सकते हैं।" तो यह इस के उद्देश्य और कारण हैं जिसे ले कर यह बिल बनाया गया है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि मौजूदा गवर्नमेंट की पालिसी और प्रोग्राम की आलोचना की जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में हमारी मौजूदा सरकार ने अपने आप को एक शीशे के महल में बन्द कर रखा है। यदि वह चाहे तो उस महल को आसानी से तोड़ सकती है परन्तु सरकार को शीशे के महल से निकलने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। सरकार कहती है कि कहीं यह शीशे का महल टूट न जाय। बहाने बनाये जाते हैं कि सरकार को वह दरवाजा रोकता है, वह खिड़की बाहर जाने से रोकती है। हम यह कहते हैं कि टैक्सेशन से काम नहीं है। जो उसूल हमारे प्रदेश की सरकार ने यहां बतलाये हैं वह किस तरह से सफल बनाये जा सकते हैं इसे सोचना है।

देश के विकास की एक प्रणाली वह है जो अमेरिका में लागू है एक और रूस में लागू है। बड़ी बड़ी योजनायें सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलायी जाती हैं हमारे यहां भी एक पंच-वर्षीय योजना है। हमारी सरकार बिजली की योजनाओं के संबंध में कहती है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास रिसोरसेज नहीं हैं। और साथ ही विचित्र बात यह कही जाती है कि जो प्राइवेट लाइसेंस खत्म हो गये हैं उनको अब लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। आगे सब पावर हाउस सरकारी हो जावेंगे। जब सरकार के पास धन नहीं है तो कारपोरेशनों द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये पावर हाउसों को रोकने का क्या अर्थ हो सकता है यह बात बहुत सुन्दर है कि बिजली का उद्योग सरकार द्वारा चलाया जाय परन्तु जब सरकार की कोई नीति ही नहीं है तो यह बात सफल कैसे हो सकती है। धन के अभाव में छोटे छोटे पावर स्टेशनों को चलाने के लिये कारपोरेशन और सहकारी समितियों को लाइसेन्स दे दिया जाय तो हम प्रान्त भर को कम से कम समय में बिजली दे सकते हैं।

आज हमारे प्रदेश में बालिग मताधिकार है। सब का वोट बराबर है तो देश की सम्पत्ति में सबका हक भी बराबर होना चाहिये। अतः हमें ऐसी ही योजनायें बनानी चाहियें जो सार्वजनिक हित में हों और उनको चलाने के लिये टैक्स का भार अमीरों पर पड़ना चाहिये बिजली के स्टेशनों के संचालन को यदि कारपोरेशन या सहकारी समितियों को अधिकार दे दिया जाय। तो इस प्रथा द्वारा आपस में प्रतियोगिता का भी फायदा होगा और राज्य द्वारा चलाये गये कार्य में जो त्रुटियां हो जाती हैं वह भी ठीक हो जायंगी। इस बिजली क व्यापार को लेकर जब आप राष्ट्रीयकरण की अवधि नहीं रखते हैं और आप यह पाबन्दी लगाते हैं कि जो कोआपरेटिव तरीके पर और साथ ही साथ व्यक्तिगत लोग एक हजार किलोवाट या दो हजार किलोवाट का पावर हाउस बनाना चाहते हैं या जो चला रहे हैं उनका लाइसेंस खत्म कर दिया जायगा और उनको आगे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा तो यह बात न्याय संगत नहीं है। हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण की मांग से बचने के लिये किसानों और मजदूरों का नाम लेकर जनता के सामने एक सुन्दर आवरण रख देती है। लेकिन कब तक यह शुरू होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। एक तरफ प्राइवेट लोगों को यह इजाजत नहीं दी जाती है कि स्माल स्केल पर वह लोग ५।६ लाख की पूंजी लगाकर एक हजार या डेढ़ हजार किलोवाट का पावर हाउस चलायें जिससे एक जिले की जरूरियात पूरी हो सकती हैं और जब हमारी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों का समाजीकरण राष्ट्रीकरण होना चाहिये तो उस समय सरकार की तरफ कहा जाता है कि हमारे पास रुपया नहीं है।

हमारे प्रदेश में कितने रिसोरसेज हैं इस पर हमारी तरफ से कई मर्तबा कहा गया है कि एक्सेज प्राफिट टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता तो सरकार चुप रहती है। इसके अलावा भी हम

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

एक सुझाव देना चाहते हैं अगर वाकई सरकार चाहती है और सही मानों म सरकार रुपया चाहती है और जनहित करना चाहती है तो जो कैपीटल लेवी के बारे में कहा गया है तो उससे भी बहुत काफी रुपया प्राप्त किया जा सकता है और मोटे तौर पर हम बतला देना चाहते हैं कि जहां तक ५ लाख रुपये की सम्पत्ति का सवाल है तो उस पर कुछ न लगाया जाय। इसके बाद अगले ५ लाख पर २० प्रतिशत लगाया जाय और इस के बाद अगले १५ लाख पर ५० प्रतिशत और उससे अगले ७५ लाख पर ८० प्रतिशत और एक करोड़ से ऊपर ९० प्रतिशत पूंजीकर लगाया जाय अगर हमारे वित्त मंत्री सही माने में हमारे रिसोर्सेज को यूटीलाइज करना चाहते हैं तो इस आधार पर कैपीटल लेवी लगाये। तो इस तरह से इतना रुपया आ जायगा कि जनता के ऊपर बार बार टैक्सों की मार पर मार नहीं करना पड़ेगी।

दूसरे हमारे सरकार की नीति में यह परिवर्तन होना चाहिये कि जब हम समर्थ नहीं हैं तब तो आपको लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिये। आज रूस दूसरे देशों में कल कारखाने वगैरह खोल रहा है और इसकी शर्त रहती है कि १५ या २० साल बाद यह उसी देश के हो जायेंगे इसी तरह से आप भी कर सकते हैं कि कोई भी पूंजी लगाकर अर्थात् ८।१० लाख रुपया लगाकर कोई पावर हाउस खोल सकता है और उसमें यह शर्त रक्खी जा सकती है कि वह १५ या २० साल बाद सरकार के पास चला जायगा इससे किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि हम प्राइवेट एंटरप्राइज के पक्ष में बोल रहे हैं लेकिन अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाय तो काम भी हो जायगा और सरकार की आर्थिक समस्या भी हल हो सकती है और बिजली की पैदावार भी ज्यादा हो सकती है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषणों में यह नहीं बतलाया कि यह ड्यूटी और प्रान्तों में भी है या नहीं जिससे उनको प्रेरणा मिली हों क्योंकि इस सदन में हमेशा बम्बई और मद्रास की ही बात बतलाई जाती है। मैंने कहा कि यह उद्योग हमारे प्रान्त में अभी बचपन की ही हालत में है। इसके लिये हम प्रमाण देना चाहते हैं मंत्री जी की जानकारी के लिये हम बतलाना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल जो एक छोटा सा प्रांत है और हमारा प्रदेश तो बहुत बड़ा है। वहां का कनैक्टेड लोड ७,०२,३२५ किलोवाट, बम्बई में ७,६३,४६७, मैसूर में १,२७,९३१ किलोवाट, मद्रास में ४,८६,७५४ किलोवाट है और यू० पी० में २,५६,९६७ किलोवाट है, पश्चिमी बंगाल में १०४६.७५८ मिलियन, बम्बई में १६१२.३७८ मिलियन, मद्रास में ६४३.७०८ मिलियन, मैसूर में ४४३.५२२ मिलियन और उत्तर प्रदेश में ५१०.६७१ मिलियन युनिट बिजली पैदा होती है। पश्चिमी बंगाल में कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) की संख्या १,९९,७८७ बम्बई में ३,३२,६७० मद्रासमें ३,०९,९७१ और उत्तरप्रदेश में १,१९,८४७ है जब कि मैसूर में १,०५,००८ हैं। इतनी पिछड़ी हालत में आप का सूबा है। अगर बिजली के जेनरेशन के फिगर्स पर माननीय वित्त मंत्री जी गौर करेंगे तो वह देखेंगे कि हम उस में बहुत पीछे है। जेनरेशन जो वेस्ट बंगाल में होता है वह १०४६.७३८ यूनिट, बम्बई में १६१२.३७८, मैसूर में ४४३.५२२, मद्रास में ६४५.७०८ यूनिट और यू० पी में ५१० .६७१ यूनिट जनरेशन है और ऐनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन वेस्ट बंगाल में ३६.७, बम्बई में ३८.१५, मैसूर में ३४.२७ यूनिट और यू० पी० में केवल ६ यूनिट है। इससे साबित होता है कि हम अभी कितने पीछे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि केवल ८५ लाख की रकम के लिये उन्होंने एक दम २५ फीसदी का इजाफा इस तरह से रेट्स पर किया है जब कि अभी यह इंडस्ट्री इनफैंसी ही में है और उन्होंने उस पर इस इनफैंसी की हालत ही में एटैक किया है। जब कि एवरेज २.४५१ है उसमें जो सीमा बांधी गई है वह ९ आने की बांधी गई है कि उससे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ सन् ४८ के बनाये हुये बोर्ड का भी जिक्र किया गया और हमारी तरफ से कई बार कहा गया कि इतने दिन बीत गये लेकिन बोर्ड नहीं बनाया गया। लुत्फ यह है कि बोर्ड या दूसरे जरिये से जो रेट्स तय होंगे उन पर भी गवर्नमेंट की तरफ से रेट बढ़ाया जायगा। कहा जाता है कि सेन्टर का ऐक्ट जब बन जायगा तब बनावेंगे और उसके द्वारा बिजली की कीमत

पर ड्यूटी लगाई जायगी। यह तो और भी विचित्र बात मालूम होती है। वित्त मंत्री ने स्वयं ही बताया कि हमारे यहां रेट्स ४ आने से १३ आने तक हैं। ४ आने ६ पैसे और १३ आने के रेट्स उन के यहां सूबे में चलते हैं लेकिन जनहित का ख़याल कर के आजतक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जा सका कि जनता के आम लाभ के लिये रेट्स को एक नियमित आधार पर ला दिया जाता। इस इंडस्ट्री पर उसकी इनफ़ेन्सी की हालत में इस तरह का घातक हमला माननीय वित्त मंत्री ने किया है जो कि आज की अवस्था में यहां की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती। मैं फिर वित्त मंत्री जी का ध्यान अपनी उपमा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप शीशे के महल में हैं। आप उसे जहां चाहें पीछे से तोड़ सकते हैं लेकिन आप तोड़ते नहीं तो जनता को कहने का मौका मिल जाता है कि आप ऐसे टैक्स लगाते हैं जिससे जनता का भार बढ़ता है। एक आदमी जो बिजली के पंखे लगाता है या रोशनी करता है वह एक तरफ तो ४ आने की जगह ५ आने देगा और साथ ही वह आटा तो चक्की से पिसाकर खाता ही है और जब रेट बढ़ेगा तो फैक्टरी पर पिसाई भी उसका मालिक बढ़ावेगा इस तरह से दोहरा भार एक दम सब आकर कंज्यूमर पर ही पड़ता है। आज बिजली का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से प्रदेशीय सरकार ने उस को
दिया है और रेट्स का बढ़ाना उस समय बहुत ही विचित्र बात हो जाती है क्योंकि यह तो एक घातक हमला इस की इनफेंसी ही में हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि मैंने एक शीशे के महल का उदाहरण दिया था। अध्यक्ष महोदय, आप तो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं आपको भी मालूम होगा कि महर्षि जनक के यहां एक बार एक ऋषि गये जो विषयों पर काबू पाना चाहते थे। उन्होंने बहुत दुःखी होकर कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि तमाम विषयों पर काबू पा लूं लेकिन छुटकारा नहीं मिल पाता। जनक जी ने हंस दिया और मानो सुना ही नहीं और वे टहलने चले गये। उन्होंने बगीचे में एक पेड़ की डाल को जोरों से पकड़ लिया और कहा कि मैं इस डाल को छोड़ना चाहता हूं लेकिन यह मुझे छोड़ती ही नहीं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पूंजीवाद में स्वयं चिपकी हुई है, एक उल्टे प्रोग्राम में चिपकी हुई है और उसके राष्ट्रीयकरण की ओर आंख भी उठाना नहीं चाहती। ऐक्सेस प्राफिट्स टैक्स और सुपर टैक्स तथा कैपिटल लेवी से सरकार को इतनी आमदनी हो सकती है कि केवल एक कानपुर शहर से आप ६५ के बजाय अपने बजट को ८० करोड़ कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जब कभी पूंजी के राष्ट्रीयकरण की मांग की जाती है विधान की दुहाई दी जाती है बहाना बनाया जाता है कि विधान कैसे बदला जाय। परन्तु जब जमींदारी अबोलीशन के सिलसिले में विधान को तब्दील करने की आवश्यकता हुई तो वह बदल गया, प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के लिये विधान बदलने की आपको आवश्यकता हुई तो आपने उसको बदल दिया और भी कई मामलों में इस बात पर विचार हो रहा है कि विधान में संशोधन कर दिया जाय। अभी आज ही अभ्यस्त अपराधी विधेयक पर प्रवर समिति में जाति जाति में डिसक्रिमिनेशन के सिलसिले में मजाक ही में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वहां भी हमारा ही बहुमत है अगर कोई चीज हमारे कार्य में रोड़ा अटकायेगी तो हम उसको बदल देंगे। आपको जिस प्रदेश की जनता ने यहां चुन कर भेजा है, जिसके वोट से आप यहां आये हैं आप उन्हीं के ऊपर रोज रोज टैक्सेज का बोझा लादते जा रहे हैं। अगर आपके रास्ते में कोई चीज रुकावट डालती है तो विधान को क्यों नहीं बदलवाते। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी ४३१ में ३९१ सदस्यों की मेजोरिटी वाली सरकार भी यह कहे कि हम किसी कार्य को करने से मजबूर हैं। अगर आपको सबक़ सीखना है तो शेरे काश्मीर से सीखिये। उन्हीं विधान की धाराओं के होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। हमारे प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वह कैपीटल ड्यूटी लगाये। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी सरकार कोई ठोस कदम उठाये और इस विधेयक को वापस ले।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं कि कैपिटल लेवी जो आपने तजवीज की उससे कितनी आमदनी हो जायगी ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, आमदनी तो ठीक तरह से इस वक्त नहीं बता सकता। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं ही नहीं बता सके कि एलेक्ट्रिसिटी से कितनी आमदनी हो जायगी। अगर वे इस बात के लिये तैयार हों तो हम कमीशन बिठाने के लिये तैयार हैं उससे यह जांच हो जायगी कि इसमें कितनी आमदनी होगी। जहां तक मेरा अन्दाज़ा है करीब १५-१६ करोड़ के आमदनी सूबे में हो जायगी।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह कैपिटल लेवी मुस्तकिल तौर पर होगी या कि टैम्पोरेरी ?

अध्यक्ष---इसका आप अन्दाज लगा लीजिये, यह उनको मालूम नहीं है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मुझे इसका जवाब देना है यह मैंने दूसरा सवाल पूछा है।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर अगर समय दें तो मैं इसका जवाब दे दूं।

अध्यक्ष---मैंने माननीय मंत्री जी को रोक दिया है।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---जो बिल भवन के सामने है मैं उसके उद्देश्य से तो सहमत हूं लेकिन इसमें जो कड़े रूप में ड्यूटी लगाई गई है उसके विरोध में हूं। मैं सरकार को अपने संशोधन के द्वारा बतलाऊंगा कि इतनी सख्ती से इतना ज्यादा टैक्स लगाना ठीक नहीं है।

मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यही चीज है जब सरकार को डेवलपमेंट और विकास योजनाओं के लिये आवश्यकता होती है और जरूरत पड़ती है तो उद्योग धंधों और बिजली पर ही टैक्स लगा कर वह उन कार्यों को चलाती है लेकिन मैं इसका इस वजह से विरोध करता हूं कि सरकार ने एक दम २५ फीसदी का इजाफ़ा कर दिया है यानी इस बिल के द्वारा सरकार को उद्योग धंधों से ५० लाख रुपये की आमदनी होगी। और ३५ लाख घरेलू बिजली के लिये पड़ता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज कल जब हर चीज महंगी है और जनता को कष्ट है तो सरकार को जानना चाहिये कि यह बिजली भी एक आवश्यकता है और जो मिडिल क्लास और मध्यमवर्ग के लोग हैं जो शहरों में रहते हैं उनके ऊपर ३५ लाख की रकम ज्यादा पड़ना, बहुत कठिन होगा और मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिये, और उनकी दरों को कम करना चाहिये। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जब हमारे संशोधन आयेंगे उसमें साफ साफ इस बात को कहा गया होगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि उद्योग धंधों को बढ़ाया जाय और दूसरी तरफ इस तरह से टैक्सेज लगाती है तो लोगों की हिम्मत कैसे पड़ेगी कि वह अपने उद्योग धंधों को बढ़ावें। इसके अतिरिक्त जिन जगहों में आपकी बिजली से कोई सम्बन्ध नहीं है और अपनी निजी बिजली से उद्योग धंधे चलाते हैं उनके ऊपर भी आपने लिमिट कर दी है कि ढाई किलोवाट से ऊपर हो तो उन पर भी टैक्स बढ़ाया जाय। इसके अतिरिक्त जो घरेलू बिजली लगी : उसका खर्चा कानपुर को छोड़ कर बाकी सब शहरों में जितना टैक्स बिजली का लगता है वही काफी से अधिक है। आपने यह तो तय किया है कि १ आने

यूनिट बढ़ाई जाय यह बहुत ज्यादा होगा और जनता को इससे बहुत कष्ट होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि टैक्स लगना चाहिये लेकिन इतना अधिक न लगना चाहिये कि जनता को कष्ट हो और उसको देने में तकलीफ मालूम हो।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मानी हुई बात है कि आजकल जिस देश और प्रदेश में जितनी बिजली की शक्ति होती है उससे ही उसकी समृद्धि कूती जाती है और अन्दाजा लगाया जाता है। अभी रामनारायण जी ने हमारे सामने आंकड़े रखे और सही आंकड़े रख कर सिद्ध किया कि हमारे प्रदेश के अन्दर बिजली बहुत कम है और चूंकि वह बहुत कम है इसलिये उसको बढ़ाना लाजिमी बात है। लेकिन गवर्नमेंट के पास रुपये के पैदा करने का कोई जरिया नहीं होता। उसके पास दो तीन जरिये होते हैं या तो सीधे टैक्स का जरिया, या अपने खर्च में एकानामी करके और उत्पादन के साधनों में इस तरह का प्रयत्न करे कि दलाली में कमी करके ऐसा इन्तजाम करना जिससे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम न हो और उससे जो आमदनी बढ़ सके वह गवर्नमेंट में पहुंचना यही तीन तरीके हैं। तीसरा जो तरीका है वह सरकार नहीं कर रही है बल्कि उसके खिलाफ कर रही है। अभी हाइडेल में ही हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि ३ पाई फी यूनिट में देंगे हमने प्रयत्न किया लेकिन काफी सस्ती बनी लेकिन प्राइवेट लोगों के हाथ में या म्यूनिसिपैलिटीज के हाथ में वितरण दिया गया और उसके कारण उपभोक्ताओं के पास वह तिगुने और चौगुने दाम में जाकर पड़ती है। मुझे अपने एक छोटे से नगर मुजफ्फरनगर का अनुभव है। मुझे मालूम है कि किस दर से उनको बिजली हाइडेल ग्रिड से मिलती है और उनको तिगुने दाम में बेची जाती है। आज वहां की म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बिजली की आमदनी रह गयी है।

इसलिये वह बिजली जो कि हमने अपना कैपिटल लगा कर सरकार का रुपया लगा कर सस्ते दामों में पैदा की थी उन्हें हमने प्राइवेट हाथों में देकर उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ा और आज २५ प्रतिशत लेवी लगाने की आवश्यकता हुई जिससे हमारा डेवलेपमेंट का प्रोग्राम चल सके। मैं आशा करता था कि पेश्तर इसके कि आप कोई नया टैक्स लगाते आप उन पूंजीपतियों जिनके हाथों में हमने वितरण दे रखा है उनके प्राफिट्स को देखते कि वह कितना मुनाफा कमा रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप ड्यूटी लगाते तो एक बहुत बड़ी रकम आपके पास पहुंच जाती और शायद टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर आप अब भी ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा हो ताकि सीधे उपभोक्ताओं पर टैक्सेशन का बोझ जितना भी कम हो सके वह अच्छा है। दूसरी बात मुझे आपसे अर्ज यह करनी है कि आज बाजार के अन्दर चीजों की कीमत कम हो रही है और बाजार में एक स्लम्प है। आज रुपया बाजार में शाई हो गया है। एक तरीके से स्लम्प का पीरियड आरम्भ हो गया है। विशेषतया जो ऐग्रीकल्चर की चीजें हैं जो काश्तकारों की चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत गिरी हैं। गन्ने का दाम जो पहले एक रुपया बारह आने था वह शायद एक रुपया छः आने रखा जाय। लेकिन मैंने निजी तौर पर देखा है कि गन्ने की कीमत दो वर्ष पहले जब एक रुपया १२ आने या दो रुपये थी तो वही गन्ना कहीं कहीं पर निजी हाथों में आठ आठ आने नौ नौ आने तक बिका है। इस तरह से बहुत तरह से खेती की चीजों की कीमतें घट रही हैं। तो ऐसी हालत में आपका ऐग्रीकल्चर पर भी बोझ डालना और जो बिजली ऐग्रीकल्चर के काम में आती है उसके ऊपर इस टैक्स का बोझ डालना यह मैं उचित नहीं समझता। एक तरफ उत्पादक जो है उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जो चीजें वह पैदा करता है उसकी दर बाजार में नीचे गिर रही है। आपकी योजना थी कि आठ साल में १६ लाख टन चीनी पैदा करेंगे। वह तो

[श्री केशव गुप्त]

आपने पहले साल में ही करीब करीब पूरी कर ली। लेकिन उसकी खपत आपके देश में नहीं हो रही है। १६ लाख टन चीनी होती ही कितनी है। ३६ करोड़ मनुष्यों में बांटें तो ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार छटांक पर कैपिटा पर मंथ पड़ेगी। आपके देश की तो यह हालत है इतनी चीनी खा नहीं सकता जो कि केवल दो छटांक पड़ती है और आज आवश्यकता इस बात की है कि वह दूसरे देशों में जाय। दूसरे देश वाले हमारी चीजों को खरीदने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि हमारे देश के मुकाबले में उन्हें दूसरे देशों से सस्ती चीजें मिल सकती हैं। इसलिये मुझे आपसे कहना है कि जब कि आज चीजों की कीमतें गिर रही हैं और प्रोड्यूसर का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अगर आप टैक्स बढ़ा ही रहे हैं तो कम से कम ऐग्रीकल्चर पर बोझ न पड़े और ऐग्रीकल्चर के कामों में जो बिजली इस्तेमाल हो उसको आप इस टैक्स से मुक्त कर दें। जैसा कि सेंटर के कामों में जो बिजली का चर्चा होगा उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा उसी तरह से आप भी रखें तो उचित होगा।

तीसरी बात यह कहनी है कि आपने यह नहीं बतलाया है कि इस ऐक्ट की क्या अवधि होगी। यह ऐक्ट दो साल के लिए होगा, तीन साल के लिये होगा या चार साल के लिए होगा आपने इसकी कोई अवधि इस प्रकार नहीं रखी है। ऐसा मालूम होता है कि एक परमानेंट फीचर हो जायगा, परमानेंट ऐक्ट बन जायगा। और डेवलपमेंट का प्रोग्राम आपने तीन चार साल का रखा। इसलिये अगर आप अवधि दे देते कि यह मजबूरी का समय है, रुपये की जरूरत है, डेवलपमेंट करना है, इस मजबूरी को जनता को बरदाश्त करना चाहिये। लेकिन आपको एक अवधि दे देनी थी ताकि दो तीन साल के अन्दर एक मजबूरी की हालत में आपने जनता से लिया, दो तीन साल के अन्दर हमारे कितने साधन बढ़े, कितनी बिजली बढ़ी और उसके बाद इस भवन को यह मौका मिलता कि वह देखता कि आइन्दा इसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है या इसको समाप्त कर दे।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक में जो आपने सामने रखा है उसको अवधि भी मुकर्रर कर दें कि इसकी ३ साल अवधि होगी या २ साल होगी तो बहुत अच्छा है। इसलिये मैं आपसे यही दो तीन बातें कहना चाहता था। आप टैक्स लगाते वक्त यह भी देख लें कि जिन लोगों के हाथ आप बिजली बिकवा रहे हैं उनको कितना मुनाफा हो रहा है और वे अनुचित उपयोग तो नहीं कर रहे हैं वितरण की शक्ति का। अगर मांग ज्यादा है और मनमाने भाव से चीजों को बेच रहे हैं उनसे अगर मुनाफा ले सकें और उससे आपका काम चल जाय तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टैक्सेशन की जरूरत न पड़े।

इन शब्दों के साथ जो हाउस के सामने विधेयक पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब के जरिये से यह मालूम करना चाहता हूं कि मेम्बर साहब जो बोल रहे थे क्या वह ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक कोई संशोधन देने को हैं?

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---पहले से दिया हुआ है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दिया हुआ नहीं है। जैसा वह फरमा रहे थे वैसा नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह--अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिजली का मसला इस सदन के सामने पेश होता है उसी समय इस पर काफी बहस मुबाहसा होता है। और इसके कारण स्पष्ट हैं। बिजली हमारे प्रदेश के लिये एक अत्यन्त ही आवश्यक चीज है। अगर हमारे देश के अन्दर और हमारे इस प्रदेश में बिजली की मात्रा काफ़ी बढ़ाई जाय तो हमारे प्रदेश की बड़ी भारी उन्नति होगी। इस समय जो हमारे प्रदेश में खेती का बोझा इतना भूमि पर पड़ा हुआ है अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जाय तो वह काफी हल्का हो जायगा। इससे हमारे यहां उद्योग धंधों की काफी बढ़ोत्री हो सकती है और वह छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हम बढ़ाना चाहते हैं वह हमारे देहातों में और शहरों में काफी मात्रा में बढ़ सकेंगे। किन्तु अभाग्य की बात है कि जितनी बिजली की मात्रा बढ़नी चाहिये, और जिस तेजी से बढ़नी चाहिये वह उस तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है। अभी जो बहस हमारे सामने आई उसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पर मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को पहले ध्यान देना चाहिये। बिजली गवर्नमेंट पैदा करती है और उसको इस्तेमाल उपभोक्ता करते हैं। किन्तु इसका वितरण सरकार म्यूनिसिपैलिटीज या और बड़े बड़े व्यापारियों के दे देती है। मुझे मोदीनगर की बात अच्छी प्रकार से मालूम है। वहां पर एक बहुत बड़ी कम्पनी को इसका ठेका दे दिया गया है और वह कम्पनी उसको इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि अपना सबका सब खर्चा भी निकाल लेती है, अपने काम में भी उसको पूरे तरीके से ले आती है और फिर भी मुनाफा बचता रहता है और गवर्नमेंट को बहुत थोड़ी सी रकम मिलती है। अगर वितरण का यही तरीका है तो चाहे आप किसी तरीक़े से यहां टैक्सेज लगायें और जिन जरियों से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं उनको न देखें तो मेरी समझ में यह बड़ी भूल है। मैं अपने बिजली के मंत्री जी से यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें कि बिजली में जो वितरण का तरीका हमारे यहां है उसमें बहुत जरूरी संशोधन होने चाहियें।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट जो बिजली पैदा करे वह सस्ते दामों में अपने कारपोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज को या कम्पनीज को दे दे और वे कंज्यूमर्स से इतनी अधिक मात्रा में पैसा कमायें और इतने पर भी आप उन्हीं कन्ज्यूमर्स के ऊपर सवाई ड्यूटी और बढ़ा दें। अभी भाई केशव जी ने हमारे सामने एक बात रखी है और मैंने भी एक संशोधन दिया है कि जो खेती की पैदावार की चीजें हैं उनके उत्पादन में जो बिजली लगती है उसके ऊपर कोई इस प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये। उसका कारण बड़ा सीधा है। जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता साहब ने बतलाया कि खेती का उत्पादन व्यय बढ़ता चला जा रहा है और खेती से होने वाली चीजों का भाव गिरता चला जा रहा है। वे इलाके जो कि बहुत अच्छे इलाके कहे जाते थे, मुजफ्फरनगर और मेरठ वहां के किसानों की परचेजिंग कैपेसिटी (क्रय शक्ति) आज बहुत कम होती जा रही है। यह हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी दशा में भी हम उनके खर्चे में बढ़ोतरी कर रहे हैं और बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। मैं अपने उन इलाकों की बिजली की बातों को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। वहां पर जो बिजली के नलकूप लगे थे, उनको १५ या १६ वर्ष हो गये हैं। इंजिनों की खराबी से या जो उनके पम्प वग़ैरह थे उनकी खराबी की वजह से जितना पानी वे पहले दिया करते थे, आज उससे बहुत कम पानी देते हैं। वहां जितना खर्चा बिजली के ऊपर एक बीघा की भराई का पहले आता था अब उससे करीब करीब दुगना आता है। अब आप खर्चा और बढ़ा रहे हैं। माना कि वह इस समय छः पैसा है मगर उस छः पैसे में एक या डेढ़ पैसा और बढ़ जाता है। अब आप अन्दाजा लगा करके देखिये कि जो हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) पहले एक रुपया था वह अब सवा रुपया हो जाता है। इसलिये जितनी चीजें किसानों के यहां पैदा होंगी उन सब की सवाई कीमत

[श्री बलवन्त सिंह]

हो जानी चाहिये मगर बाजार को जिस वक्त हम देखते हैं तो खेती से पैदा होने वाली चीजों के दाम कहीं कहीं आधे तक गिरते जा रहे हैं। आपने अभी चीनी के मसले को देखा। चीनी के ऊपर जितना खर्चा हमारे एक किसान का होता था वह बहुत बढ़ता जाता है, मजदूरी के दाम बढ़ते जाते हैं, पानी के दाम बढ़ते जाते हैं। यह भी चर्चा हमने सुनी है कि नहरों की भरई का दाम बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग जो लेवी का मसला है वह हमारे सामने आने वाला है। अब आप देखियेगा कि हमारा कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) बढ़ जाता है। किन्तु ऐसी चीजों जो खेती से पैदा होने वाली हैं वे ऐसी हैं जो हर इंसान को सस्ती से सस्ती मिलनी चाहियें। अगर कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है तो आपका किसान उन चीजों को आपके कंज्यूमर्स के लिये सस्ती कैसे दे सकता है। मैं अपनी सरकार से और मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर जरूर विचार करें कि जो बिजली खेती में इस्तेमाल होती है उसको आप इस कर से जरूर माफ रखें। और इस बात की कोशिश करें कि जहां तक हो सके किसानों को सस्ती और पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले जिससे हमारे यहां की पैदावार अधिक से अधिक बढ़ जाय और सस्ती हो जावे।

मुझे आपके सामने एक सुझाव देना है। जैसा कि अभी हमारे विरोधी दल के भाइयों ने बतलाया कि जो हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी से हम बिजली पैदा कराते हैं वह वाक़ई अच्छी पड़ती है। मगर हाईड्रो एलेक्ट्रिसिटी का जहां तक ताल्लुक़ है वहां अभी सब जगह और पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दे सकती है। दूसरा तरीका आयल इंजिन से बिजली पैदा करने का हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी नीति होगी कि गवर्नमेंट एक लम्बी स्कीम बना कर इस बात का प्रयत्न करे कि बिजली के कार्पोरेशन बना दिये जायं, जिनको हर प्रकार की सुविधा दी जाय, और जिन इलाकों में गवर्नमेंट हाइड्रो एलेक्ट्रिक से बिजली न दे सके, वहां पर कार्पोरेशन्स आयल इंजिन्स के जरिये बिजली पैदा कर सकें। मैं जानता हूं कि बहुत से हमारे पूर्व के ऐसे इलाक़े हैं जहां नलकूप बन रहे हैं। अगर उनको हम इंजनों से चलाते हैं तो हमारी समझ में वे अच्छी तरह कामयाब नहीं होंगे। जिन लोगों का तजुर्बा इंजनों के जरिये से पानी निकालने का है उनकी राय में यह नाकामयाब हैं। इसलिये गवर्नमेंट की अब जो लम्बी स्कीम चल रही है कि वह इंजनों के जरिये वे ट्यूबवेल चलायें तो मैं समझता हूं कि उसमें एक दो वर्ष के लिये जब तक इंजन ठीक रहें भले ही कामयाबी मिल जाय लेकिन बाद में हम यह देखेंगे कि वह स्कीम नाकामयाबी की तरफ जावेगी। अगर दूसरी तरफ हमारे पास इस प्रकार की शक्ति देहातों में हो कि जो हमारे नलकूपों को चला सके तो वह शक्ति हमारे लिये ज्यादा अच्छी होगी और हमारा खर्चा भी उसमें कम होगा। तो मैं अपनी गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर जरूर दिलाऊंगा कि वह जिन इलाकों में हाईडेल से बिजली नहीं पैदा कर सकती है वहां ऐसे कार्पोरेशन्स बनवाये। हम समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास तो शायद इतना रुपया न हो मगर दूसरी कम्पनीज को इस प्रकार का प्रलोभन और प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि जिससे काफी मात्रा में कार्पोरेशन्स बनाये जो बिजली पैदा करें।

एक बात मैं गवर्नमेंट के सामने और रखना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे मंत्री महोदय उधर बैठे हुये अब कुछ थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं मगर मैं उनको यह बतला देना जरूरी समझता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे दोस्त को बिल्कुल ग़लतफ़हमी है। मैं उन पर नाराज नहीं हो रहा हूं। बदकिस्मती से मैंने उधर देख लिया था, अब नहीं देखूंगा।

श्री बलवन्त सिंह---खैर, मेरा ऐसा खयाल था । मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय का हृदय तो बड़ा कोमल है जो सबसे ही प्रेम रखता है। मैं एक थोड़ा सा सुझाव उनको दे रहा हूं। अभी जो पिछली मर्तबा एक रिपोर्ट के जरिये से यह बतलाया गया था कि बहुत से इलाक़ों में और बहुत से शहरों में या बहुत से देहातों में बिजली की शरह पहले से इतनी ज्यादा है कि सवा रुपया फी यूनिट तक पहुंची हुई है। तो मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि जरा इस बात को सोचे कि क्यों इतनी कीमत बढ़ी हुई है ? क्योंकि सवा रुपया फी यूनिट अगर कहीं पर बिजली की कीमत है तो कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है सिवाय थोड़े से रईस लोगों के । इसलिये गवर्नमेंट इस ओर जरूर ध्यान दे और एक्सपर्ट कमेटी बिठाये ताकि कीमतें कम कर दी जाँय जिससे आम आदमी उससे लाभ उठा सकें।

ये दो चार सुझाव मैंने गवर्नमेंट के सामने रखे । आशा है कि वह उन पर विचार करेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जो मौजूदा बिल माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस बिल के उद्देश्य और कारण का संबंध है माननीय मंत्री जी बतलाते हैं कि "एक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य पूर्ति के लिये अगले तीन या चार वर्षों में विकास का जो कम से कम कार्यक्रम इस राज्य को पूरा करना है वह प्लानिंग कमीशन द्वारा बनायी गयी पंच वर्षीय योजना में दे दिया गया है। इस योजना में विद्युत् शक्ति की विकास योजनाओं पर १३ करोड़ ५८ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। हमारे वर्तमान साधनों से इतने बड़े व्यय का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है । किन्तु यह भी आवश्यक है कि जन-कल्याण के लिये इतना व्यय किया जाय और योजना की प्रगति में कोई बाधा न आने दी जाय । इस-लिये नये साधन प्राप्त करने हैं और वह अधिकतर नये करों से ही उपलब्ध किये जा सकते है।"

जहां तक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति का प्रश्न है उसके लिये विकास के कार्यों को बढ़ाने के लिये पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इससे तो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है । उस पैसे को प्राप्त करने के लिये टैक्सेज़ भी लगाने पड़ेंगे । यों तो विकास का कार्य जन शक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन फिर भी टैक्सेज़ भी हमें लगाने पड़ेंगे। इसमें भी हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब यह टैक्स ग़रीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर लगाया जाता है तो वहां पर हम लोगों को ऐतराज़ होता है। अगर सरकार बड़े आदमियों पर टैक्स लगाती है जो कि टैक्स दे सकते हैं तो कोई भी ऐतराज़ की बात नहीं हो सकती है और हर एक पार्टी और व्यक्ति इन तमाम बातों को मंजूर करेगा। लेकिन जहां तक ग़रीब आदमियों पर जिनकी शक्ति नहीं है, जिनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है उन पर यह टैक्स का बार डाला जाता है तो हमें मजबूर हो कर विरोध करना पड़ता है । जी हां तक कांग्रेसी सरकार की बात है सन् १९४६ में जब कांग्रेस सरकार आयी थी उस वक्त हमारे सूबे में टैक्सेज़ से ३० करोड़ रुपये की आय थी। इसके बाद धीरे धीरे हमारी सरकार यह कहती गई कि हमें विकास का कार्य करना है, प्रान्त का डेवलपमेंट करना है और उस नाम से टैक्स लगाये जाते रहे। यहां तक आज हमारे प्रांत की आय ६५ करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह से बार बार टैक्सेज़ में इजाफा किया गया है । एक कल्याणकारी राष्ट्र के लिये जितनी सहूलियतें देनी चाहियें, जितनी प्रगति करनी चाहिये उतना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया है। हमारे सामने दुनिया के दूसरे कल्याणकारी राष्ट्र हैं, उनका नक्शा हमारे सामने है । अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि हमारी सरकार ने अधिक रुपया जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया है । बहुत से डिपार्टमेंट्स बढ़ गये हैं और उन पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है । जहां तक विकास का ताल्लुक़ है रुपया बरबाद किया जाता है और खर्च कम किया जाता है और जो रुपया खर्च किया जाता है वह बरबाद किया जाता है।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

जब विद्युत को प्राप्त करने के लिये रिहन्द डैम बनाया गया तो उसमें कैसे रुपया बरबाद किया गया है। इसकी कहानी आज हर एक आदमी जानता है। कहने का मतलब यह है कि जनता से विकास के नाम पर टैक्स मांगा जाता है और दूसरी तरफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया जाता है और इस तरह से जनता के रुपये का अपव्यय किया जाता है और जनता को धोखा दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीज नहीं होनी चाहिये। जहां तक कल्याणकारी कार्यों के लिये सवाल है तो यह गौरवशील बात है और इसके लिये सारी जनता की सेम्पैथीज़ गेन की जा सकती हैं। लेकिन जहां तक वास्तव में विकास के कार्यों का संबंध है मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कितने ऐसे विकास के कार्य किये हैं और कहां तक सरकार उनमें कामयाब हुई है।

कल्याणकारी राष्ट्र का फर्ज यह है कि बुढ़ापे में लोगों को पेंशन दी जाय, कल्याणकारी राष्ट्र का फर्ज यह भी है कि स्कूलों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाय और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूध वगैरह भी मिलना चाहिये और यह कल्याणकारी राष्ट्र का फर्ज है कि देश की जनता की हेल्थ को बढ़ाया जाय। जो बड़े आदमी हैं उन पर टैक्स लगाये जांय और ग़रीब जनता के रहन सहन का दर्जा ऊंचा बढ़ाया जाय और जनता को आगे बढ़ाया जाय लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर कितना क़दम बढ़ाया है, हमारी सरकार ने उस ओर कितनी प्रगति की है ?

बेरोजगारी को रोकने के लिये सरकार ने कितनी कोशिश की है ? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के कोने कोने में बेकारी फैली हुई है। अभी अभी नायब तहसीलदार की ३०० जगहों के लिये १४,००० दरख़्वास्तें आ चुकी हैं। देश में हद दर्जे की बेकारी बढ़ी हुई है। सरकार विकास की बात कहती है लेकिन ग़रीबों की बात नहीं सोचती है। टैक्स के बढ़ाने के लिये कहते हैं कि हमें विकास का कार्य करना है। इसलिये टैक्स बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनता के पैसे का इस तरह से अपव्यय किया जा रहा है जहां तक बिजली का ताल्लुक़ है और यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है उस का ज्यादातर बार मध्यम् वर्ग, किसानों और ग़रीबों पर पड़ता है और जहां तक बिजली का प्रश्न है तो यह शहरों में ही या बड़े बड़े क़स्बों में ही है इनकी आबादी को देखें और सारे सूबे की आबादी को देखें और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि करीबन ८० लाख रुपये की आमदनी होगी और पूरे सूबे की आबादी को देखते हुये यह रक़म बहुत ही थोड़ी है। लेकिन इसका वजन तो शहरों में रहने वालों और बड़े बड़े क़स्बों के निवासियों पर ही पड़ता है और जहां तक बहुत ज्यादा ग़रीब आदमियों का सवाल है तो वह बिजली नहीं लिये हुये हैं। मैं अपने जिले इटावे की बात कहता हूं कि हमारे यहां साढ़े छः आने यूनिट है जहां तक मजदूरों का सवाल है तो वह नहीं लिये हुये हैं यानी आम जनता इससे फायदा नहीं उठा रही है। मध्यम वर्ग के लोग लिये हुये हैं। कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है यह करीबन ५०।५६ लाख की शहरों की आबादी पर लगाया जा रहा है। इसमें भी पूरी आबादी बिजली नहीं लिये हुये है। हमारा यकीन है कि ३०।३५ लाख की आबादी पर इस टैक्स का बार पड़ रहा है और उसमें भी अधिकतर लोग मध्यम वर्ग और निम्न मध्यमवर्ग के हैं। जितना भी रुपया टैक्स के द्वारा लिया जा रहा है उसका पूरा का पूरा भार ग़रीब जनता पर पड़ रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका जितना भी विरोध किया जा सकता है उतना विरोध होना चाहिये। केवल अपोजीशन की तरफ से ही विरोध नहीं हो रहा है, खुशामद के साथ माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करते हुये ट्रेजरी बेंच के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इसको वापस ले लें और इसको अमेंड करके इस तरह का प्राविजन करें कि इसका भार बड़े आदमियों पर पड़े, न कि ग़रीब आदमियों पर। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल वह लाये हुये हैं विद्युत के टैक्स का उसका अधिकतर बोझ ग़रीब जनता पर पड़ रहा है। अगर आप उद्योग धंधों को लेते हैं, इस टैक्स का उद्योग धंधों पर बुरा

असर पड़ेगा। बल्कि जितने छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं, हर शहर में बिजली की अलेहदा अलेहदा क़ीमत है कहीं २ आने, कहीं चार आने और कहीं ८ आने फी यूनिट, जिन शहरों में बिजली की रेट पहले ही ज्यादा बढ़े हुये हैं वहां पर चलने वाले जो उद्योग धंधे हैं उनके बनाये हुये माल के क़ीमत वैसे ही बढ़ी हुई है, अगर अब यह टैक्स बढ़ा दिया जायगा तो क़ीमतें और बढ़ जायंगी। इन छोटे छोटे उद्योग धन्धों की बनायी हुई चीजें वैसे ही बड़े बड़े कारखानों और मिलों के मुक़ाबले में नहीं ठहर पाती हैं। जिसकी वजह से गृह कुटीर उद्योग डेवलप नहीं हो पा रहा है। टैक्स के बढ़ाने से गृह कुटीर उद्योगों पर बहुत बड़ा बोझा पड़ जायगा, जिसका नतीजा यह होगा कि वे तबाह हो जायंगे, बरबाद हो जायंगे। टैक्स बढ़ाकर बिजली के उत्पादन के लिये जो कार्य होंगे उनसे तो फायदा होगा वह फायदा कल मिलने वाला नहीं है, जो प्लान बना रहे हैं उसके मुताबिक ४,५ साल बाद फायदा मिलेगा, इन चार पांच साल में तो कुटीर तबाह हो जायंगे। वैसे ही सरकार की नीति की वजह से वे तबाह हो रहे हैं, टैक्स का बोझा पड़ेगा तो और तबाह हो जायंगे। क़ीमत बढ़ने से जो आम जनता है, जो ग़रीब जनता है उस पर भी इसका असर पड़ेगा।

सिंचाई का जहां तक ताल्लुक़ है, मेरे पूर्व वक्ता ने काफी इस संबंध में बातें कहीं उन्होंने बतलाया कि जो सिंचाई ट्यूबवेल वग़ैरह से हो रही है, उस सिंचाई की दर बढ़ जायगी जिसको किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिये टैक्स बढ़ाना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके साथ ही साथ जो लोग पंखों के लिये, रोशनी के लिये बिजली इस्तेमाल करते हैं वे मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। उन पर भी टैक्स पड़ेगा जिसका बुरा असर उन पर होगा। सरकार अगर टैक्स लगाना ही चाहती है तो मैं तो सरकार के सामने यह सुझाव रखूंगा कि जो लोग हीटर्स और कूलर्स इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स लगाना चाहिये था। बिजली पर टैक्स लगाना था तो बड़े बड़े कारखानों पर लगाना चाहिये था, उनके प्राफिट पर टैक्स लगाना चाहिये था, लेकिन यह न करके यूनिट पर टैक्स लगाया गया। सरकार को यह चाहिये था कि अपने सूबे में जितने शहर हैं उनमें बिजली का जो रेट है उनको फिक्स करके एक लेविल पर लाती तब टैक्स बढ़ाती जिससे किसी पर ज्यादा वजन न पड़ता। इसके साथ ही साथ मैं सरकार के सामने यह भी सुझाव रखूंगा कि वह जो लाखों करोड़ों रुपया बरबाद कर रही है बड़ी बड़ी योजनाओं पर, जिनका फल अभी मिलने वाला नहीं है, ४,५ साल बाद उसका फल मिलेगा जैसे रेहन्द डैम की बात कही जाती है। ४,५ साल पहले उसके बारे में कहा गया था और अब ४,५ साल बाद बन कर वह तैयार होगा, अगर सरकार ऐसी चीजों की ओर प्रगतिशील रही तो फिर बिजली मिलने में बहुत अधिक अर्सा लगेगा और उनसे जो फायदा मिलेगा वह काफी सालों के बाद मिलेगा, इस बीच में तो जनता की शक्ति से बाहर हो जायगा कि वह टैक्स दे सके। सरकार को चाहिये कि दूसरी और ऐसी योजनाओं को लावे जिनमें हम जनता की श्रम शक्ति का इस्तेमाल कर सकें, श्रम शक्ति के द्वारा देश की पैदावार को बढ़ाया जाय। अगर देश की पैदावार बढ़ जाती और फिर यह टैक्स लाया जाता तो इसके देने में किसी को ऐतराज न होता, अपोजीशन की तरफ से कोई विरोध नहीं किया जाता और किसी भी मामले में विरोध नहीं किया जाता। क्योंकि जब लोगों में शक्ति इतनी है तो उनसे जरुर पैसा लिया जाय और लोगों में शक्ति नहीं है और उनकी क्रय शक्ति क्षीण होती जाती है और आप टैक्सों का भार डालते जाते हैं हर साल आप टैक्स बढ़ा देते हैं और नये नये टैक्स हर साल ले आते हैं तो इससे उनकी शक्ति और भी घटेगी; ऐसी सूरत में जनता की क्रय शक्ति क्षीण हो रही है और खाने का इंतजाम करने की भी शक्ति जनता के अन्दर नहीं है तो फिर वह कहां से टैक्सों के लिये व्यय करेंगे इसलिये मैं माननीय सचिव से यह निवेदन करूंगा और उनकी खिदमत में यह सुझाव पेश करूंगा कि अगर वह देश की उन्नति करना चाहते हैं तो देश की श्रम शक्ति को युटिलाइज करें। उससे देश की पैदावार भी बढ़ सकती है लेकिन इस मामले में सरकार बिलकुल अयोग्य साबित हुई है। जिस ओर सरकार जा रही है उससे देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। वह तो पूंजीपतियों को यहां पर कायम रखना चाहती है और उनसे उसको मोह हो गया है। उस मोह के वशीभूत हो कर सरकार कोई क्रान्तिकारी

[श्री गजेन्द्र सिंह]

क़दम नहीं उठा सकती है । इसी कारण से जो श्रम शक्ति है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती है । अगर आप हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप टैक्सों से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विदेशों से कल कारखानों को मंगा कर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस देश में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यहां की श्रमशक्ति को युटिलाइज करना पड़ेगा । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहां का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है । आप को जमीन का बटवारा करना पड़ेगा और श्रम का लाभ उठाना पड़ेगा । देश आप का है और आप को देश के लिये काम करना है अगर आप इस बात को महसूस करेंगे तो देश को जो श्रम शक्ति है वह स्वयं ही मिल जायगी और उससे बहुत जल्दी देश का उत्थान होगा । इसलिये मैं माननीय सचिव से निवेदन करूंगा कि आप यहां पर टैक्सों को भरमार हर साल न करें और इस बिल को वापस ले लें। क्योंकि इससे ग़रीबों पर भार पड़ेगा और आप दूसरा बिल ले आवें जिससे टैक्स का भार ऐसे आदमियों पर पड़े जो वाकई में टैक्स दे सकते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिजली की दर को बढ़ाने का विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके संबंध में माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो अपने विचार रखे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं और उन बेचारों को व्यावहारिक विचार नहीं मालूम हैं इसलिये कि कोई भी सरकार जिस पर जनता के भरण पोषण और शान्ति स्थापना की जिम्मेदारी है उसके लिये यह आवश्यक होगा कि उस कार्य को चलाने के लिये धन की व्यवस्था करे और उस धन की व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि करों के द्वारा जनता से उस धन को प्राप्त किया जाय। तो उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनको मैं यह समझता हूं कि उन्होंने एक आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर विरोध किया है । जहां तक जन हित का प्रश्न है और सारी जनता के जीवन का सम्बन्ध है इसमें किसी को दो राय नहीं हो सकतीं कि उनके जीवन की और उनके जीवन निर्वाह के लिये सस्ती वस्तुयें प्राप्त कराना सरकार का मुख्य कर्तव्य है और सारी जनता के जीवन से संबंधित जितनी वस्तुयें हैं उसके लिये सरकार का कर्तव्य होता है कि वह उसको सस्ती बनाने का प्रयत्न करे । लेकिन माननीय सदस्य ने शुरू से आखिर तक सरकार की कर लगाने की पालिसी का विरोध किया है । तो माननीय सदस्य क्या इसके कुछ उत्तर दे सकेंगे कि कल को हमारे देश में समाजवादी सरकार आ जाय तो उसका व्यय चलाने के लिये और सरकार के व्यय को पूरा करने के लिये क्या साधन काम में लावेंगे ? उन्होंने शुरू से आखिर तक अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला हां, केवल एक बात कही कि सरकार को भूमि का बटवारा करना होगा । सरकार चाहती है कि जनता का समर्थन प्राप्त हो। जनता की श्रमिक शक्ति से या यह कि उसको भूमि का बटवारा करना होगा इसके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर सदन विचार कर सके । इसके साथ ही साथ आपने एक बात यह भी कही कि बिजली के कर बढ़ने से उसका प्रभाव सब लोगों पर पड़ेगा । मैं तो यह समझता हूं कि यदि वह विचार करें तो बिजली का उपयोग अभी तक वह लोग कर रहे हैं जो शहरों में रहते हैं और पंखे इत्यादि का उपयोग करते हैं। जो लोग शहरों में इस तरह से अपने घरों में बिजली का पंखा लगाते हैं उनकी जीवन की आर्थिक दशा में और हमारे प्रांत के देहातों में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की दशा में काफी अन्तर है और इस तरह से शहरी लोगों की हालत देहात वालों की अपेक्षा आप को अच्छी भी माननी पड़ेगी । यह मैं मानता हूं कि जो हमारा मध्यम वर्ग है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है जैसा होनी चाहिये। परन्तु फिर भी मेरे माननीय भाई इस से इन्कार नहीं कर सकते कि मध्यम वर्ग की स्थित आज हमारे देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों से कहीं अच्छी है । फिर उनका इस तरह से कहना और उस कहने में क्या सार हो सकता है कि इस बिजली का प्रभाव हमारे प्रान्त की सभी जनता पर पड़ेगा । मैं तो समझता हूं कि उनकी यह बात निराधार है । यह बात अवश्य है कि इसमें कुछ ऐसे लोग

आ जाते हैं कि जिनका संबंध म्युनिसिपल बोर्ड से है । म्युनिसिपल बोर्ड को जो लोग कर देते हैं तो जब यह बिजली का कर बढ़ेगा तो उसका असर म्युनिसिपल बोर्ड पर जरूर पड़ेगा । म्युनिसिपल बोर्ड का जो पैसा होगा वह जरूर जनता का पैसा होगा । इस जनता के पैसे से हमारे निर्धन लोग जिन को आर्थिक दृष्टिकोण से हम निम्न वर्ग के कहते हैं जरूर फायदा होगा । इस दृष्टिकोण से मैं उनके विचार से सहमत हो सकता हूं। लेकिन जहां तक पंखे और प्रकाश का सवाल है वह बतला दें कि किसी शहर के किन मुहल्लों में जहां कि ग़रीब श्रमिक, हरिजन या निर्धन लोग रहते हैं वहां बिजली काम में आती है । तो मैं समझता हूं कि उनकी यह दलील कि इस विधेयक का प्रभाव हमारे प्रान्त की सभी जनता पर पड़ेगा और हमारे प्रान्त के आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न वर्ग पर पड़ेगा तो यह अनुचित बात है । दूसरी बात उन्हें यह करनी पड़ेगी कि सम्पत्ति का विकेन्द्रीयकरण आवश्यक हो। सरकार का कर लगाने का एक तो वह तरीका हो सकता है जो कि कम्युनिस्टों का तरीका है और वह हिंसा का तरीका है । वह इस से समस्त समाज के अन्दर आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार का दूसरा तरीका है और वह अंहिसा का तरीक़ा है । जो लोग इस योग्य हैं कि जो सरकार टैक्स लगाये उसे सहन कर सकें तो उन पर टैक्स लगाया जाय और उस टैक्स के जरिये जो धन आये वह साधारण जनता पर लगाया जाय। मेरे भाई इसको मानते हैं कि इसका संबंध सरकार से ही है। हां, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता चौधरी बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जहां तक बिजली के करों का संबंध किसान वर्ग से है या भराई का टैक्स है मैं भी इसका समर्थक हूं कि यह किसानों पर नहीं होना चाहिये। अभी हमारे प्रान्त के किसान इस स्थिति में नहीं हैं कि इस तरह का टैक्स बढ़ाया जाय । जिसे वह सहन कर सकते हैं वह कर उनसे लिया जाय। आज यह जरूर है कि गन्ने की कुछ क़ीमत बढ़ने से कुछ सुधार हुआ है या गल्ले की मंहगाई का उन पर कुछ असर पड़ा है । इसका यह नतीजा हुआ कि इस तरह का जो बोझ एक अर्से से उन पर पुश्त दर पुश्त चला आता था वह सरकार के बनाये हुये कानूनों के जरिये इस मंहगाई के कारण अवश्य हल्का हो गया। लेकिन जहां तक उनके जीवन का सवाल है, मैं तो यह कहूंगा कि अभी तक उनके जीवन में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिये । जो किसानों के लड़के हैं उनको इतना पैसा नहीं मिलता है जो उनके लिये काफी हो । आज किसानों को वैसे मकान नहीं मिले हैं जैसे एक अच्छे नागरिक के होने चाहियें । आज किसानों के मकान इतने साफ सुथरे नहीं जितने होने चाहियें । उन के बच्चों की शिक्षा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है, जिसमें वह अपनी संतान को ठीक से शिक्षा दे सकें। जिस तरह से एक मध्यम श्रेणी का आदमी अपनी सन्तान को दे सकता है वैसे उनके पास कोई साधन नहीं है । जहां तक इन सब बातों का संबंध है सरकार को ऐसे काम करने चाहियें जिससे वह सहमत हों । मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह इस ओर अपनी दृष्टि विशेष रूप से रख कर इस ओर ध्यान दें। अभी हमारे किसानों की हालत अच्छी तरह से सुधर नहीं पाई है । अभी हमारे पूर्व वक्ता ने किसानों के संबंध में कुछ कहा, यह कुछ हद तक ठीक है कि किसानों की दशा अच्छी नहीं है । मैं अपने जिले की शुगर फ़ैक्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर किसानों को रुपये के बदले में चीनी दी गई। जिसको उन्होंने बहुत कम क़ीमत पर बेच दिया । आज जो हमारे किसानों की हालत है उस को खासतौर से सरकार को देखना चाहिये।

जहां तक कारखानों का संबंध है मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है । हमारे समाजवादी नेता करों का विरोध करते हैं। लेकिम मैं यह समझता हूं कि अगर कोई ऐसा कर है जो उनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में ठीक है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिये । मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन ऐसे कर जिसके संबंध में हमारे प्रान्त की हालत दूसरे के मुकाबले में अच्छी है तो हमें उसका विरोध करना अच्छा नहीं है । मैं समझता हूं कि जनतंत्र को चलाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि सरकार के हर कार्य का विरोध किया जाय । मैं समझता हूं कि इस बात को हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी मानते हैं। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने कई बिलों पर एक मत हो सरकार को

[श्री महीलाल]

वधाई दी। हमारी सरकार की तरफ से बहुत से बिल ऐसे भी आते हैं जिनका विरोधी दल के सदस्य भी स्वागत करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, अभी बहस पूरी नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि अभी इसमें कुछ उसूल बाक़ी रह गये हैं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, जो बातें इस वक्त कही गई हैं, उसमें बहुत कुछ ऐग्रीकल्चर के बारे में भी कहा गया है। मुझे इस बात के साथ पूरी हमदर्दी है और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एग्रीकल्चर की जो जरूरत बिजली की है उस के ऊपर और भी कोई ज्यादा बोझ ख्वाह वह कितना ही थोड़ा हो, डाला जाय। इसलिये इस बात को इस क़ानून के अन्दर एक संशोधन के जरिये से आज साफ़ कर दिया जाएगा कि काश्तकारी के लिये जो जरूरत है उस जरूरत में जो बिजली खर्च हो उसके ऊपर कोई बोझ इस क़ानून का नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा कुछ बहस नेशनेलाइज़ेशन के बारे में की गई। मैं समझता हूं कि इस मौक़े पर वह बहस बिलकुल ग़ैर जरूरी है और जहां तक कि इस बिल का ताल्लुक़ है यह बिल उस वक्त पेश हो रहा है जब कि राष्ट्रीयकरण नहीं है जिस माने में कि हमारे दोस्त चाहते हैं। बिजली की क़ीमत क्या हो और नेशनलाइज़ेशन हो या न हो यह अलग अलग दो चीजें हैं इसलिये नेशनलाइज़ेशन के बारे में जो कहा गया है उसका जवाब यहां देना ग़ैरजरूरी है और जहां तक उसके जवाब देने का ताल्लुक़ है, कुछ मेरे दोस्त ने लौटा भी था, लेकिन मैं ऐवान में अर्ज़ कर चुका हूं और दोबारा उस को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। एक जरिया आमदनी का उन कामों को करने के लिये जो कि देश को करने हैं, जरूर उन्होंने बताया है और अपनी तक़रीर में कहा है कि कैपिटल लैवी ५ लाख से ऊपर के सरमायेदारों पर लगा दी जाय लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि आया वह लगा भी सकते हैं या नहीं। बदक़िस्मती से शीशे के महल में रहने वाले मंत्री की बात पर उनको कुछ भरोसा भी नहीं होता और शायद उनका यह ख़याल भी है कि शीशे के अन्दर रहने वाले लोग जो हैं उनकी जबान से सच्ची बात निकल ही नहीं सकती है और यह बात कि जो कांस्टीट्यूशन इस देश में इस वक्त बना हुआ है उसके अन्दर काम करने से बहाना यह लोग लेते हैं और जब चाहें तोड़ देते हैं। मेरे दोस्त शायद यह मानते हैं और अगर न मानते हों तो ऐवान से जनाब स्पीकर साहब के जरिये से कहना चाहता हूं कि कैपिटल लैवी की जो तजवीज़ फ़रमाई गई है वह ग़लत है या सही इस बात को छोड़ कर, मैं अर्ज़ करता हूं कि यह हमारे इस क़ानून से सूबे के रहने वाले आदमियों के अख़्तियार से बाहर की चीज़ है। तो अब हो क्या? वह कहेंगे कि पहले इसको संशोधन से बदलवाइये और फिर वह रखिये, तो उस संशोधन को बदलवायें और फिर एक स्कीम की फ़रमायश हुजूर वाला से करें कि उस कैपिटल लैवी की स्कीम बने जो अभी तैयार नहीं है और जिसकी निस्बत आज उन्हें अन्दाजा नहीं है कि उसके जरिये से कितना रुपया मिल सकता है। उन्होंने यह भी फरमाया कि मैंने जो बिल पेश किया है मुझे उसकी निस्बत नहीं मालूम है कि उससे कितना रुपया मिलेगा। हालां कि मैंने यह अर्ज़ कर दिया था और इसका सब हिसाब भी बतला दिया था। फिर भी उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को नहीं मालूम है कि इससे कितने आदमी होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि मैं उनकी ख़िदमत में अर्ज़ करूं कि फ़ारसी की एक मसल है उस का तर्जुमा मैं

बतला दूंगा कि "तातिरयाक़ अज़ ईराक़ आवुर्दा शवद, मारगज़ीदा मुर्दा शवद । तातिरयाक उस को कहते हैं ज़ो ज़हर को खो देता है । ज़हर वाले सांप ने किसी को काट लिया उसके लिये आप दवा बताते हैं 'तिरियाक़' जब तक इस इलाज के लिये दवा लाई जायगी तब तक तो वह मर ही जायगा । पैसे की तो इस साल ज़रूरत है लेकिन इलाज जो बतलाया जाता है उसमें सिर्फ सब्ज बाग़ दिखलाया जाता है जिससे इस वक्त कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है । कहा जाता है कि कांटिट्यूशन में चेंज कर लो, हमारे उसूलों को मान लो और शीशे के बने हुये महल से निकल जाओ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यदि माननीय मंत्री जी ६ महीने के अन्दर कैपीटल लैवी लगा दी जायगी, यह इत्मीनान दिलायें तो हम अपना विरोध वापस लेने को तैयार हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैंने कैपीटल लैवी की कोई तारीफ नहीं की। उसका नाम लेने पर मेरे दोस्त को यह मुगालता हुआ कि उन्होंने जो तजवीज़ की वह बड़ी सही थी। मैंने तो यह कहा कि मैं उसकी बुराई और खूबियों पर ग़ौर करना बेकार समझता हूं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मान भी लिया जाय कि अच्छी चीज़ है लेकिन वह इस वक्त मर्ज़ का इलाज नहीं हो सकता । जहां तक उसके मेरिट की बात है शायद वह सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों के ख़िलाफ ही निकले और कोई सोशलिस्ट ही उसकी ताईद करने की ज़रूरत न समझे।

जहां तक नेशनलाइज़ेशन का ताल्लुक़ है उसका इससे कोई वास्ता नहीं है । एक बात और कही गयी कि एक ग़रीब आदमी था जो पहिली हुकूमतों के जुल्म की वजह से पहिले ही मुसीबतों में फंसा हुआ था उसे और भी दलने की कोशिश की जा रही है । मैंने इसके मुताल्लिक़ थोड़ी सी बात पहिले अर्ज़ कर दी थी कि उससे मेरे दोस्त यह समझ लें कि जैसा वह समझते हैं वैसी बात नहीं है । मेरिट्स को अलहैदा करके एक बात का मेरे दिल ने फैसला किया है और मैं उस फैसले पर अमल करना चाहता हूं । मैं नहीं जानता कि जो सदस्य इस ऐवान में तशरीफ रखते हैं उस फैसले के मुताल्लिक़ उनके दिल में क्या है लेकिन मेरे दिल ने तो यह फैसला किया है और मैं इस बात को नहीं मानता कि इसका असर ग़रीबों पर पड़ता है और मैं यह समझता हूं कि उनके ऊपर जो बोझा पड़ रहा है यह उतना ही है जो माकूलियत के साथ उनके ऊपर पड़ना चाहिये । लेकिन फ़र्ज़ी तौर पर यह मान भी लिया जाय कि हां उनकी औक़ात से ज्यादा ज़ोर भी उनके ऊपर पड़ रहा है । मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर किसी आदमी को जो कुछ आज मिल रहा है उससे ज्यादा उसको दिलवाने के वास्ते उसकी आमदनी में से कुछ आज काट लिया जाय, और उससे कहा जाय कि जो आज तुम तीन दफा खाते हो एक वक्त कम खाओ और उसको उस काम में लगा दो जिससे तुम्हें जो आमदनी होगी उससे ३ दफा के बजाय ४ दफा खाने के काबिल हो जाओगे। आधे बदन ढकने के लायक़ जो कपड़ा है वह पूरे बदन ढकने लायक़ हो जायगा। और इस टूटे हुये छप्पर के बजाय तुम्हारे पास वह शीश महल हो जायगा जैसा कि मिनस्टिरों का है । तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा अक़लमन्द है इस दुनिया के अन्दर जो इस बात से इंकार कर सकता है । कोई इंकार नहीं कर सकता ।

मेरे दोस्त ने इशारतन फ़रमाया कि टैक्सेज़ के ज़रिये से हिन्दुस्तान का कल्याण और विकास नहीं हो सकता । मैं मानता हूं वह टैक्सेज़ के ज़रिये से नहीं हो सकता वह तो क़ुरबानी के ज़रिये से ही हो सकता है अगर कोई आदमी उसके लिये कुरबानी करने के लिये तैयार नहीं है और वह इस हिन्दुस्तान में रहता है तो मैं समझता हूं कि उसको यहां रहने का कोई हक़ नहीं है। मुझे इस मुल्क को बढ़ाना है, तरक्की देना है, मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसके लिये भूखा रहने को भी तैयार हूं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह दलीलें किस काम की हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सके कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिये । अभी कुछ बातें कही गई हैं जिनमें मैं इस वक्त पड़ना नहीं चाहता । ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक़ अमेंडमेंट हो जायगा । जहां

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

तक यह कहा गया कि यह टैक्स तो लगना चाहिये और उसूलन सही है लेकिन जितना लगाया गया है उतने से उनका इत्तिफ़ाक़ नहीं है । अब ३ पाई और साढ़े ३ पाई फी यूनिट उसकी क़ीमत है उसके मुक़ाबले में देखा जाय तो जो डोमेस्टिक है उसकी क़ीमत ज्यादा है उसकी क़ीमत ५ या ६ आने है उसमें अगर एक आना पड़ता है तो ज्यादा क्यों है और इससे कम मिकदार क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। डेढ़ पाई या १ पाई। टैक्स के जो कार्डिनल प्रिंसिपिल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपिल यह भी है कि उसमें यह देखा जाय कि कितना रुपया उसके जरिये से हासिल हो सकता है । अगर १०,२० लाख रुपये उससे जिसके लिये इतना बड़ा दुनिया भर में हंगामा किया मिले तो वह टैक्स लगाने के क़ाबिल नहीं है । यह उसूल के खिलाफ है तो उसूल को देखते हुये, जरूरत को देखते हुये और जिन पर बोझा पड़ रहा है उसको देखते हुये यह टैक्स लगाया गया है । इससे किसी इंडस्ट्री पर ज्यादा बोझा नहीं पड़ेगा । मैं तो उन बहसों में पड़ना नहीं चाहता इसलिये मैं चाहता हूं कि यह नहीं समझना चाहिये कि जितना टैक्स इसमें तजवीज किया गया है वह ज्यादा नहीं है। मैं इसके लिये तैयार हूं कि अगर कोई माकूल बात है जैसे एग्रीकल्चर के मुताल्लिक़ कहा गया अगर कही जाय तो मैं उसको मंजूर कर लूंगा । और अगर नहीं करूंगा तो उसके न मानने के लिये मुनासिब जवाब दूंगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, यह जो इस विधेयक पर अमेंडमेंट आने वाला है सरकार की तरफ से वह माननीय शिवनारायण जी लायेंगे या गवर्नमेंट खुद लायेगी?

अध्यक्ष—सरकार की तरफ से आयेगा । अगर सरकार आप को अधिकार देगी तो आप ले आ सकेंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधयक, १९५२, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६५ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२

उपाध्यक्ष—अब एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक पर खंड के अनुसार विचार होगा।

खंड २

परिभाषायें। २—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "नियत अधिकारी" का तात्पर्य—

(१) उस एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) की दशा में जो ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई) के कार्य में प्रवत्त हो, जिसका स्वामी राज्य सरकार हो या जिसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है जिससे इस संबंध में राज्य सरकार नियुक्त करे, तथा

(२) उस एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग की दशा में जो ऐसी एनर्जी की पूर्ति करने (सप्लाई) के कार्य में प्रवृत्त हो जिसका स्वामी केन्द्रीय सरकार या बोर्ड हो या जिसका प्रबंध केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किया जाता हो, ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार अथवा बोर्ड की सहमति से जैसी भी दशा हो, नियुक्त करे।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये सरकार का वह विभाग जो एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई) में प्रवृत्त हो, उक्त सरकार का एक प्रकार का एलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) है।

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ३ (Chapter III) के अन्तर्गत संघटित बोर्ड से है,

(ग) "केंद्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९८ में किया गया है,

(घ) "उपभोक्ता" (कंज्यूमर) का तात्पर्य लाइसेंसी से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे निम्नलिखित द्वारा एनर्जी (विद्युत शक्ति) दी जाती (सप्लाई) हो :—

(१) कोई लाइसेंसी,

(२) कोई बोर्ड, अथवा

(३) राज्य सरकार (स्टेट गवर्नमेंट) या केंद्रीय सरकार (सेन्ट्रल गवर्नमेंट)।

(ङ) "एनर्जी" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी एनर्जी (विद्युत शक्ति) से है,

(च) "लाइसेंसी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई करने) का लाइसेंस इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के भाग २ (part II) के अधीन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा २८ के अधीन इस संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो,

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा नियत से है,

(ज) "लगाई गई दर" के अन्तर्गत किसी मीटर अथवा सर्विस लाइन का किराया नहीं है,

किन्तु निम्नलिखित उसके अन्तर्गत हैं :—

(१) जब किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने के लिये छूट दी जाय तो इस प्रकार दी गई छूट,

(२) उपभोक्ता द्वारा देय न्यूनतम धन (minimum charges) यदि कोई हो,

(३) टू पार्ट टैरिफ़ की दशा में निश्चित धन (फिक्स्ड चार्जेज़) तथा इकाई धन (यूनिट चार्ज) भी,

(४) उस प्रकार की पूर्ति (सप्लाई) की दशा में जहां मीटर न लगा हो, समय समय पर उसके लिये लगाया गया धन (periodical charge made therefor), और

(५) दरों पर कोई अधिभार (सरचार्ज) जो लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया हो।

स्पष्टीकरण--"इकाई धन" (यूनिट चार्ज) का तात्पर्य खंड (३) में वास्तव में उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये दिये जाने वाले मूल्य से है ।

(झ) "राज्य सरकार" (स्टेट गवर्नमेंट) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ञ) उन शब्दों तथा पदावलियों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है किन्तु जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि खंड २ और खंड ३ एक ही से संबंध रखते हैं इसलिये मैं ३ में विरोध प्रकट करूंगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उपभोक्ताओं (कंज्यूमर) को दी गई एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर (विद्युत शुल्क)।

३--उपभोक्ता (कंज्यूमर) द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर राज्य सरकार के लिये ड्यूटी (शुल्क) लगायी जायगी और वह राज्य सरकार को देय होगी। यह ड्यूटी (शुल्क) जिसको यहां आगे चल कर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के नाम से कहा गया है उसके लिये लाइसेंसी द्वारा तथा धारा २ के उपखंड (२) या (३) में अभिदिष्ट बोर्ड अथवा सरकार द्वारा लगाई गई दर के २५ प्रतिशत के हिसाब से आकलित (Computed) की जायगी ।

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित में या द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर कोई ड्यूटी (शुल्क) नहीं लगाई जायगी :--

(क) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, किन्तु यह अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भूगृहादि (premises) पर न लगेगा,

(ख) केंद्रीय सरकार अथवा रेलों का संचालन करने वाली रेलवे कम्पनी द्वारा रेलवे के निर्माण, रख रखाव अथवा संचालन करने में,

१९२३ की ऐक्ट संख्या ४।

(ग) इंडियन माइन्स ऐक्ट, १९२३ में परिभाषित किसी माइन (खान) द्वारा या उसके संबंध में ।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता (कंज्यूमर) द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) नहीं लगाई जायगी यदि उसके लिये लगाई गई दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से अधिक हो।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि लगाई गई दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से कम हो, तो किसी भी एक यूनिट (एकाई) पर लगाई गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) ऐसी कम की गई धनराशि होगी जो उसके लिये लगाई गई दर के साथ ९ आने से अधिक न हो।

चौथा प्रतिबन्ध यह है कि उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में जिस पर "वन पार्ट टैरिफ" के अनुसार दर लगाई गई हो, एलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी ९ आनाप्रति यूनिट (एकाई) से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण—एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के लगाने तथा उसके भुगतान के प्रयोजनों के निमित्त, उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में जिसे लाइसेंसी अथवा बोर्ड ऐसे भूगृहादि में या उसके ऊपर उपभुक्त करे जो व्यवसाय अथवा निवास के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होते हों, तो यह समझा जायगा कि वह ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) है जिसकी ड्यूटी (शुल्क) उपभोक्ता ने दी है और उसके द्वारा उपभुक्त (Consumed) है।

(२) रेलवे का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ में परिभाषित रेलवे से है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से खंड ३ के पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित नया प्रतिबन्ध रखा जाय, यह संशोधन पेश करता हूं।

"किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग की गई विद्युत पर कोई ड्यूटी नहीं लगायी जायगी—

शिक्षा संस्थाएं, अनाथालय, धर्मशालाएं तथा विभिन्न धर्मों के ईश्वरोपासना के स्थान।"

जहां तक खंड ३ का संबंध है उसमें लिखा है पहले प्रतिबन्ध में, "किन्तु पहला प्रतिबंध यह है कि निम्नलिखित में या द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर कोई ड्यूटी (शुल्क) नहीं लगायी जायगी :—

(क) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, किन्तु अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भूगृहादि (premises) पर न लगेगा।

(ख) केंद्रीय सरकार अथवा रेलों का संचालन करने वाली रेलवे कम्पनी द्वारा रेलवे के निर्माण, रख रखाव अथवा संचालन करने में,

(ग) इंडियन माइन्स ऐक्ट, १९२३ में परिभाषित किसी माइन (खान) द्वारा या उसके संबंध में।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने संशोधन के पक्ष में बोलते हुये यही कहना है कि यह जो प्रतिबन्ध है कि सरकार ने राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के जो भूगृहादि वग़ैरह हैं, केंद्रीय सरकार, अथवा रेलों की संचालन करने वाली रेलवे कम्पनियों द्वारा रेलवे के निर्माण तथा रख रखाव और खान में जो बिजली प्रयोग की जायगी उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा। तो जहां तक सरकारी चीजों का संबंध है वैसे अगर उन पर टैक्स रखते तो उसमें कोई हानि नहीं होती है। वह तो सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में चला जाता है। उन पर टैक्स लगाना ही ठीक होगा क्योंकि अकाउण्ट वग़ैरह ठीक रहेगा। जैसे सरकारी विभागों को टिकटों की ज़रूरत पड़ती है। उन टिकटों के खरीदने के लिये विभाग द्वारा पैसा दिया जाता है। उसके लिये भी यह हो सकता था कि चूंकि टिकट के दाम विभागों को न देने ही पड़ते हैं इसलिये बिना पैसे लिये टिकट दे दिये जायं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अपने इस संशोधन द्वारा कि शिक्षा संस्थाओं, अनाथालय, धर्मशालाएं तथा विभिन्न धर्मों के ईश्वरोपासना के स्थानों पर जो ड्यूटी बढ़ायी जा रही है वह न बढ़ायी जाय। जहां तक शिक्षा संस्थाओं का संबंध है, ऐसे बहुत से अडल्ट स्कूल यह क्लास

[श्री गजेन्द्र सिंह]

होती है जो शहरों में अधिकतर हुआ करती है और जहां पर ग़रीब आदमी जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर सकते हैं और कुछ विकास करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, उसके लिये काम भी करते हैं मिलों में या सरकारी दफ्तरों में या दूसरे क़िस्म का कोई रोज़गार या व्यवसाय करते हैं और रात में घंटे, दो घंटे बैठ कर पढ़ा करते हैं। इस क़िस्म के बहुत से स्कूल खुले हुये हैं। अगर यह टैक्स लग जायगा तो एक तो वैसे ही उनके पास पैसे की कमी है, इस टैक्स से और भी उनको तरक्की रुकेगी। इसलिये माननीय सचिव से मेरा निवेदन है कि इस क़िस्म की जो शिक्षा संस्थायें हैं उन पर इसका भार नहीं पड़ना चाहिये।

इसके साथ ही साथ, अनाथालय हैं। अनाथालयों का जहां तक संबंध है उनकी व्यवस्था अव्वल तो हमारे यहां कम है और कमी होने के साथ साथ आमदनी का ज़रिया भी उनके पास नहीं है। बहुत से अनाथ बच्चे आते हैं उनकी देख रेख करनी पड़ती है। अगर वहां यह बिजली का टैक्स लगेगा तो वैसे भी उनके पास पैसा नहीं है, तादाद में भी कमी है और जो कुछ थोड़े बहुत हैं भी तो उनके पास पैसे का अभाव रहता है। अगर उनके ऊपर टैक्स का बरडेन पड़ेगा तो वह यह भार बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमारा यह निवेदन है कि अनाथालयों पर भी इस क़िस्म की ड्यूटी नहीं बढ़नी चाहिये।

इसी तरह से धर्मशालायें हैं। ये आम लोगों के ठहरने की जगहें हैं। वहां लोग रात में विश्राम कर लिया करते हैं। उनको भी टैक्स से वंचित रखा जाय तो अच्छा होगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों के उपासना स्थान हैं, गिर्जाघर, मस्जिद, मंदिर, जो पूजा के स्थान हैं उन पर भी सरकार टैक्स लगा रही है। वैसे भी हमारे यहां पूंजीवादी व्यवस्था है और इसमें रुपये का इतना ज़रूर महत्व बढ़ गया है कि आदमी हर तरह से उसे इकट्ठा करने के लिये लगा हुआ है, क्योंकि वह समझता है कि पैसा ही जीवन का मूल्य है। वह नहीं जानता है कि कौन सा अच्छा रास्ता है कौन सा बुरा है। कौन सा ईमानदारी का है और कौन सा बेईमानी का है। हर तरह से पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है और वह धर्म और कर्म, सच्चाई, ईमानदारी व्यवहारिकता, नैतिकता, मानवता सब को बालाये ताक़ रख देता है पैसे के पीछे। तो इस युग में, जब कि धर्म को लोग भूलने लगे हैं, ऐसे समय में हमें धार्मिक स्थानों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। वैसे भी आदमी कम जाते हैं और अगर वे जाते हैं वहां बैठ कर उन्हें प्रेरणा मिलती है और अच्छे काम की तरफ रुझान होता है तो सरकार उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रोकना चाहती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर भी इस क़िस्म के टैक्स नहीं लगना चाहिये। पूजा स्थान वैसे भी धर्म के ऐसे स्थान है कि उनकी तादाद है। उनसे अगर आय पैसा लेते हैं, बिजली के किराये का या और तरह से टैक्स के रूप में यह दोनों तरफ से उनपर बरडेन पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सचिव से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन मैंने उनके सामने रखा है वह उसको स्वीकार कर लें और इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोचे बैठा था कि सम्भवतः मैं आज विरोध नहीं करूंगा, लेकिन विरोधी दल की तरफ से जो धर्म की आवाज उठाई गयी, उसने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। और उसका विशेष कारण यह है कि जहां तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, दुनिया में जिन इनसानों ने, जिन गुरुओं ने जब कोई ऐसा काम करने की बात उठाई है जिससे उस देश की मानवता को हानि होती है तो पहला नारा था उनके सामने धर्म का। तो आज ठीक इसी तरीके से धर्म की आवाज यहां पर उठायी गयी और यह भी कहा गया कि आज पैसा इकट्ठा करने की भावना इतनी बढ़ गयी है कि न धर्म का ख़याल है न अधर्म का विचार है। जहां से मिले वहां से पैसा ले लिया जाय। मैं बड़े आदर के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि क्या धर्म का प्रचार बिजली जला जला करके होगा?

धर्म के सही माने को समझने के लिये हमारे विरोधी दल को, अध्यक्ष महोदय, प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से धर्म का प्रचार हो रहा है या वे जिस तरह का प्रोत्साहन देने की बात सोच रहे हैं। मैं बड़े अदब से, उपाध्यक्ष महोदय, उनसे प्रार्थना करूंगा कि संभवता उनका यह अर्थ नहीं है। जिन स्थानों पर आज थोड़ा सा असर पड़ जायगा क्या वे इस बात को नहीं जानते हैं कि उन स्थानों पर आज कितना पैसा पहुंच रहा है। अच्छा तो यह था कि गरम दल से यह आवाजें आतीं कि जो सम्पत्ति वहां पर बहुत ज्यादा इकठ्ठा होती है, जनता जो जाकर के तमाम पैसा, रुपया और जोहरें चढ़ाती है उसमें से अधिक अंश राष्ट्र के उन स्थानों पर खर्च होता जहां जरूरत थी, लेकिन ऐसा न करके एक ऐसी बात कही गयी जिस से बाहर की दुनिया के लोग समझें कि हां यह ठीक कह रहे हैं, और एक थोड़ा सा सहारा बाहर की दुनिया में और भी मिल जाय। जहां तक इस संशोधन का संबंध है मैं उनकी नीयत पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इसमें एक जो महक आती है वह यह है कि बाहर की दुनिया में एक प्रचार करने की बात मालूम पड़ती है। यह गहराई से सोचने की बात नहीं प्रतीत होती है। यह महज इस लिये कहा जा रहा है कि मौलवी यह कहे कि समाजवादी बड़े धार्मिक हो गये हैं। पंडित भी अपना तिलक ठीक करते हुये कहे कि भाई यही हैं जो धर्म को ठीक रख सकते हैं और पादड़ी से भी शाबासी मिल जाय। इस प्रकार यदि तीनों धर्म के लोग मिल जांय तो फिर बेड़ा पार है ऐसी संस्था और ऐसी पार्टी का। पिछले दिनों में बड़ा धर्म का नारा लगाया गया और यह कहा गया कि धर्म के नारों से मौजूदा सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे लेकिन उन धर्म के नारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हिन्दोस्तान की जनता पर। मैं उपाध्यक्ष महोदय आप के द्वारा केवल इतनी प्रार्थना अपने मित्र से करूंगा कि यह रास्ता जो उन्होंने प्रचार का अपनाया है, इससे सफल होने की कोई आशा नहीं है। वे पिछले दिनों में इसका तजुर्बा कर चुके हैं। मैंने जैसी प्रारम्भ में प्रार्थना की, उपाध्यक्ष महोदय मैं उनसे आशा करता हूं कि इन धर्म की बातों को छोड़ कर और हम से जरा ज्यादा आगे चल कर वे अपने संशोधन में जो पैसा और सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है उसके सुन्दर उपयोग का साधन बताते। यही समाजवाद और साम्यवाद का क्रांतिकारी रास्ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज कुछ तेजी में वे बहक से गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने एक साथी की तकरीर सुनी। आपने कहा कि यह जो संशोधन रखा गया है इसमें प्रचार की महक आती है। मैं तो अपने दोस्त से कहूंगा कि उनके अन्दर ही कोई ऐसी भावना है जिस की वजह से उनको इस किस्म की महक आती है। वे अपनी उस बीमारी का इलाज करवालें। गजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह बिलकुल साफ है, कोई प्रचार की बात नहीं है। आपने उसमें से खाली वह हिस्सा ले लिया है जिस में उन्होंने मंदिरों का जिक्र किया है या धर्म के स्थानों का जिक्र किया है लेकिन उस भाग को आप बिलकुल छोड़ गये जिसमें उन्होंने शिक्षा संस्थाओं या और दूसरी इस किस्म की संस्थाओं का जिक्र किया है। मेरे कहने का या गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का यह मकसद है कि जो संस्थायें चैरिटेबिल संस्थायें हैं उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाय। जैसे स्कूलों को आप ले लीजिये, स्कूलों के ऊपर टैक्स लगाना एक तरह से उनके ऊपर आफत ढाना है। कल माननीय सम्पूर्णानन्द जी के सामने यह चीजें आयी थीं कि स्कूलों में जो लारीज वगैरा चलती हैं उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाय परन्तु उन्होंने यह कह दिया कि वे इतनी ज्यादा लड़कों से बस का किराया ले लेते हैं कि उसमें से कुछ बच जाता है। इसका क्या बतलब हम यह समझें कि जो हमारे यहां स्कूल चलते हैं वे किसी फायदे के लिये चलाये जाते हैं। मंत्री लोगों को मालूम है कि करीब करीब जितने भी स्कूल हमारे सूबे में चल रहे हैं उनका जो बजट होता है वह घाटे का होता है और सरकार उसमें मदद देती है तब जा कर वह आगे को बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से चीजें कह देना कि केवल प्रचार के लिये हम लोग कहते हैं, यह बिलकुल गलत है।

दूसरी चीज मैं बताऊं कि आज स्कूलों पर या धार्मिक संस्थाओं पर जो टैक्स लगाया जा रहा है लेकिन पूंजीपतियों पर इस टैक्स का कोई असर नहीं है। मैं इस तरह से आपको

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

साबित कर दूं इस बिल में कहा गया है जहां कि ९ आने फी यूनिट से कम कीमत होगी वहां पर यह टैक्स लगाया जायगा। लेकिन जो कम्पनियां ९ आने से बेशी रेट कंज्यूमर्स से वसूल करती होंगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार को चाहिये था कि जितनी कम्पनियां ९ आने से ज्यादा फी यूनिट वसूल करती हैं उन कम्पनियों से इस टैक्स को लेती तब तो कुछ समझ में आता। लेकिन बजाय इसके जो कुछ भी टैक्स इसके अन्दर रखा गया है वह सीधा कंज्यूमर्स पर जाता है। जो लोग प्राफिट करने वाले हैं वे इससे बिलकुल बरी हैं। तो सरकार को टैक्स प्राफिट करने वालों पर लगाना चाहिये। बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग सुझाव तो देते नहीं हैं कि टैक्स आखिर किस पर लगाया जाय। पचीसों दफा कहा गया फिर भी अगर लोग न समझें तो बार बार कह कर इस सदन का समय बरबाद करना हम लोग ठीक नहीं समझते हैं। हमने पचीसों दफा सुझाव पेश किये लेकिन उन पर कोई ख्याल नहीं किया गया और कोई सदस्य खड़े हो कर कह देते हैं कि ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो केवल प्रोपैगैन्डा लिहाज से बातें कहते हैं। हमारा मैनीफैस्टो है, हमने पचीस दफा इस सदन में भी कहा कि ऐसे ऐसे आप टैक्स लगाइये लेकिन उस पर बिलकुल ख्याल न करके सरकार और सरकारी दल के लोग हमेशा यह आक्षेप हम लोगों के ऊपर लगाया करते हैं कि साहब वह लोग तो कोई सुझाव नहीं देते हैं सुझाव तो हम देते हैं मगर आप उधर ध्यान दें तो। आप कैपिटल लैवी की चीज जब सुनते हैं तो भड़क कर किनारे खड़े हो जाते हैं और कांस्टीट्यूशन की दुहाई देते हैं। अगर कांस्टीट्यूशन की गड़बड़ी आप खुद समझते हैं तो आपकी यहां भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी आप ही की गवर्नमेंट है। आप अपनी पार्टी में जाइये और कहिये कि कांस्टीट्यूशन में यह गड़बड़ी है और उसे ठीक कराइये। तो फिर कांस्टीट्यूशन की दुहाई देना तो कोई ठीक बात नहीं है। मैं मिसाल के लिये एक बात बताता हूं। अभी हाल ही में बिजली कम्पनियों का ही मामला है, मजदूर कुछ एक एवार्ड से पाये हुये थे। सरकार ने उसको नामंजूर किया और उसका जवाब सरकार ने यह दिया था कि अगर यह एवार्ड लागू कर दिया जायगा तो कंज्यूमर्स के ऊपर और टैक्स बढ़ जायगा और उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जहां तक मिल-मालिकों का सवाल है उनके स्वार्थ की तो आप रक्षा करते हैं मगर मजदूरों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिये आप तैयार नहीं हैं। अगर मजदूरों को एक आध पैसा बड़ी अदालत से मिल भी जाता है तो आप उसको काटने के लिये तैयार रहते हैं। टैक्स लगाने का मामला है तो वह भी आप कंज्यूमर्स पर ही लगाते हैं, मिलमालिकों पर कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो बहुत सीधा सादा अमेंडमेंट है और माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, यह जो बिल है इसके ज़रिये से कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। एक चीज़ पहले से एक कीमत में बिकती है, उसकी कीमत में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की जा रही है। मेरे दोस्त जो अभी तकरीर कर रहे थे उन्होंने शायद यह नहीं सोचा कि जो संशोधन दिया गया है और उसमें जो संस्थायें लिखी हैं वे तमाम इस वक्त बिजली को उस मोल पर जो उसका मोल इस वक्त है खरीद रहीहैं और उसके खरीदने में आज तक किसी की तरफ से यह आवाज नही उठी है कि उनको उसमें किसी किस्म की दिक्कत पेश आती है।

मैं नहीं समझता हूं कि जो ड्यूटी बढ़ाई गई है वह ड्यूटी अगर कोई भी दे तो उनके ऊपर कौन सा ऐसा असर होगा जिसकी बिना पर यह समझा जाय कि इस संस्था को या इस इंस्टीट्यूशन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा। अभी फरमा रहे थे कि तमाम स्कूल्स ऐसे हैं कि उनका बजट डेफीशिट होता है और उनको इखराजात मीट करने के लिये गवर्नमेंट ग्रांट देती है। अगर गवर्नमेंट उनको देती आई तो फिर भी देगी और अगर इसकी वजह से कोई डैफिसिट पैदा होगा तो किसी स्कूल को मेरे दोस्त की दलील के मुताबिक चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो अपना डैफीशिट दिखाकर गवर्नमेंट से ले लेगा। गवर्नमेंट

इस सिलसिले में जब पहले से देती आई है तो आज उसको इस ड्यूटी से मुस्तसना करने की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती है।

यह जो बिल में एक सेक्शन रखा गया है जिसमें यह लिखा गया है कि फलां फलां बिजली के कंजम्पशन पर यह ड्यूटी नहीं लगेगी तो उससे मालूम होगा कि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट के अलावा है। गवर्नमेंट की रेलवे होती है, गवर्नमेंट के और भी बिजली के खर्चे होते हैं, उनको इस ड्यूटी से मुस्तसना किया गया है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सिर्फ एक कागज से दूसरे कागज पर तब्दीली हो और हिसाब में फिजूल वक्त सर्फ न हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट दे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ही पास आय। जैसे मैं अपने पास से दूं और खुद ही लूं तो इसमें महज कागज का ज्यादा खर्चा करना है।

श्री रामनारायण त्रिपाटी (जिला फैजाबाद)--इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो सवाल है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह भी अपनी ही गवर्नमेंट है और प्राविंस की गवर्नमेंट भी अपनी गवर्नमेंट है। आपने शायद इसको पढ़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़कर सुना दूं जिससे आपको मालूम हो जाय। दूसरे रेलवे के लिये है और तीसरे माइंस के लिये है। इसके अलावा और किसी के लिये नहीं है यह सब तो गवर्नमेंट की ही चीज है और इसमें हिसाब में फिजूल वक्त सर्फ होता इसको बचाने के लिये ही यह कर दिया है कि जो गवर्नमेंट के खर्चे में बिजली आयगी उससे नहीं लिया जायगा। मैं यह समझा नहीं कि कोई नक्शा ऐसा है जिसकी बिना पर सोचा जाय कि किसी स्कूल को या किसी दूसरी चीज को मुस्तसना कर दिया जाय। ऐतराज यह भी इसमें था कि सिर्फ टैम्पिल्स पर कह दिया और को छोड़ दिया यानी ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिये नहीं कहा। हां अगर अमेंडमेंट को एज ए होल देखना है तो मुझे या बोलने वाले को अख्तियार है कि अगर किसी को वह देखता है कि यह काबिले ऐतराज है तो उसी पर वह ऐतराज कर सकता है। इसमें कोई शुबह नहीं है कि बहुत सी इस किस्म की संस्थायें हैं जिनके पास बहुत रुपया आता है और इससे पहले तकरीरों में भी कहा जा चुका है कि इस किस्म का टैक्स लगाया जाय जिससे इन लोगों से रुपया वसूल हो। इसमें अगर आप निकाल भी लेंगे तो एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को निकाल लेंगे और किसी को नहीं निकाल सकते हैं तो इसकी बिना पर इस अमेंडमेंट को जो रखा गया है कि इसको मंजूर कर लिया जाय। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट कहती है कि हम कोई तरीका बतलाते नहीं है और जब हम तरीका बतलाते हैं तो उसको माना नहीं जाता है, उसको सुना नहीं जाता है। इस कशमकश की हालत में मुझे उनसे हमदर्दी है। अगर यह वाकया है तो मैं उनसे इजहारे हमदर्दी करता हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बात कही गई कि जिसको मैं समझूं कि फिलवाकई यह किसी ऐसी बुनियाद पर है जिसको मान लेना चाहिये तो मैं तर्क नहीं करूंगा कि उस बात को न मानूं...

मैंने जो दो तीन बातें हाउस में सुनी थी, मैंने देखा कि वे मुनासिब हैं तो मैंने हाउस में कहा कि मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं और आगे मुमकिन है कि ऐसी बातें आयें जिनसे मैं इत्तिफाक कर लूं। लेकिन जहां तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है, इसलिये नहीं कि वह मेरे ऐसे किन्हीं दोस्तों की तरफ से आया है जो अपने को अलग समझते हैं, मैं तो नहीं अलग समझता, वह समझते हैं तो समझें, इस बिना पर नहीं बल्कि इसके मरिट्स के ऊपर जब जज करता हूं तो जजमेंट यह नहीं बतलाता कि उनको मुस्तसना किया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के खिलाफ बोलते हुये जो स्पीचेज ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से दी गई जिनमें रामनरेश शुक्ल जी और माननीय मंत्री ने जो दलीलें दीं वे कोई ऐसी दलीलें नहीं थीं जिनकी रोशनी में मैं इतना प्रभावित होता कि मैं अपने संशोधन वापस ले लेता। श्री रामनरेश शुक्ल जी ने कहा कि बाहरी दुनिया में प्रचार करने के लिये हम लोगों ने यह संशोधन रक्खा है और यह विभिन्न धर्मों के ईश्वरोपासन

[श्री गजेन्द्र सिंह]

के स्थानों को बात इसमें रक्खी है। लेकिन इसके अलावा हमने शिक्षा संस्थाओं की बात, अनाथालयों और धर्मशालाओं की बाबत भी कहा है लेकिन माननीय राम नरेश शुक्ल ने इसमें से किसी चीज को टच नहीं किया। इससे मालूम पड़ता है कि वह शिक्षा संस्थाओं, अनाथालयों और धर्मशालाओं की बात मानते हैं और अगर वह इतना ही ठीक समझते हैं और उसको मंजूर करने को तैयार हों तो जो प्रचार की बात वह कहते हैं उसको हम वापस ले सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ प्रचार की बात कही। मैं उनसे साफ यह कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य इस संशोधन को रखते वक्त कोई भी प्रचार का उद्देश्य नहीं था। हमने संशोधन संशोधन के लिये रक्खा था जिसमें शिक्षा संस्थाओं, अनाथालयों, धर्मशालाओं और विभिन्न धर्मों के ईश्वरोपासना के स्थानों को लिया था, यही उद्देश्य था। लेकिन माननीय राम नरेश जी का उद्देश्य सदन में बोलते हुये भी प्रचार का रहता है और सदन के बाहर भी इसीलिये देश की जो प्रगतिशील पार्टीज हैं, खास कर सोशलिस्ट पार्टी उसके खिलाफ यह चार्जेज लगाया करते हैं कि यह धर्म को नहीं मानती। इस किस्म की बातें चुनाव के अवसर पर भी कही गई। तो प्रचार की जो बात है वह उन्हीं की तरफ से कही जाती है, हमारा लक्ष्य तो कतई भी प्रचार का नहीं होता। हमने तो सीधे साधे लफ्जों में इस चीज को इसलिये रक्खा था कि जहां तक धर्म का ताल्लुक है, अच्छी चीज है, आदमी ऐसे स्थानों पर बैठ कर कुरान पढ़ते हैं, वेद और बाइबिल पढ़ते हैं। अच्छे किस्म की बातें करते हैं। अगर ऐसे स्थानों को आप टैक्स से बरी कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, गौर से सुनिये बड़ी कोई आमदनी आपको उससे हो जाती है। अगर उनको इस टैक्स से मुक्त कर दें तो कोई विशेष हानि न हो जायगी।

माननीय मंत्री ने यह कहा कि हम लोग बिल को पढ़े नहीं मालूम होते। यह बात तो वह हमेशा कह दिया करते हैं, यह उनकी एक आदत सी है। बुजुर्ग हैं, उनकी बात को कोई बुरा नहीं मालूम होता लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितनी अक्ल हम लोगों के अन्दर है उसके अनुसार तो हम लोग पढ़ कर ही आते हैं। और पढ़ कर ही कोई सुझाव देते हैं। यह बात दूसरी है कि वह सुझाव इस किस्म का हो कि माननीय मंत्री जो चश्मा लगाये हुये हैं भले ही हमारा प्रस्ताव कितना ही सुन्दर क्यों न हो, लेकिन वह उनको सुन्दर नहीं दिखलाई पड़ेगा। ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से चाहे कैसा भी सुझाव आ जाय, चाहे प्रस्ताव को बदलने का सुझाव आये तो वह उसको मान लेंगे। प्रवर समिति में जब हम बैठते हैं और सुझाव देते हैं तो वह उस वक्त सुन्दर होता है, लेकिन सदन के बीच में आते हैं और चाहे वह सुझाव कितना ही उत्तम हो, तो वह कभी नहीं माना जाता और अगर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आ जाय तो वह मान लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यही संशोधन अगर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आया होता तो हमारा यकीन है कि माननीय मंत्री इसे मान लेते। उन्हें इसमें बहुत अच्छा संशोधन मालूम पड़ता लेकिन दुख है कि यह विरोधी पार्टी की तरफ से उनके सामने पेश किया गया।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो स्कूल की बात कही थी और खासतौर से यह बात कही थी कि उनका घाटा तो हम दे देते हैं मैं माननीय सचिव का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बिलकुल प्राइवेट हैं और सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं करती है। वह सिर्फ फीस पर चलते हैं और चन्दे पर चलते हैं इसलिये जो स्कूल ऐसे हैं उनको इस ड्यूटी से बरी करना चाहिये। अगर वह ऐसा करेंगे तो वह बहुत ही नेक काम करेंगे और गरीब लोग जो अपनी शिक्षा को किसी तरह से जारी नहीं कर सकते हैं और जारी करना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे शिक्षित होकर आगे चलकर देश को कितना लाभ पहुंचा सकेंगे और न मालूम उनसे राज्य को कितना अहित हो सकता है। ऐसे लोगों को एक मौका मिलना चाहिये और ऐसे गरीब लोगों को माननीय सचिव को जरूर मौका देना चाहिये ताकि इस तरह का टैक्स उनके ऊपर न लग सके।

जहां तक टैक्स के देने की बात है। जो सरकारी संस्थायें हैं उनका तो सरकार अदा करती है और स्कूलों के लिये महज वह कागज खराब करने का प्रश्न ही रहता है लेकिन मैं माननीय सचिव से यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन हमारी तरफ से रखा गया है वह निहायत माकूल है और उसके खिलाफ बोलते हुये कोई भी वजह ऐसी नहीं बतलाई गई कि जिससे प्रभावित होकर हम इस संशोधन को वापस लें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही उपयुक्त संशोधन है इसलिये वह इसको मानने की कृपा करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैंने जो अर्ज किया था उसकी बाबत तो मैंने सुना नहीं। जो तकरीर हुई उसमें वह बात आई नहीं। मगर और बातें मालूम हुईं और अगर मुझको यह बात मालूम होती कि यह संशोधन इसलिये लाया गया है कि मैं कुछ बातें ऐसी कहूं कि जिससे वह वापस ले सकें तो वह वापस हो जायगा तो मैं उस तरीके से कहता जिस तरीके से मैंने उस वक्त कहा था। अब जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि यह जो कहा गया कि पढ़ा नहीं अच्छी तरह से तो उसका मतलब यह था कि सिर्फ वह जगह इस बिल में वह देखें और उस मायने में उसको पढ़ें जिस मायने में वह वहां पर लिखा गया है। अब उनकी बात से यह मालूम होता है कि जो तकरीर उन्होंने की उस क्लाज के ऊपर तो जो क्लाज की मन्शा है वह उनकी समझ में नहीं आया। उसका मन्शा यह था कि वह सिवाय गवर्नमेंट को और किसी को मुस्तस्ना नहीं करता है। सिर्फ गवर्नमेंट को ही वह एक्जम्प्ट करता है। तो फिर मैंने बतलाया था और वह भी सिर्फ इसलिये इतना कहा था कि जहां तक इसका ताल्लुक है वह एक सही चीज है। अब रही यह बात कि मैं मंजूर करता या न करता अगर इधर की तरफ से वह संशोधन आता। मैं शायद इस इल्जाम से बरी हूं और गवर्नमेंट किसी चीज के बारे में यह बात नहीं देखती है कि इधर से या उधर के किसी बिना मुनासिब बात के कोई चीज मंजूर की जाय। मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि अगर यह बात मंजूर करने के काबिल होती तो मैं इसको भी जरूर मंजूर कर लेता और अगर आगे कोई ऐसी बात आयेगी जो मंजूर करने के काबिल है तो उसको शायद मैं मंजूर करने के लिये तैयार हो जाऊं। मगर जहां तक इसका ताल्लुक है इसमें यह बात सोचने की है कि मुस्तसना किस तरह से किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको मुस्तसना किया जाय। जब से बिजली चली है और लोगों को मिलती आयी है जो रेट मुकर्रर किया जाता है वह उसको बराबर देते हैं। तो उन संस्थाओं से जिनका जिकर किया गया है उनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि ४ आना तो वह देते हैं लेकिन १ आना और नहीं दे सकते हैं। आज तक कहीं भी इस बात को नहीं पाया गया कि वह पांच आना अदा करने से माजूर हैं। मैंने तो अपनी माजूरी को जाहिर कर दिया कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। जो गरीब की मजबूरी आपने बयान की है वह सिर्फ ऐसी हो सकती है कि जो बढ़ा चढ़ा कर कही गयी हो। मैं उसको बराबर इन्कार करता हूं और इसी वजह से इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्न-लिखित नया प्रतिबन्ध रखा जाय--

"किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग की गई विद्युत पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जायगी--

शिक्षा संस्थायें, अनाथालय, धर्मशालायें तथा विभिन्न धर्मों के ईश्वरोपासना के स्थान।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह (ज़िला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (क) की पंक्ति १ से ३ तक के शब्द "किन्तु यह अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भूगृहादि (premises) पर न लगेगा" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि सरकार की इमारतों पर टैक्स लागू नहीं होगा। जो सरकारी कर्मचारी सरकारी इमारतों पर रहते हैं उन पर भी आप इस टैक्स को लगाने जा रहे हैं। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि डोमेस्टिक हाउसेज पर आप टैक्स न लगायें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि टैक्स अधिक बढ़ रहे हैं इससे सबको कष्ट होगा। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे दोस्त ने अभी मुझे बोलते हुये सुना था और इससे यह अन्दाजा कर सकते थे कि जब गवर्नमेंट ने यह समझा कि ऐसे स्कूलों को भी मुस्तसना न किया जाय तो वे सरकारी मुलाजिम जो आमूमन सरकारी मकानों में रहते हैं वे कैसे इससे एक्जम्प्ट किये जा सकते हैं। मेरे नज़दीक वे सरकारी मुलाजिम जो सरकारी मकानों में रहते हैं बमुकाबिले स्कूलों के दे सकते हैं और इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे फ़र्क हो। इसलिये मैं इसे मंजूर करने में मजबूर हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैंने मंत्री जी को बड़े ग़ौर से सुना लेकिन मुझे उससे सन्तोष नहीं है। मैं आगे फिर अपने संशोधन पर बोलूंगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (क) की पंक्ति १ से ३ तक के शब्द "किन्तु यह अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भूगृहादि (premises) पर न लगेगा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस विधेयक में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (घ) बढ़ा दिया जाय--

"(घ) ग्रामीण कृषक जिनके पास जोती जाने वाली भूमि ३० एकड़ से कम हो।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय के व्याख्यानों की सराहना करता हूं और मैं देखता हूं कि उन्होंने जो अपने व्याख्यान इस बिल के सम्बन्ध में दिये वे अत्यन्त सराहनीय हैं और एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकले वे दक्षता जाहिर करते हैं तथा इससे प्रयत्क्ष है कि जनता के कितने हित की बातें उनके विधेयक में हैं। यह एक परम आवश्यक बात है कि किसी भी विभाग को चलाने के लिये रुपये की आवश्यकता पड़ती है।

मनुष्य को सामूहिक रूप से देश की उन्नति करनी चाहिये। कहीं कहीं पर कोई ऐसा अवसर भी आता है कि हमें प्रतिबन्ध को तोड़ना पड़ता है। इस प्रकार इस विधेयक में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमको विचार करना होगा। इस बात को सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर किसानों की संख्या बहुत अधिक है ७५ परसेन्ट है। ऐसी दशा में हमें किसानों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। केवल कानून या विधेयक बना कर हम उनको लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। बल्कि हमको देश के अन्दर ऐसे कार्य करने हैं, जिससे जनता हमारा साथ दे। हमको उसका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिएं कि हम जनता के विचारों को अपने साथ लेकर चल सकें। हमारा इतना कह देना काफी न होगा कि कानून बना कर हम जनता को साथ कर लेंगे। जब तक हम जनता के विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हमको जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। यह सब जानते हैं और सब देखते हैं कि जनता के विचार एक तरफ जा रहे हैं और हमारी सरकार दूसरी तरफ जा रही है। क्या आप यह समझते हैं कि बिलों के बना लेने से जनता हमारा साथ देगी? जब तक आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो वह आपका साथ नहीं देगी।

आपने अधिक अन्न उपजाओ योजना बनायी और किसानों से अधिक अन्न पैदा करने के लिये कहा। मैं समझता हूं कि आप को इस योजना को सफ़ल बनाने के लिये किसानों के लिए पानी का भी ठीक तरह से प्रबन्ध करना पड़ेगा। बिजली द्वारा या और किसी प्रकार से आपको इस कमी को पूरा करना पड़ेगा। पानी की ओर हमको अधिक ध्यान देना है। हमारे सामने पानी की समस्या बहुत भारी मसला है। इसके लिये हमको ऐसे कार्य करने चाहियें जिससे देश के सब संकट दूर हो जायें। इसलिये मैं समझता हूं कि किसानों के लिए आप सब से पहले सिंचाई की सुविधा करें। हमको अपने आराम के लिये कम बिजली खर्च करना चाहिये। नगरों में बीमारों को भी बिजली देनी पड़ती है। हमें बड़ा दुःख होता है कि जब हम यह देखते हैं कि देहातों का सर्वनाश हो रहा है। मैं समझता हूं कि १०, १५ वर्ष से किसानों को यह आशा लगी है कि बिजली उनके गांव में आयेगी और इससे उनको सहायता मिलेगी। देहातों में हम बिजली के द्वारा किसानों को पानी दे सकते हैं। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह सिंचाई द्वारा देश की उन्नति का अधिक ध्यान रखें। सर्वप्रथम आपको यह करना चाहिए कि बड़े बड़े शहर जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, और बनारस इत्यादि। ऐसे नगरों में बिजली कम दी जाय और उस बिजली को अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत देहातों में पहुंचा दें, तभी भोले भाले किसानों का कल्याण होगा।

अन्यथा कृषकों की बहुत बुरी दशा हो जायगी और वे कभी भी उन्नति न कर सकेंगे। यदि हमें इन बेचारे किसानों को अपनी ओर आकर्षित करना है, जो बहुत दिनों से हमारी तरफ आशा लगाये हुये हैं कि कब उनको बिजली की सुविधा प्राप्त हो, तो हमें उनको सब प्रकार के सिंचाई के साधन देने होंगे। अब वह समय आ गया है कि यदि अब भी उनकी अवहेलना की गई और ध्यान न दिया गया तो मुझे भय है कि न मालूम क्या से क्या हो जाय। यह सब माननीय सदस्य जानते हैं कि किसानों की आज क्या दशा है। सरकार को पानी की मात्रा अधिक बढ़ाना है। हमारे प्रदेश की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है। हम देखते हैं कि हरदोई से पूर्व की तरफ़ भी भूमि समतल है और सात आठ हाथ पर पानी मिल जाता है। मैं पूर्वी जिलों का हाल भी जानता हूं और लगभग सब जिलों में घूम भी चुका हूं। मुझे यह दिखाई पड़ता है कि यहां के कृषकों को कृषि करने के तरीके मालूम नहीं हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि उनमें से जो सज्जन गांवों के रहने वाले हैं पूर्व के या

[श्री श्रीचन्द]

पश्चिम के दो गांवों में जाकर कृषकों को खेती के तरीके बतलावें। मैं चाहता हूं कृषकों को सिंचाई के ढंग बताये जायें। मैंने ढेकुल के बारे में प्रश्न भी किया था, हमारी सरकार तो बिजली आदि के कुंवों में बहुत रुपया खर्च कर रही है परन्तु बेचारे पूर्वी कृषक ढेंकुल से पानी चलाया करते हैं जैसे कि बच्चे खेल किया करते हैं। इन बेचारे किसान भाइयों के पास इतने साधन नहीं हैं कि रेहट भी लगा सकें। मैं पूर्व में देखता हूं कि रहट लगाना बड़ी भारी समस्या है। इसका कारण यह है कि इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि काग़जी गवर्नमेंट हो हम असली काम चाहते हैं। अभी माननीय हाफिज जी ने ऐसे शब्द कहे कि "भूखों रहना और बलिदान की आवश्यकता है" बड़ा सराहनीय भाव है। हमको इस कुर्बानी के लिये उद्यत रहना चाहिये। कुर्बानी से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मर मिटें या जान दे दें लेकिन जो वास्तविक सेवायें हैं वह हम करें और अपना कर्तव्य करते रहें। वह भी समय था जब हमारे देश के देशभक्त देवताओं की भांति पूजनीय थे, किन्तु आज हम कहां से कहां पहुंच गये हैं। बिजली की जो प्रतीक्षा हमारे कृषक भाई कर रहे हैं वह अभी तक उनको, प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं नहीं समझता कि कौन सा ऐसा दिन होगा जब कि कृषकों के लिये तमाम विद्युत साधन प्राप्त होंगे जिससे कि वह अपने तमाम खेती के सिंचाई कार्य सम्पन्न कर सकें। उसी समय हमारे देश की दशा विदेशों के लिये पथ सूचक होगी। अन्त में मैं इतने ही शब्द कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जितना भी हो सके देहात में बिजली बढ़ाई जाय और कृषि कार्यों के लिये जो बिजली काम में आती है उसके लिये बजाय कर बढ़ाये जाने के कम किया जाय। कल एक सज्जन ने कहा था कि श्री सरदार योगेन्द्र सिंह M.P. तराई के झंझहा क्षेत्र में लगभग ४ हजार एकड़ के भूमिधर हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई आदमी इतनी बड़ी कृषि भूमि का प्रबन्ध कर सकता है। मुझे पूर्ण आशा है कि इतनी बड़ी भूमि पर कोई भी अपना कब्जा नहीं रख सकता और न खेती की उपज ठीक तरह से प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिये यह परमावश्यक है कि जो निर्धारित सीमा मैंने अपने संशोधन में रखी है, ३० एकड़ भूमि तक जिन कृषकों के पास है उनसे कोई बिजली कर न लिया जाय और अगर लिया भी जाय तो बहुत ही मामूली होना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी कृषि भूमि ऐसी न हो जहां कृषकों पर इस प्रकार का कर बढ़ाया जाय। ३० एकड़ भूमि का प्रतिबन्ध मैंने इसलिये रखा है कि इतनी भूमि पर या इससे कम भूमि पर जो कृषक काम करता है वह बड़े परिश्रम से कार्य करता है और उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाता है इसलिये यह सर्व प्रथम और परमावश्यक है कि बजाय इस कर को बढ़ाने के उसको कम किया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरे दोस्त ने जो भाषण किया है और जो बातें उन्होंने कही हैं वह सही हैं। अगर उनके ख्याल में शायद यह बात नहीं रही कि सरकार की तरफ से एक इसी तरह का संशोधन आने वाला है जिसके मुताबिक वह बिजली जो कृषि के खर्चे में आने वाली है उसके ऊपर यह ड्यूटी नहीं लगाई जायगी। जो अमेंडमेंट दिया जा रहा है उससे ३० एकड़ ही नहीं बल्कि जितनी भी काश्तकारों की जमीन है चाहे वह कितनी ही हो, जो कोई खेती का काम करेगा उसके ऊपर यह ड्यूटी नहीं लगायी जायगी। उस सूरत में इस संशोधन की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती क्योंकि इससे ज्यादा चौड़ा और वसीअ अमेंडमेंट आ रहा है जिसमें यह बात शामिल हो जायगी। उम्मीद है माननीय सदस्य उसको वापिस ले लेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय(जिला अल्मोड़ा)--अमेंडमेंट के शब्द यदि मालूम हो जाते तो अच्छा है क्योंकि उससे ही हम यह जान सकेंगे कि उसकी मंशा क्या है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल परपजेज में जो बिजली इस्तेमाल होगी उस पर टैक्स नहीं लिया जायगा ।

श्री श्रीचन्द---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि इस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है इसका मुझे बड़ा हर्ष है और मैं बड़ी खुशी के साथ अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खंड (घ) बढ़ा दिया जाय--

"कृषि के उपयोग के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति पर"

यह संशोधन जिस समय मैं उपस्थित कर रहा हूं यह सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है । इस समय राष्ट्र के सामने जो सबसे आवश्यक प्रश्न है वह खेती उत्पादन की बात है और इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि अन्न उपजाने के के लिये अधिक से अधिक सहूलियत दे सकें उतना ही अधिक देश का कल्याण होगा। यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज यद्यपि हम स्वतंत्र हो गये लेकिन फिर भी हमें गल्ले के लिये बाहर का मुंह देखना पड़ता है और आज तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हमारी इस परेशानी और मुसीबत का फायदा उठा करके यहां के जो पंचमांगी हैं वह दूसरे देशों से गल्ला मंगा कर अपनी संस्था के नाम से मद्रास में बंटवाने की योजना कर रहे हैं यद्यपि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र रचा गया था यह जान कर प्रसन्नता हुई कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस बात को जल्दी समझ लिया और उस पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया और विदेशों से गल्ला किसी प्रकार केवल सरकार द्वारा होकर और संस्था द्वारा वितरण नहीं हो सकता है। मैं जिस समय इस प्रस्ताव को उपस्थित कर रहा हूं मुझे यह विश्वास है कि सदन का प्रत्येक व्यक्ति न कि इधर के ही बल्कि विरोधी पक्ष के सदस्य भी जिनकी भावनाओं को मैं जानता हूं कि वह गल्ले के विषय में और सभी विषयों में इस देश को आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं उनका भी इसमें सहयोग मिलेगा, सहयोग ही नहीं समर्थन मिलेगा मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आज इस खेती के उत्पादन कार्य में ही नहीं बल्कि उनका साथ और उनकी सहायता इस देश के तमाम नियोजन में जो कि सरकार की तरफ़ से हो रहे हैं उनका सहयोग हम लोग चाहते हैं। कारण यह है कि देश में इस समय दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। एक शक्ति तो वह है जो कि देश को चाहते हैं कि गरीब हो जाय भिखारी हो जाय ताकि उनको इस देश को अपने राजनीतिक लाभ में प्रयोग करने के लिये अवसर मिले और दूसरे वह लोग जो शान्ति चाहते हैं इस देश की उन्नति चाहते हैं । यह दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत मतभेद रखते हों लेकिन वह चाहते हैं कि इस देश को शक्तिशाली बना कर इसको आत्मनिर्भर बना कर के आगे बढ़ावें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा विरोधी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यद्यपि यह सही है जब वह कहते हैं कि वे उन शक्तियों का जो इस प्रकार से देश का अहित करना चाहते हैं उनके सब से बड़े विरोधी हैं। और साथ ही साथ जब यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का भी विरोध करते हैं तो यह दोनों चीजें बड़ी विषमता रखती हैं । यह निश्चित है कि इस समय कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है

[श्री रामनरेश शुक्ल]

इस देश को बनाने की। और उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करेंगे कि यद्यपि यह हो सकता है कि कुछ मतभेद वह रखते हों हमारे बनाने के रास्ते में। लेकिन इतना विश्वास हमारा अवश्य है कि वह जानते हैं कि हमारी नीयत है राष्ट्र को बनाने के लिये और हम यह भी जानते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर इसमें कुछ खतरा हुआ तो फिर किसी के सम्हाले यह देश सम्हल नहीं सकता है। इसलिये पंचमांगियों का मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है कि खेती और जितना भी नियोजन का कार्य हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाय। और टैक्सों की जो बात है उसका इस समय प्रश्न नहीं उठता। मेरे संशोधन का केवल मतलब यह है कि खेती से संबंधित जितनी भी बिजली का प्रयोग हो उस पर यह बढ़ती नहीं होगी। इसलिये मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है मैं उस संशोधन का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने अगर कोई अक्ल का काम किया है तो वह आज किया है। कम से कम किसानों के साथ अगर कोई भलाई की बात सोची गयी है, वह किसान जिनकी दुहाई हमारी सरकार की ओर के लोग बहुत दिया करते हैं हमें आज मालूम हुआ कि सचमुच कुछ तो उनके लिये प्रेम है कुछ तो हमदर्दी है, और चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो और कृषि की पैदावार बढ़े और अगर उसमें हमारी सरकार कुछ मदद कर सके तो बहुत अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब कि माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने इस पर एक छोटा सा भाषण भी दे डाला, गो कि हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बड़ी शिकायत रहती है कि विरोधी लोग विरोध ही किया करते हैं। इसलिये आज इस संशोधन के समर्थन में मैं कुछ अधिक भी समय ले लूं तो उपाध्यक्ष महोदय, आप उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे। हमें दुःख इस बात का होता है कि जो महानुभाव इस सदन में बैठते हैं जो इस समय अभी सो रहे होंगे यहां पर आकर देखते हैं कि कोई मंत्री महोदय बैठे हैं तो उन्हें खुश करने का तरीका है कि फौरन खड़े हो कर कहते हैं कि मैं क्लोजर मूव करता हूं। विरोधी पक्ष में थोड़े से लोग हैं। हमारे यहां चार-छः आदमी बोलने वाले हैं तो एकदम कलोजर मूव कर देते हैं और हमें बोलने का समय नहीं मिलता। मैं सरकार से कहता हूं कि अगर आप को कोई बिल जल्दी पास करवाना हो तो अगर जरूरत हो तो हम उसको दो मिनट में पास कर दें। लेकिन बीच में क्लोजर मूव करना शोभा नहीं देता है। अगर बहुमत वे का नाजायज फायदा उठा कर हमें बोलने से रोक सकते हैं तो मैं उन्हे बतलाना चाहता हूं कि हमारे पास भी बड़ी-बड़ी डाइलेटरी टैक्टिक्स हैं। जो लोग सो रहे हैं उनको घंटी बजवा कर जगवाने का भी विचार है। घंटी बजने पर सब लोग पधारेंगे। इससे सदन की शोभा बढ़ती है।

उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जब कि इस संशोधन में मतभेद है नहीं, हाउस में तो इस वक्तव्य की आवश्यकता क्या है?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन में हमें विरोध होता है उसमें कुछ थोड़ा सा कह कर रह जाते हैं। लेकिन जिसमें हम सहमत होते हैं उसमें तो बड़ी आवश्यकता है, कम से कम ठीक तो समझते हैं। उन्हें तो तसल्ली हो जाय कि कभी हम उनका साथ भी देते हैं, नहीं तो रोज यही समझते हैं कि रोज उनका विरोध करते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कह डालूं ताकि उनके दिल को शांति मिले। आज हमारे प्रान्त के किसान लोग सुनेंगे कि बिजली पर ड्यूटी लगी तो और लोगों के लिये लगी। आज हमारी प्रांतीय सरकार

हमारी पापुलर सरकार, हमारी छटी हुई सरकार ने किसानों की तरफ़ दयादृष्टि की और उनकी जो ऐग्रिकल्चर की पैदावार थी, गन्ना, फल, पपीता इत्यादि, उन सबको पैदा करने में सरकार ने हमारी मदद की। कम से कम खुश तो होंगे इस प्रान्त के किसान, क्योंकि यहां किसान ही ज्यादातर बसते हैं, किसानों का मुल्क है। इंडस्ट्रीज तो हमारे यहां ज्यादा नहीं है, किसानों से ज्यादा ताल्लुक है। तो मैं आज यह कहने के लिये खड़ा हुआ था कि सबसे ज्यादा अक्ल का काम हुआ तो आज। मैं माननीय रामनरेश जी को धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसा संशोधन लाये, पर मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय शिव नारायण जी इसको लायेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई बातें होती हैं, गवर्नमेंट की पालिसी की व्याख्या होती है और भवन के अन्दर वह बताई जाती है तो माननीय शिवनारायण जी उस पर काफी प्रकाश डालते हैं। आज माननीय रामनरेश जी इसको लाये, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि राम नरेश जी ने अपना वह कार्य जो क्लोज़र मूव करने का वह किया करते थे वह संशोधन लाने में लगाया है। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का एक नियम सा चला आ रहा है कि जो क्लोजर मूवर करता है वह दूसरी मिनिस्ट्री में डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो जाता है। इसी उम्मीद में .....

श्री शिवकुमार शर्मा--(ज़िला बिजनौर) आन ए प्वाइण्ट आफ़ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या क्लोजर मूव करने के ऊपर। हमें इसका अफ़सोस है कि अगर इसी प्रकार माननीय सदस्य बोलते रहेंगे तो उनके लंग्ज़ पर असर पड़ेगा और उन्होंने जो अक्ल की बातें कही हैं, हम ...

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ ?

उपाध्यक्ष--इतना मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह संशोधन पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं तो फलों की बातें करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय! गन्ने पर तो आया ही नहीं। अब तो सुना है कि गन्ने वालों को जो १ रुपया १२ आना मन मिलता था उस पर भी कीमत कुछ कम हो रही है। खैर, उनको तसल्ली हो जायगी कि अगर गन्ना पैदा करेंगे तो इस ड्यूटी के टैक्स से तो बचेंगे, यह दो आने ही बचेंगे। एक रुपया १० आने का भाव हुआ तो उसे ही कबूल कर लेंगे। और मैं समझता हूं इस सिलसिले में कोई ऐजीटेशन हमारे प्रान्त में नहीं करेगा। यह सब बताये देता हूं कि भाई गड़बड़ मत करना, हमारी सरकार ने बड़ी रिआयत की है। हमारे बड़े बड़े जो सरकारी भवन हैं उनमें जो बिजली जलती है और पंखे चलते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हम भी दारूलशफ़ा में दो, दो तीन तीन पंखे चलाते हैं, बाथरूम में रातभर बिजली जलती रहती है, कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उस पर कुछ देना तो पड़ता नहीं है अपनी गांठ से। कोई उसका ख्याल नहीं करता। अगर पैसा पड़ता होता तो असर पड़ता। खैर उसका कहना ही क्या। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय किसानों को जो बिजली दी जाती है उसी पर कुछ कहता और मैं सरकार को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने आज एक बात तो मानी, चाहे वह लाल टोपी की नहीं मानी, सफेद टोपी वालों की मानी। इसी बात की तसल्ली है और मैं बधाई देता हूं, कि उन्होंने यह जो वाजिब मांग यहां के लोगों की थी कि किसानों के ऊपर यह टैक्स न बढ़े उसको मान लिया। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि अच्छी बात किस ओर से आती है। अगर आप लाल टोपी की बात न मानें और सफ़ेद की ही मानें तो मैं दो मिनट के लिये टोपी रख दूंगा।

एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि जब हम बोलते हैं तो आपको क्यों बुरा लगता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि क्लोजर वगैरा कम मूव करें और हमें मौका दिया करें कि हम जनता से जो १० रुपया रोज भत्ता लेते हैं उसको तो अपना फ़र्ज पूरा करके अदा कर डालें। जो हम ठीक समझते हैं जनता के हित में वह जनता की ओर से यहां आकर कहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको मान लिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं समझता हूं। इसलिये कि जो संशोधन इस वक्त ऐवान के सामने है गवर्नमेंट को वह मंजूर है। मैं अपने दोस्त उपाध्याय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी उस संशोधन की ताईद की और जहां उनको यह मालूम हुआ कि कभी गवर्नमेंट अकल की बात भी कर लेती है, इस सदन को भी यह मालूम हुआ कि उपाध्याय जी मेरे दोस्त समझ सकते है क्या अच्छा है।

श्री रामनरेश शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है, जो कुछ मुझे कहना था वह मैं पहले ही कह चुका। अन्त में केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन हमारे मित्र और साथी उपाध्याय जी का विद्वतापूर्ण भाषण याद रखेगा और हम सब उनके आभारी हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उनके आभारी हैं और अकल वकल का जहां तक संबंध है, उसके विषय में तो वही सब से बड़े पैमाना हैं और उसी से नापा जा सकता है। खुशी की बात है कि उस पैमाने ने आज इस सदन में पहला काम करके दिखा दिया।

उपाध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खंड (घ) बढ़ा दिया जाय:

"कृषि के उपयोग के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति पर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के भाग (ग) के बाद जो अब (घ) हो गया है, निम्नलिखित नया भाग बढ़ा दिया जाय---

"(ङ) विभिन्न उद्योगों में लगे हुये मजदूरों के प्रयोग में आनेवाली बिजली पर"

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि सरकारी दल की तरफ से अभी-अभी एक ऐसा संशोधन उपस्थित हुआ जिसमें किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया कि यह छूटी कृषि के काम में आने वाली बिजली पर नहीं लगेगी, लेकिन शायद जल्दी में सरकारी दल के लोगों को मजदूरों का ख्याल भूल गया। उसी की पूर्ति करने के लिए मुझे इस संशोधन को उपस्थित करने की जरूरत पड़ी। अभी माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने एक शिकायत की कि जब कोई सुझाव विरोधी दल की तरफ से आता है तो माननीय मंत्री नहीं मानते हैं और अगर उसी किस्म का सुझाव सरकारी दल की तरफ से आ जाता है तो वे स्वयं मान लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने उस समय यही जवाब दिया था कि यह बात नहीं है।...

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब के जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों में वक्त जाया करने से क्या फ़ायदा है। हमने कहा, आपने कहा और बात खत्म हो गयी। अब आप जवाब दें और हम जवाब दें, इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उस समय माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि अगर कोई वाजिब बात होगी तो हम मान लेंगे। उनके इम्तहान का मौका फ़ौरन आ गया। जब किसानों के लिये एक संशोधन मान लिया गया तो मजदूरों के लिये दूसरा संशोधन क्यों नहीं

माना जायगा। इसमें माननीय वित्त मंत्री जी को ज्यादा परेशानी भी नहीं होनी चाहिये। अधिकांश जो बड़े २ कल कारखाने हैं वहां मजदूरों के क्वाटरों पर जो बिजली खर्च होती है, उसकी ड्यूटी वगैरह तो मालिक ही अदा करेंगे। ऐसे बहुत कम मजदूर होंगे जिन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री पहले संशोधन की तरह इसको भी मान लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे साथी त्रिपाठी जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसे कि अभी किसानों का मामला आया और उस संशोधन को मंजूर कर लिया गया, मैं समझता हूं कि जो मिलों में गड़-बड़ी पैदा होने वाली है इसकी वजह से मजदूरों में अगर वे मंत्री जी इस संशोधन को भी मान लें तो वह गड़बड़ी कम हो जायगी क्योंकि तमाम मिल के मजदूर जो कि बहुत कम तनख्वाह पाते हैं उनके क्वार्टर्स में भी बिजली लगी हुई है और इसका नतीजा यह होगा कि जिस वक्त यह टैक्स लग जायगा उस वक्त मिलमालिक उनसे टैक्स वसूल करने का काम शुरू कर देगा और सारे सूबे में एक नया झगड़ा खड़ा हो जायगा। मजदूर कहेगा कि यह जो टैक्स है यह मिलमालिक दे और मिलमालिक कहेगा कि यह टैक्स मजदूर दें। तो अगर सरकार इसके बारे में कोई एश्योरेंस देती है कि यह टैक्स मिलमालिकों से लिया जायगा मजदूरों से नहीं लिया जायगा तब तो हम अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार न इस संशोधन को मानती और न कोई ऐसा एश्योरेंस ही देती है तो फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा है और हम समझते हैं कि यह जो संशोधन हमारी तरफ से रखा गया है यह बहुत उचित है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान लें और अगर उनको कोई कठिनाई है तो यह आश्वासन दें कि जो यह टैक्स लगाया जा रहा है वह मजदूरों से न वसूल करके मिलमालिकों से वसूल किया जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मुझे यह बात बड़ी अजीब सी मालूम हुई कि या तो मैं इस संशोधन को मान लूं और अगर न मानूं तो एश्योरेंस दूं इस हाउस को कि यों करूंगा। अजीब सी बात है और शायद इस सदन की तवारीख में पहली ही बात हो कि इस तरीके से एक आदमी को मजबूर किया जाय और यह सारा मामला इस गलतफहमी पर मबनी। मैंने तो किसी काश्तकार को मुस्तसना नहीं किया। जो अभी यहां संशोधन मंजूर हुआ मैंने किसी काश्तकार को उसके जरिये से मुस्तसना नहीं किया। खेती को अलग्ता किया। जो मुस्तसना हुई है वह तो खेती हुई है। काश्तकार के घर अगर बिजली जलेगी तो उसको तो कीमत उसकी देनी ही होगी।

(इस समय ३ बजकर ३३ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

तो उस संशोधन की बिना पर मेरे इम्तहान का वक्त आ गया। एक साहब ने पहले कहा कि मेरे इम्तहान का वक्त फौरन आ पहुंचा। मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूरवाला कि मैं तो इम्तहान में पूरा उतर रहा हूं। अगरचे मैंने किसान को मुस्तसना किया होता तो मजदूर को भी जरूर करता। जो मेरे दोस्त तकरीर कर रहे थे उनके बयान में तो यह था कि जिन क्वाटर्स में बिजली लगी हुई है उसको तो मिलमालिक अदा करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो अपने घर लगा लेते हैं उनका थोड़ा सा मामला है, उनको सिर्फ मुस्तसना कर दिया जाय। अब इन मेरे दोस्त ने दूसरी तस्वीर बयान करनी शुरू कर दी। मैं तो इसे नहीं मंजूर करता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि माननीय वित्त मंत्री ने इम्तहान का पूरा परचा पढ़ा नहीं। असल में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि मैंने किसी किसान को तो इससे मुस्तसना किया नहीं बल्कि खेती को जरूर कर दिया। माननीय वित्त मंत्री यह भूल गये कि किसान और मजदूर में बहुत बड़ा अन्तर है। किसान के पास कुछ जरिया जिन्दगी को बसर करने का है, उसके पास खेती है और इस संशोधन के जरिये से तो हजारों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

एकड़ के भी किसान की खेती के काम में जो बिजली लगायी जायगी उसको भी ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि यहां किसान की ज्यादा जरूरत या मजदूर की मजदूर बेचारे के पास तो गुलामी की जंजीरों के अलावा और कोई साधन है ही नहीं कि अपनी जिन्दगी बसर कर सके। वह मिलमालिक की मरजी पर है और यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि जब मिल मालिक और मजदूर का झगड़ा पड़ता है तो ऐसे पेचीदा कानून निगोशियेशन के और कंसिलियेशन के हमारे सामने रख दिये जाते हैं कि मजदूर हमेशा परेशान हुआ करता है। तो जिसके पास और कोई जरिया है ही नहीं। सिर्फ रोजी का जरिया नौकरी है तो उसको तो और भी इस बात की जरूरत है कि उसके ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी न लगाई जाय। मैंने जरूर कहा कि यह मामूली सी बात है लेकिन हमारे साथी श्री जगन्नाथ मल्ल ने जो अंदेशा उठा सकते थे उनको भी जाहिर कर दिया और यह झगड़ा हो सकता था कि यह टैक्स मजदूर देंगे या मिल मालिक देंगे। अगर मिल मालिक ड्यूटी की कटौती करने लगेंगे तो मजदूरों के ऊपर और भी मुसीबत हो जायगी। इसलिये इस तकरीर की रोशनी में मैं उम्मीद करता हूं कि वह इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं कि मेरी राय बलद नहीं सकती है, हुजूरवाला।

अध्यक्ष-----प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के भाग (ग) के बाद निम्नलिखित भाग (घ) बढ़ा दिया जाय।

"(घ) विभिन्न उद्योगों में लगे हुये मजदूरों के प्रयोग में आनेवाली बिजली पर।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (ग) के बाद जो अब (घ) हो गया है, निम्नलिखित नया खंड (ङ) बढ़ा दिया जाय---

"(ङ) ऐसे उद्योग धंधे जो काटेज इंडस्ट्रीज की गिनती में आते हों या जिनके संचालन में ५ हार्स पावर तक का मोटर काम में आता हो।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन की जो भावना है उसको माननीय सदस्य समझेंगे। हमारी सरकार ने जब-जब उद्योग धंधे की बात आई है तो यही कहा है कि हम इसको बढ़ाने के लिये सहायता करेंगे और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे एग्रीकल्चर के लिये मंत्री जी ने मंजूर कर लिया है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब इसकी भी जरूरत है कि उद्योग धंधों में सहायता नहीं दी गई तो लोगों को प्रोत्साहन नहीं होगा और इनकी तरक्की नहीं होगी इसलिये हमने अपने संशोधन में ५ हार्स पावर के लिये ही रखा है जिससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे काटेज इंडस्ट्रीज के होंगे जो ग्रामों में चलेंगे। इसमें बड़े-बड़े मिल मालिकों के लिये जरूरत नहीं है। इनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह इनको चला सकें इसलिये मेरा संशोधन है कि अगर इसको बढ़ायेंगे तो उनको मदद और प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तरह से एग्रीकल्चर वाले को मंजूर किया है मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्री जी हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष---आप इसको (ङ) कहेंगे क्योंकि (घ) मंजूर हो चुका है।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक उनके कहने कामतलब है उनका कहना यह है कि :

"ऐसे उद्योग धंधे जो काटेज इंडस्ट्रीज की गिनती में आते हों या जिनके संचालन में ५ हार्स पावर तक का मोटर काम में आता हो। "या, किसी व्यक्ति द्वारा घरेलू इस्तेमाल के संबंध में।"

जहां तक ऐसे उद्योग धंधों का ताल्लुक है हमारी सरकार का यह कहना है और हमारी सरकार चाहती है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले जब सरकार की यह नीति है तो मैं समझता हूं कि जब ड्यूटी बढ़ा दी जायगी तो इसकी वजह से जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं वह नहीं बढ़ सकेंगे। और वैसे ही हमारे पूरे प्राविन्स में बिजली का एक रेट नहीं है। अलहदा अलहदा शहरों में अलहदा अलहदा किस्म के रेट्स हैं। किसी शहर में दो आने यूनिट, किसी शहर में आठ आने और किसी शहर में १० आने यूनिट है। तो मान लीजिये मुरादाबाद में कलई का काम होता है और वहां पर कोई शख्स ५हार्स पावर का इंजिन लगा ले, उससे काम ले। लेकिन दूसरी जगह अगर सस्ता रेट है तो वहा का बनाया हुआ माल सस्ता पड़ेगा। जहां बिजली तेज है वहां पर बनाये हुये माल के दाम यह टैक्स लगाने पर और तेज हो जायेंगे। जैसे खराद का काम है। अगर इटावा में उसे किया जाता है तो वह तेज पड़ेगा बनिस्बत लखनऊ। वैसे ही अन्तर होता है और टैक्स बढ़ जाने से और अन्तर बढ़ जायगा। अगर छोटे व्यवसायों को इस टैक्स से बरी नहीं किया जाता है तो यों ही बिजली के रेटों में असमानता होने की वजह से उनके द्वारा उत्पादित चीजों के भावों में काफी अन्तर होता है लेकिन टैक्स बढ़ जाने से भार और बढ़ जायगा और कीमतें और ज्यादा बढ़ जायंगी। इसलिये माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से एग्रिकल्चर वाला टैक्स उन्होंने मंजूर कर लिया है इसी तरह से वह इस संशोधन को भी मान लें ताकि हमारे देश में जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं, जिनको हमें पनपने देना चाहिये, वे पनप सकें। अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना चाहिये, राज्य की तरफ से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाय, न कि उन पर टैक्स लगाया जाय और इस तरह से उनके रास्ते में मजबूरियां पैदा की जायं ताकि छोटे छोटे उद्योग धंधे जिनमें सैकड़ों और हजारों आदमी लगे हुये हैं वह बेकार न हो जांय और उनके सामने परेशानी पैदा न की जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उस पर ठंडे दिल से विचार करें और इस संशोधन को ज़रूर मान लें।

श्री हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम--वीरेन्द्र शाह जी का यह जो संशोधन है मैं यह चाहता हूं कि यह मंजूर हो जाय मगर मैं उनको बतलाता हूं जिसके जरिये से वह खुद इसको सोच लें कि वाकई ऐसा होना चाहिये या न होना चाहिये। जहां तक कि काटेज इंडस्ट्री का ताल्लुक है यह ठीक है कि उनको एनकरेज किया जाय और उन पर कोई ऐसा बोझ न डाला जाय जो बोझ कि उनके लिये बरदाश्त के काबिल न हो। यह बात कि यह टैक्स जो लगाया गया है इसका असर हर काटेज इंडस्ट्रीज पर एक सा होगा मैं इसको नहीं मानता। हर काटेज इंडस्ट्री की हालत उसके सर्कम्स्टैंसेज़ के लिहाज से मुख्तलिफ है, उसकी प्रास्पैरिटी का, उसके आगे बढ़ने का और तरक्की करने का, ये सब हालतें जुदा जुदा हैं। आज यह उसूल मान लें कि जितनी काटेज इंडस्ट्रीज हैं वे कुल इसकी मुस्तहक हैं कि उनको इस ड्यूटी से मुस्तसना कर दिया जाय तो यह बात मेरे नजदीक सही नहीं है। तो इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को जिस हैसियत से यह मौजूद है मानने के काबिल नहीं समझता हूं।

दूसरे अगर इस अमेंडमेंट को इनकार्पोरेट किया जाय तो मेरे नजदीक इसकी इबारत भी ऐसी है कि इस इबारत के होते हुये उसके कोई डेफिनिट मानी कानूनी हैसियत से कभी निकल नहीं सकते और उसको इनकारपोरेट कर देना जिसमें कि इस कदर इनडेफिनिटनेस हो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

वह किसी कदर सही बात नहीं हो सकती। ऐसे उद्योग धंधे जो काटेज इंडस्ट्रीज की गिनती में आते हों, वे अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे कि किसी कानून में न हों बल्कि कोई आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा हो। मानो इसका मतलब मैं यह लगाऊं कि काटेज इंडस्ट्रीज का मतलब हर एक से है हर काटेज इंडस्ट्री इसमें इक्लूडेड है। दूसरा यह मतलब लगाये कि इसमें सब काटेज इंडस्ट्रीज इक्लूडेड नहीं हैं, यह काटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं जिनके लिये ५ हार्स पावर का मोटर इस्तेमाल में आता हो। जो ५ हार्स पावर के मोटर हैं वह ३ का भी काम करते हैं और ५ का भी काम करते हैं और कभी कभी ७ का भी काम करते हैं तो यह तो एक बड़ी मुश्किल हो जायगी अगर इस तरह से उनको मुस्तसना किया जायगा। मैं जानता हूं कि लोग इस तरह से इन मोटरों को इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते न तो इसके अन्दर इबारत ही डैफिनिट है जो किसी ला का पार्ट बन सके और न यह किसी तरह से सही है। सारी की सारी क्लास को एक्जम्प्ट किया जाय तो यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है। अगर किसी खास इंडस्ट्री की बात होती तो उसके ऊपर गवर्नमेंट गौर कर सकती थी लेकिन यह तो मेरे नजदीक सही बात नहीं मालूम होती है। मेरे दोस्त ने यह भी फरमाया था कि जहां पर ५ आना है वहां ६ आना हो जायगा, जहां पर ६ आना है वहां पर ७ आना हो जायगा। मैं यह कहता हूं कि पांच आना किसी पर नहीं है। मैंने तो यह बयान किया था कि इंडस्ट्री पर डेढ़ आना है कहीं पर ४ पैसा है तो उनकी थोड़ी रकम उसमें बढ़ जायगी। यह ५ आना और ६ आना का जो हिसाब है वह तो डोमेस्टिक परपज के लिये जो बिजली देते हैं उसके लिये है। इस वास्ते जो स्थिति वह बयान करते हैं वह पैदा नहीं होती है। ऐसी सूरत में इसकी जरूरत नहीं है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाय।

राजा बीरेन्द्र शाह—मैंने माननीय मंत्री जी, की बात सुनी। खेद दुख है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन को या तो समझा नहीं या अच्छी तरह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या गम्भीरता से उसके ऊपर गौर नहीं किया। मैं आपके जरिये से उनको बतलाना चाहता हूं कि जैसे माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि इंडस्ट्री एज ए होल पर यह बात लागू होगी यह बात नहीं है। मैंने तो अपने संशोधन में यह बात कही थी पूरी इंडस्ट्री पर यह लागू न हो बल्कि पांच हार्स पावर तक के जो उद्योग धन्धे हैं उनके ऊपर ही यह लागू हो। जो गरीब आदमी अपना छोटा-मोटा काम करने वाले हैं उनको ही एक्जम्प्ट करने की बात है। मैंने यह मुनासिब समझा था कि जो ऐसे छोटे उद्योग-धंधे हैं उनको ही बरी किया जाय। माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात यह कही है कि उन पर ड्यूटी डेढ़ पैसा लगेगी लेकिन आप तो दोनों तरह से उन पर बढ़ा रहे हैं। उसकी यूनिट पर भी बढ़ा रहे हैं और हार्स पावर पर भी बढ़ा रहे हैं। यह कहना कि सिर्फ उनसे ६ पैसा ही लिया जायगा और इतना ही बढ़ाया जायगा यह सही नहीं है। मैंने इस बिल में पढ़ा है उसमें यह है कि आप हार्स पावर पर भी बढा रहे हैं और यूनिट पर भी बढ़ा रहे हैं। इसलिये मैंने यह कहा था कि इतनी पावर के मोटर को आप उससे बरी कर दें। इसी वजह से सरकार को इसे मानना चाहिये। मैं सरकर से यह कहना चहता हूं कि एक तरफ तो वह यह कहती है कि उद्योग-धंधे बढ़ाये जायं और लोगों को उत्साहित किया जाय लेकिन दूसरी तरफ नाना-प्रकार के टैक्स इस तरीके से उनसे लेने की बात आप सोच रहे हैं और उसके लिये कुछ कहा जाता है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो यह मेरी समझ में नहीं आता। आपने जिस तरीके से अग्रीकल्चर वालों को छोड़ा है उसी तरीके से मैं यह चाहता हूं कि आप इन छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे करने वालों को भी इससे बरी कर दें। बहुत से लोग जो बेकार हो गये हैं शरणार्थि हैं और जमीदार हैं और दूसरे वर्ग जो खाली होकर आये हैं वह अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा करना चाहें तो उनके लिये कुछ सुविधा होनी चाहिये। तो अगर सरकार उधर ध्यान नहीं देगी तो उनके लिये कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी। आज यहां पर इस समय उद्योग मंत्री जी मौजूद नहीं है जो यह कहते हैं कि हम उनको सबसिडी देते हैं और दूसरी तरह की मदद देते हैं लेकिन जब इस

तरह से उनके लिये कुछ मदद करने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे उनकी मदद होगी। आप एग्रीकल्चर वालों को एक्जम्प्ट दे रहे हैं तो इन उद्योग धंधों को भी आपको छोड़ना चाहिये जिससे प्रान्त की उन्नति हो और देश का सुधार हो और यहां पर छोटे उद्योगधंधे बढ़े लेकिन सरकार उसके लिये तैयार नहीं है। मैं यह तो कहूंगा कि बड़े-बड़े जो उद्योग धंधे हैं उनको आप न छोड़िये लेकिन जो छोटे-छोटे है उनके ऊपर तो जरूर कुछ ख्याल कीजिये। अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो ५ हार्स पावर के मोटर हैं उनसे ५ का काम लिया जाता है और ७ का काम लिया जाता है तो यह भी तो एक छोटा ही काम है और किसी तरह से वह अपना काम करते हैं। यह हो सकता है कि ऐसा होता हो लेकिन अगर आप इस संशोधन को मान लें तो बहुत अच्छा है। जिससे हमारा मुकसद पूरा हो और सरकार इस में जिसे मुनासिब संशोधन समझें हम उसे करने को तैयार हैं। इस सिद्धांत को तो सरकार ने मान लिया है। यदि आप इस को नहीं मानते हैं तो आप यह न कहें कि हम जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं उन को बढ़ाना चाहते हैं। हम जो अच्छा सुझाव पेश करते हैं तो सरकार उन को नहीं मानती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर में छोटे-छोटे उद्योग चलाते हैं या करघा चलाते हैं उन को थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है तो इसके लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आपने मान लिया है कि आप अग्रीकल्चरल में इस तरह की सहायता दे रहे हैं तो मेरा संशोधन ५ हार्स पावर तक के लिये है। यदि उस को आप मान लेते हैं तो हम समझते हैं कि इससे सब का कल्याण होगा, लोगों का उत्साह बढ़ेगा और हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं इसे इसलिये मान लूं क्योंकि मैंने खेती के बारे में पहले ही एक चीज मान ली है तो यह एक ग़लत चीज है। उसकी बिना पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसे भी मान लें। मगर मैंने एक बात कही थी और जो ठीक भी है। उसके विरुद्ध में वे फरमाते हैं तो मैं यह दावत दे सकता हूं कि जो उन्होंने कहा है वह बिलकुल सही नहीं है। हार्स पावर और यूनिट को एक साथ लेना गलत चीज है। फर्क एक चीज का हो सकता है। वह यह है कि एक वन पार्ट टैरिफ होता है और वह यूनिट के बेसिस पर दर्ज किया जाता है। जैसे हमारे घर में जितनी बिजली खर्च हुई तो वह यूनिट में लिखी जायेगी और कीमत लेने पर ही वह वहां लगायी गई है। वह इस तरह से वन पार्ट टैरिफ कहलाती है। दूसरी दो पार्ट टैरिफ कहलाती है। मसलन किसी ने ५ हार्स पावर इन्डस्ट्री के लिये लिया तो उस के अन्दर उस इंडस्ट्री की कीमत से और इससे ज्यादा कीमत करने का मकसद होता है। उस का भी एक स्लाइडिंग स्केल होता है। यह दो पार्ट टैरिफ कहलाता है। वह जितना भी खर्च हो वह सारा यूनिट बेसिस पर है। मेरे दोस्त कहते हैं कि जो कुछ हमने कहा था हम उसे नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि वह बतला दें कि हम ने जो कहा और वह किया नहीं। मैं आप को बतला देता हूं कि इन्डस्ट्री के ऊपर कहीं ६ पैसे हैं और कहीं ४ पैसे हैं। उनका जो एतराज है वह एक टैक्निकल चीज है उसे वे समझे नहीं। दूसरी बात यह है कि जो बिल मौजूद है उसके अन्दर काटेज इन्डस्ट्री को मदद देने के लिये प्राविजन मौजूद है।

राजा वीरेंद्र शाह---माननीय अध्यक्ष जी, आप के जरिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बिल जो आप पास कर रहे हैं उसमें आप दोनों तरफ कर रहे हैं। आप हार्स पावर पर भी ले रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यूनिट बेसिस पर है। वैसे तो यह स्लाईडिंग स्केश कहलाता है। इस के ऊपर २५ फीसदी लागू है। यह २५ फीसदी उस खर्च पर होगा जो खर्चा किसी टैरिफ पर होगा। खर्चा हमेशा बिजली से निकलता है और बिजली का जो खर्चा निकाला जाता है वह सिवाय यूनिट पर ही निकलता है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह कि खंड ३ के प्रथम प्रतिबन्ध के उपखंड (घ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ङ) बढ़ा दिया जाय।

"(ङ) ऐसे उद्योग धंधे जो काटेज इन्डस्ट्रीज की गिनती में आते हों या जिन के संचालन में ५ हार्स पावर तक का मोटर काम में आता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८
विपक्ष में--१२८

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में अंक "९" के स्थान पर अंक "६" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता द्वारा उपभुक्त एनर्जी "विद्युतशक्ति" पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) नहीं लगाई जायगी यदि उसके लिये लगाई गई दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से अधिक हो। मैं इस के स्थान पर यह चाहता हूं कि यह जो ९ आने की सीलिंग रखी गई है वह ६ आना रखी जाय। साधारण विवाद के समय....

अध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि सदन में जरा शांति रहे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं कह रहा था कि मैंने साधारण वादविवाद के समय शीशे के महल का जिक्र किया था। उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात का इशारा किया था कि यह इस प्रदेश की सरकार के अधिकार में नहीं है कि वह शीशे के महल को तोड़ कर आगे निकल जायं। अगर ऐसी ड्यूटी लगेगी तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा लग सकेगी परन्तु यह जो संशोधन है वह ऐसा है जो इस प्रदेश की सरकार के अधिकार में ही नहीं है, बल्कि वित्त मंत्री जी के अधिकार में भी है। सुबह मैंने बताया था कि यह हमारे लिये फख्र की बात नहीं है कि एक तरफ तो एक जिले में ४ आना यूनिट हो और दूसरी तरफ दूसरी जगह माननीय वित्त मंत्री के शब्दों में १३ आने तक का रेट है। इसकी जिम्मेदारी है तो वह प्रान्तीय सरकार पर ही है क्योंकि सन् ४८ के ऐक्ट में जिस बोर्ड का जिक्र है, उसे सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। अगर वह बोर्ड बन जाता तो शायद इतनी असमानता सूबे के रेट्स में न रहती। दूसरी तरफ माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जहां तक इंडस्ट्रियल कामों के लिये बिजली का सवाल है वह कहीं ३ पैसे और कहीं ६ पैसे के हिसाब से मिलती है। मेरे ख्याल से उन्होंने यह बात सरकारी पावर हाउसेज वाली बिजली के संबंध में कही। मुझे मालूम होता है कि फैजाबाद में जो बिजली सप्लाई का लाइसेंस है वह इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये ढाई आने और ३ आने लेते हैं, शायद मेरा ख्याल गलत हो लेकिन वहां इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये भी ढाई आने और ३ आने रेट कर दिया गया है। जहां पर रेट कम हैं वहां पर थोड़ी बहुत हालत इंडस्ट्रीज की अच्छी ही होगी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह कैपिटल लेवी नहीं लगा सकते हैं लेकिन जो पहले से इस दस आने और १२ आने दे रहे हैं वह इसी तरह से देते रहें यह मुनासिब नहीं है। इस तरह से अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जायगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट की आमदनी में दस-बीस हजार की कमी हो जाय, लेकिन इक्वेलिटी के सिद्धांत पर इस तरीके से ज्यादा देने वालों के हकूक भी महफूज हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक साधारण सा इन्नोसेन्ट संशोधन है और इस को मानने में कोई दिक्कत न होनी चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, मैं समझ रहा था कि शायद मेरे दोस्त कोई ऐसी तरकीब बतला रहे हैं कि संशोधन के जरिये से कैपिटल लेवी के बजाय यह हो जाय तो हमारी जरूरतों की पूर्ति हो जायगी लेकिन एक बात और निकली वह बात है और आमदनी घटाने की बजाय बढ़ाने के। अब तक जो सीलिंग दी गई है वह यह है कि ९ आने से ऊपर नहीं होगा लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ ६ आने हो और जहां ६ आना हो उसके ऊपर ७ आना न हो सके।

यह ऐसी बात की है कि अभी थोड़ी देर हुई एक दूसरी बात के सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा टैक्स लगाना बेकार है जिससे स्टेट के फाईनेंसेज को कोई ऐड न मिलती हो, लेकिन इस संशोधन से तो बजाय बढ़ने के और आमदनी घटती है। ७, ८ और ९ आना हजारों आदमी दे रहे हैं वे सब के सब इससे मुस्तसना हो जायेंगे। इसलिये बजाय इसके कि ६ आना कर दिया मैं यह ज्यादा अच्छा समझूंगा कि बिलकुल टैक्स लगाया ही न जाय। इसलिये इस मशविरे को कि ९ आने के ६ आना कर दिया जाय मैं गवारा नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री की दलीलें सुनीं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका आधार केवल यही था कि जो बोर्ड नहीं बना उसकी वजह से जो मुख्तलिफ जिलों में बिजली के रेट्स बढ़ गये, कहीं ४ आना तो कहीं १३ आने हो गये, उनसे और भी ज्यादा लिया जाय। मैंने तो संशोधन इसलिये पेश किया था कि जो लोग पहले से ज्यादा दे रहे हैं उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाय। वे हमारी बात को भी मानते नहीं हैं कि विधान को तब्दील करके कैपीटल लेवी को लगाकर अपने बजट को ६५ करोड़ के बजाय २०० करोड़ का कर लें। उनके सामने मजबूरी है, अपनी मजबूरी को वही समझ सकते हैं। मेरे सामने तो कोई मजबूरी नहीं है। जिनको पहिले से ही ज्यादा देना पड़ रहा है उनको कुछ रिलीफ मिल जाय उसके बजाय वे यह मानने को तैयार है कि कोई टैक्स ही न लगाया जाय। लेकिन उन पर जो ज्यादा बोझ पड़ रहा है, उनके बोझ को कम करने के लिये तैयार नहीं है। कितनी ही वाजिब बात हो लेकिन वह अक्सरियत की वजह से मानने को तैयार नहीं है। अभी राय ली जायगी तो फैसला भी उन्हीं के हक में होगा। अभी तो १५ अक्टूबर तक सेशन चल रहा है। एक दो हथियार और भी सामने आयेंगे, न जाने अभी तरकश में कितने तीर बाकी हैं। अगर इसमें ४:५ हजार का नुकसान भी हो जायगा तो आगे और चीजों पर भी टैक्स लगाने का उनको अधिकार है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी कम से कम इस मामूली सुझाव को तो अवश्य ही मान लेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, अगर मुझे यह यकीन होता कि जब दूसरी जगह मैं इसकी पूर्ति करने लगूंगा तो मेरे दोस्त उसकी ताईद करेंगे, तब तो मैं यह मान लेता मगर मुझे इसका कतई यकीन नहीं है। और अगर यकीन करूं भी तो अपनी जिन्दगी में सबसे ज्यादा गलती करूंगा। इस लिहाज से मजबूरी है इस संशोधन को मानने में।

एक बात और है वह यह कि यह बात बिलकुल गलत है कि सन् ४८ के ऐक्ट के मुताबिक अगर बोर्ड बने होते तो, जो बिजली के रेट्स हैं वे कुछ के कुछ होते। उनका यह मुगालता गलत है। उस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके जरिये से ऐसा हो सकता हो। यह मैं पहिले ही बतला चुका हूं कि क्यों उस बोर्ड को कायम नहीं किया गया। उसकी पूरी वजह बयान कर चुका हूं जिसके दुहराने की कोई जरूरत नहीं है। उसी कानून के मातहत मैंने इस वक्त ११, १२ जिलो में कमेटीज बैठाई हुई हैं, जो उनके यहां जांच कर रही हैं। जो भी फायदा पहुंच सकता था वह पहुंचाया गया और पहुंचाया जा रहा है। कमेटीज बैठी हुई है जो रेट्स की जाच कर रही है। उनका जो भी नतीजा होगा वह हमारे सामने आयेगा। इसलिये सन् ४८ के ऐक्ट की और बोर्ड की दुहाई देना गैर जरूरी है। इसलिये मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि लोगों को तकलीफ दूं और सिर्फ इतना सा पैसा लूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में अंक "९" के स्थान पर अंक "६" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवकुमार शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ३ के द्वितीय प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ के शब्द "एकाई" के बाद शब्द "या इस" बढ़ा दिये जायं। यह बिलकुल निर्दोष लिट्रेरी प्रकार का संशोधन है। वित्त मंत्री जी के अर्थ में कोई अन्तर नहीं लाता और न भाव में। सिर्फ साहित्यिक ढंग का संशोधन है। अगर इसको कर दिया जाय तो शब्द और स्पष्ट हो जाते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं माफी चाहता हूं कि मैं समझा नहीं कि उनका मतलब क्या है। क्या हिन्दी में जो लिखा है उसके मतलब में कोई गड़बड़ी है ?

अध्यक्ष---उसका मतलब तो यह होता है कि ९ आने से कम हो तो उसके ऊपर असर होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस बिल में दो बातें रखी हुई हैं। एक तो यह कि जहां ८ आने है पहले से उस ९ आने का १० आने नहीं होगा और दूसरी यह कि जहां कम है वहाँ उसमें ९ आने से ज्यादा नहीं होगा अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो ३ पैसे की अगर कमी है तो ३ पैसे बढ़ेगा और अगर दो पैसे की कमी है तो २ पैसे बढ़ेगा जिससे ९ आने से ज्यादा न बढ़ जाय। और अगर अब इसको बदला जाता है तो सारे कलकुलेशंस को बदलना पड़ेगा और अब उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है जो इसमें दिये गये है।

श्री शिवकुमार शर्मा---मेरा संशोधन तो बिलकुल निर्दोष था उससे इस बिल के भाव और अर्थ में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता। ९ आने या इससे अधिक। ९ आने तो आखिरी लिमिट होगी ही लेकिन इससे "या इस" से और अधिक स्पष्ट हो जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो मतलब ९ आने से ज्यादा का है वह तो इसके अन्दर बिलकुल साफ है और जो चीज है वह बिलकुल साफ है उसको बदलने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा---माननीय वित्त मंत्री, मैं और मेरे में कोई अन्तर नहीं है सिवाय लेकिन दुर्भाग्य से हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं इसलिये मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि संशोधन को वापिस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---माननीय रामनारायण त्रिपाठी, मैं समझता हूं कि आपका संशोधन जो पहले नामंजूर हो चुका है उसके बाद यह संशोधन अवैध सा मालूम पड़ता है। आप कैसे कहते हैं कि वैध है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रतिबन्ध और तीसरे प्रतिबन्ध में थोड़ा सा फर्क है। दूसरा वाला तो यह है, "उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) नहीं लगायी जायगी यदि उसके लिये लगायी गयी दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से अधिक हो।" तीसरा प्रतिबन्ध जिससे इस संशोधन का संबंध है वह यह है "यदि लगायी गयी दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से कम हो, तो किसी भी एक यूनिट (एकाई) पर लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) ऐसी कम की गयी धनराशि होगी जो उसके लिये लगायी गयी दर के साथ ९ आने से अधिक न हो।"

अध्यक्ष---तो यह उसके विपरीत पड़ता है। जब उसका वहां पर सीलिंग ९ आने कर दिया तो यहां ९ आने की सीलिंग फिर से कायम कर रहे हैं। यह तो उसके विपरीत पड़ता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन जिसका मैंने नोटिस दिया था वह इस प्रकार था। कि खंड ३ के चौथे प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह ड्यूटी किसी भी सहकारी समिति द्वारा गृह-उद्योग में व्यय हुई बिजली पर वसूल नहीं की जायगी।"

अध्यक्ष---आपका भी संशोधन अवैध है।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं उसको इस रूप में उपस्थित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष--मैं इसको इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी --माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस पूरे खंड ३ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का साहस अधिक इसलिये होता है कि चूंकि अभी थोड़ी देर हुई माननीय वित्त मंत्री जो ने यह कहा कि मैं इस बिल के पूरे खंडों का या पूरे टैक्स का विरोध गवारा कर सकता हूं, लेकिन यह गवारा नहीं कर सकता कि ९ आने के बजाय ६ आने हो जाय। चूंकि वह गवारा कर सकते हैं और चूंकि यह टैक्स इस खंड द्वारा लगाया जा रहा है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

इस खंड ३ के द्वारा हमारे माननीय मंत्री जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, टैक्सेशन के इतिहास में यह एक नया तरीका है, एक नया सफ़ा है। मैं तो उनको बता देना चाहता हूं कि बिना प्लानिंग कमीशन की राय के, बिना फ़ाइव इयर प्लान की रेकमेंडेशन के जिसका जिक्र इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में भी किया गया है, बिना उसकी राय के, बिना किसी भी कमेटी की राय के, जो कि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों ने हाल ही में बिठायी हैं, उन्होंने इस सुन्दर टैक्स को लगाने का इस खंड ३ के जरिये फैसला किया। जो डिबेट अभी चल रही थी उसमें हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने बताया था कि यू० पी० में ६ यूनिट का औसत पड़ता है, प्रति कुटुम्ब। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के दफ्तर में गया और वहां से मालूम हुआ कि छः यूनिट तो पुरानी किताबों में लिखा है। आज कल का औसत 'बीस यूनिट' प्रति कुटुम्ब है। आपके इंजीनियर साहब ने मुझे बताया है। यह 'लेटेस्ट फीगर्स' हैं। चूंकि आपने कहा था कि रेट्स ले लें दफ्तर से। इसलिये मैं वहां गया था और उन्होंने मुझे यह बताया। तो अब बीस यूनिट से हिसाब लगा लें तो खंड तीन में कहा गया है, एक यूनिट पर एक आना ड्यूटी। तो हिसाब लगा लें। बीस यूनिट का बीस आना। सवा रुपया महीना हमारे बिजली के उपभोक्ताओं पर बढ़ जायगा।

अब जिन सहूलियतों का माननीय मंत्री जी दावा कर रहे हैं उनको देखिये। पहला प्रतिबन्ध तो उन्होंने यह रखा है कि ९ आने से ऊपर जहां रेट होंगे वहां पर यह टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी सहूलियत यह है कि एक आना यूनिट से ज्यादा किसी हालत में नहीं लगेगा और तीसरी सहूलियत यह है कि इतनी ड्यूटी ज्यादा लगाई गयी जिससे रेट और ड्यूटी मिला कर ९ आने से ज्यादा न हो। यह ३ सहूलियतें इस खंड में दी हुई हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाय तो कितने प्रान्त के शहरों को राहत आपने दी? मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी खुद देखेंगे कि बड़ी होशियारी से यह हिसाब लगाया गया है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--और आप क्या समझते हैं कि बेवकूफी से?

श्री नारायणदत्त तिवारी--आप देखिये कि ५२ जिलों में केवल एक सीतापुर म्यनिसिपैलिटी को ही इससे फायदा पहुंचता है जहां पर रेट ९ आने और ५ पाई है।

दूसरा प्रतिबन्ध लीजिये, जिसमें कहा गया है कि रेट इतने घट जायंगे कि जिससे रेट और ड्यूटी मिला कर ९ आने से ज्यादा न बढ़ें। इससे सारे प्रदेश में केवल ३ नगरों को फायदा पहुंचता है। एक देवरिया, दूसरा बस्ती और तीसरा खलीलाबाद। इन तीन जगहों में ८ आना रेट है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और जहां तक तीसरा प्रतिबन्ध एक आने वाला सवाल है फ़ी यूनिट एक आने से किसी हालत में अधिक न लगे, उससे जितने कैबाल टाउंस हैं यू० पी० में उनको फायदा नहीं पहुंचता। जितने बड़े-बड़े कार्पोरेशंस बनाये जा रहे हैं मंसूरी, नैनीताल और पांचों, छओं जितने बड़े शहर हैं बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ मंसूरी जितने भी बड़े शहर हैं इनमें आधा पाई का भी फायदा कंज्यूमर को नहीं पहुंचता।

तो जितने प्रतिबन्ध रेट्स के जरिये से लगाये हैं वह इतनी होशियारी से लगाये गये हैं कि सरकारी प्रचार के मामले में ठीक उतरते हैं। कहा यह जाता है कि प्रोपेगेंडा विरोधी दल करता है, मगर जो प्रावीजेंस रख दिये गये हैं उनके जरिये से रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं पहुंचता यह हमारा टैक्सेशन है, जिस पर कहा जाता है कि हम सहूलियतें देते हैं।

और प्रान्तों की क्या हालत है? बम्बई, मद्रास और बंगाल में ३ जगह, इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है और वह लगाई जाती है केवल लाइट और फैंस पर, 'बिजली' पर और 'पंखों' पर। हमारे यहां तो सरकार ने सिनेमा भी इसमें डाल दिया। पहले इंटरटेनमेंट टैक्स तो था ही, अब सिनेमा टिकटों में और भी घपला पड़ेगा। इस तरीके से निम्न मध्यम वर्ग की जो जनता है उसी पर बोझा जायगा। तो मैं कह रहा था कि बम्बई, मद्रास और बंगाल में बिजली और पंखों पर ड्यूटी लगाई जाती है, डोमेस्टिक परपज़ पर नहीं पड़ती, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पर नहीं पड़ती, ऐग्रिकल्चरल परपजेज़ पर नहीं पड़ती और किसानों के घरों पर भी, गांव में नहीं पड़ती, चाहे किसानों को खेती के लिये देने को हो या घर में जलाने को। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खेती को ड्यूटी की छूट देने का मतलब यह नहीं है कि किसान के घर में ड्यूटी नहीं लगा सकते, बड़ी सफ़ाई के साथ उन्होंने कहा कि उस पर टैक्स पड़ेगा। किसान के घर में तो इसमें भी टैक्स लग जायगा। तो बम्बई, मद्रास और बंगाल में कहीं भी इस तरह का टैक्सेशन हम नहीं देखते और जब बम्बई ने सन् १९४३ में टैक्स बढ़ाया, ड्यूटी लगाई तो एक बड़ी तारीफ़ के साथ, मानना पड़ेगा उनकी काब्लियत को। बिजली की ड्यूटी बढ़ाने के पहले उन्होंने बिजली कम्पनी से ६ पाई दर घटवा ली। आर्डिनेंस के जरिये सरकार ने एलेक्ट्रिक कम्पनीज़ को आर्डर दिया कि आप अपने रेट्स में से छै पाई फी यूनिट माहवारी कम कर दीजिये और कम्पनियों को मजबूर होकर कम करना पड़ा। उसके बाद सरकार ने फिर छै पाई बढ़ाया। आज तक वह ड्यूटी लागू है। हमारे यहां रेट्स कमेटी की रिपोर्ट अभी आयी नहीं है। इस बात को हम जानते हैं कि कम्पनियों ने कितने प्रकार के रेट्स लगा रखे हैं। कई-कई कम्पनियों ने अलग-अलग सरचार्जेज लगा रखे हैं। सोहावल में और कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट अंडर टेकिंग्ज ने और मार्टिन कम्पनी ने कई प्रकार के अलग अलग रेट्स लगा रखे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले व्योरेवार अलग-अलग बतलाया था। अगर खंड तीन के जरिये आप यह करते कि रेट्स घटा देते और फिर जितना घटाते उसी अनुपात से ड्यूटी लगा देते, तो जनता को कोई नुक़सान नहीं होता। श्रीमन् हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बम्बई के एक और उदाहरण पर ध्यान नहीं दिया। बम्बई में इतना ही है हमें तो एक और 'एक्जेम्पशन' मिलता है। मद्रास में एक बहुत ही आश्चर्य की चीज है। गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मद्रास के बारे में अक्सर उदाहरण दिया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी के बारे में भी, मद्रास का उदाहरण दिया गया। कल जब मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन का प्रश्न आया, तो उसके बारे में केवल मद्रास का उदाहरण हमारे माननीय गृह मंत्री ने दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप खंड ३ के सम्बन्ध में मद्रास का अनुकरण करेंगे।

मद्रास में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कंज्यूमर्स से नहीं ली जाती है बल्कि कम्पनियों से ली जाती है। यहां तो इस कानून के द्वारा "कम्पनियां अप्वाइंटेड अथारिटी हो" जायंगी, सरकार की तरफ से और वे सीधे कंज्यूमर्स से चार्ज कर लेंगी और अगर किसी बेचारे ने नहीं दिया तो १५ दिन के अन्दर कनेक्शन साफ। मद्रास के अन्दर यह है :—

"In Madras the tax is levied on companies. the Government may authorise the companies to increase their rates but no such authority has yet been i ven."

[मद्रास में टैक्स कम्पनियों पर लगाया जाता है। सरकार कम्पनियों को अधिकार दे सकती है कि वे अपने रेट बढ़ा दें परन्तु अभी तक ऐसा कोई अधिकार दिया नहीं गया है।]

उस ऐक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कम्पनीज पर एलेस्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ने के कारण कम्पनीज अपने रेट्स बढ़ाना चाहें तो गवर्नमेंट से पूछ करके बढ़ा सकती हैं। वहां कई बार कम्पनीज ने गवर्नमेंट से पूछा कि हम रेट्स बढ़ायें क्योंकि आप हमसे ड्यूटी लेते हैं परन्तु मद्रास सरकार ने इनकार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमन् माननीय मंत्री जी से कि अगर आप लेना ही चाहते हैं तो क्यों आप कंज्यूमर्स से लेते हैं, मार्टिन सप्लाई कम्पनी से लीजिये, उन तमाम अलग अलग कम्पनीज से लीजिये जिनका नाम आपने इसमें रखा है, सेठ रामगोपाल ऐंड पार्टनर, एटा, वेस्टर्न यू० पी० कम्पनी, इटावा इत्यादि। किशोर कम्पनी बदायूं इत्यादि। इस प्रकार की जो तमाम व्यक्तिगत कम्पनियां हैं जो ऐसे 'एक्जार्बिटेंट रेट्स' कंज्यूमर्स से लेती हैं। जिनके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, उनसे अगर आप इस प्रकार की ड्यूटी लेते तो मैं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं है।

एक और एक्जेम्पशन देखने में आया वह वैस्ट बंगाल का है। वह किस प्रकार का एक्जेम्पशन है? जो परिवार १५ यूनिट या १५ यूनिट से कम माहवारी खर्चा करता है उससे ड्यूटी नहीं ली जाती है। यह कितना अच्छा कंसेशन है। जितनी शहर की निम्न मध्यम वर्ग की जनता है, उसके लिये ड्यूटी माफ़ हो जाती है। क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान बंगाल में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के इस प्रतिबन्ध की ओर गया? जब हम इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं कि किसानों के खेती में उपयोग होने वाली बिजली पर ड्यूटी माफ़ कर दी जाय, तब हम शहर के लोगों को क्यों भूल जाते हैं। यह ठीक है कि हमारे प्रदेश में किसानों की हालत ख़राब है, लेकिन क्या हमारे शहरों में सब अमीर बसते हैं। क्या हमारी सरकार को यह विश्वास हो गया है कि हमारे शहरों में सभी वर्गों के पास, चाहे वे क्लर्क हों, चाहे वे नौकर हों, चाहे वे छोटे दूकानदार हों, चाहे बिसाती हों, चाहे खोंचे वाले हों जो एक एक दो दो बल्ब जलाते हों, इतना पैसा हो गया है और वे इतने रईस हो गये हैं कि किसानों की ड्यूटी माफ़ कर दी जाय, जो कि ठीक लेकिन उनके लिये कोई कंसेशन न हो। मैं तो इस बात को चाहता हूं कि खंड ३ में कोई ऐसा प्रतिबन्ध होता कि जो मकान मालिक महीने में १० या १५ यूनिट बिजली खर्च करेंगे उनसे यह ड्यूटी नहीं ली जायगी बल्कि जिनका इससे ज्यादा खर्चा होता है उनसे ड्यूटी ली जायगी। लेकिन अफ़सोस, श्रीमन्, कि इस ओर हमारे माननीय मंत्री जी का और हमारी सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया और अब तो जब कि उन्होंने एक संशोधन द्वारा उचित प्रकार से किसानों को खेती के उपयोग करने के लिये ड्यूटी को माफ़ कर दिया तो मैं तो अब भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार का एलान करें और आगे प्रतिबन्ध लगायें और संशोधन उपस्थित करें जिसके जरिये यह हो सके कि जो शहर के गरीब कंज्यूम हैं उनके लिये यह रख दिया जाय कि जिनका इतने यूनिट से कम महीने म

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बिजली का खर्चा है उनसे किसी प्रकार की डयूटी वसूल नहीं की जायगी। इससे यह होगा कि शहरों में जो हमारे ग़रीब भाई हैं, मजदूर हैं, जिनके लिये एक संशोधन हमारे भाई माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया था, उनको कुछ सहूलियत मिल जायगी।

इसके साथ ही साथ जहां तक इंडस्ट्रियल कंजम्शन का सवाल है इस ओर भी मैं, श्रीमन् अपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन रेट्स में जो खंड ३ के ज़रिये रखे जा रहे हैं आप देखेंगे कि इसमें वन पार्ट टैरिफ है इसमें तो सब प्रकार के प्रतिबन्ध हैं लेकिन टू पार्ट टैरिफ और किलोवाट टैरिफ, इसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है जब कि और प्रान्तों में हम यह देखते हैं कि मद्रास में यह कहा गया है कि जो बिजली कम्पनियां शहरों में १६,६६६ यूनिट्स से कम खर्च करती हैं उन पर कोई डयूटी नहीं ली जायगी या जिन कम्पनियों के द्वारा साल में दो साल यूनिट्स से कम उत्पादन होता है और कंज्यूमर्स को दिया जाता है उन पर भी कोई डयूटी नहीं लगायी जायगी। तो इस प्रकार उन्होंने वहां काटेज इंडस्ट्रीज को, ग़रीब लोगों को सहूलियतें दी हैं। क्या हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान मद्रास के इस आवश्यक प्रतिबन्ध की ओर नहीं गया? मैं समझता हूं कि अगर इस ओर जरा भी उन्होंने ध्यान दिया होता कि और प्रान्तों की क्या हालत है तो इतना बड़ा भार हमारे यहां की जनता के ऊपर न आता। इंडस्ट्रियल कंजम्शन के सम्बन्ध में जो कि मैंने अभी इस खंड के बारे में बतलाया श्री पी० दास गुप्ता की राय मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"The exemption of electricity used as power in industrial undertakings is a good feature of the tax. It keeps down the cost of production of things in the production of which electricity is used as power. It also encourages the use of electricity as power as against petrol, which is heavily taxed and keeps it at par with coal gas etc."

[औद्योगिक कार्यों में शक्ति के रूप में उपयुक्त होने वाली बिजली के विषय में अपवाद कर देना इस टैक्स का एक अच्छा पहलू है। इससे उन वस्तुओं का उत्पादन-व्यय बढ़ने नहीं पाता जिनके उत्पादन-व्यय में बिजली का प्रयोग शक्ति के रूप में होता है। पैट्रोल के मुकाबले में जिस पर कि टैक्स बहुत अधिक है, इस अपवाद से, शक्ति के रूप में होने वाले बिजली के उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है और यह उपयोग कोयले और गैस आदि के उपयोग के बराबर ही रहता है।)

तो यह इतना आवश्यक है कि जिसमें कि बड़ी बड़ी तमाम हमारी 'अथारिटीज़' हैं उनकी राय जो है अगर इसकी ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो इस टैक्स विधेयक को लाने के पहले और इस खंड को लाने के पहले वह कम से कम दस बार सोचते। और मैं तो अब भी कहूंगा कि वह फिर इस पर सोचें और जो कुछ भी कमियां रह गयी हैं और जिन कमियों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है उनको वह दूर करने की कोशिश करें। या तो यह होता कि हमें और प्रान्तों का कोई अनुकरण नहीं करना है लेकिन जब समय समय पर सरकार की ओर से दूसरे प्रान्तों की मिसालें रखी जाती हैं तो इस टैक्स विधेयक के बारे में चुप्पी क्यों, इस खंड ३ के बारे में चुप्पी क्यों? क्यों नहीं माननीय मंत्री जी ने हमको कोई मिसाल बतलाई कि और प्रान्तों में किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी डयूटी लगायी जाती है। और इसके साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि अंग्रेजी के विधेयक में तो लिखा हुआ है १ आना और जो हिन्दी का है उसमें है ९ आने।

अध्यक्ष—इसको दुरुस्त करना पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ इसलिये मैंने कहा और आपकी आज्ञा के अनुसार जो हिन्दी का होता है वही सही है इसलिये ही मैंने इस ओर ध्यान दिलाया।

अध्यक्ष—मेरे पास इसके बारे में एक संशोधन अभी आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उसकी चूंकि घोषणा नहीं हुई थी इसलिये मुझे कहना ही पड़ा। तो इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं फिर आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस विरोध को केवल विरोध के लिये विरोध न मान कर बल्कि इन तथ्यों के आधार पर विरोध मान कर इसे स्वीकार करें और खंड ४ में या कहीं पर प्रतिबन्ध लगा कर उसको स्वीकार करें।

अध्यक्ष (श्री सुल्तान आलम खां से)—जो अभी एक आने के बारे में जिक्र आया उसके संबंध में क्या आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जी नहीं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से चौथे प्रतिबन्ध में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं और इस संशोधन की आवश्यकता इस विधेयक की हिन्दी प्रतिलिपि में एक मिसप्रिंट के कारण हो गई है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के चौथे प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में अंक "९" की जगह पर अंक "१" रख दिया जाय।"

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह तो मुझे स्वीकार है जो अमेंडमेंट पेश हुआ है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के चौथे प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में अंक "९" के स्थान पर अंक "१" रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुल्तान आलम खां—आप फरमाते हैं कि मैं फिजूल बोलता हूं। इसलिये मैं बैठ जाता हूं

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह ब्रोच आफ़ प्रिविलेज है।

अध्यक्ष—वह बोलना नहीं चाहते हैं, वह एसाइड हैं, नैपथ्य में हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, एतराज यह भी है कि जो दूसरे प्राविन्सेज हैं उनकी तरफ निगाह क्यों नहीं डाली गई। वजह इसकी यह है कि जब स्टाम्प बिल इस ऐवान में पेश था और न्याय मंत्री जी ने पेश किया था तो उस वक्त मैं भी हाजिर था। उस वक्त उन्होंने दूसरे प्राविन्सेज के फीगर्स कोट किये थे कि मद्रास में यह है और बम्बई में यह है। इस पर उसी वक्त तकरीर जो उस तरफ से हुई तो उस पर सख्त एतराज हुआ कि दूसरे प्राविन्सेज से मिसालें पकड़ी जाती हैं, यहां इसका क्या काम है, क्या मतलब है तो मैंने समझा कि यह कोई शायद यहां के अपोजीशन के शान में बदतमीजी हो या ऐवान की शान में बदतमीजी हो, इससे मुझ से यह कसूर सरजद नहीं होना चाहिये। जहां तक

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इस बात का ख्याल है कि उधर ध्यान दिया गया या नहीं तो उसकी हकीकत में जनाबवाला से अर्ज करूं तो जो साहब अभी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि इतने यूनिट्स का कंजम्पशन फलां जगह ऐक्जेम्पटेड है। इसमें क्लाज ९ है। इसमें लिखा है कि ढाई किलोवाट तक जो जेनरेटेड प्लांट होगा तो उससे आगे जो होगा उस पर लिया जायगा, नीचे पर नहीं लिया जायगा। इसके शायद २२ हजार यूनिट साल भर में आते हैं। उनके फीगर्स तो मुझे याद नहीं लेकिन फीगर्स इस कानून में भी ऐसे मौजूद हैं कि इससे अगर उनका बढ़ेगा तो उससे चार्ज नहीं किया जायगा उसकी तामील इस कानून के अन्दर मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आप इजाजत देतें हों तो वह आप से कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—पूछने का तरीका जो मुझको मालूम है तरीका मेरे नजदीक यह रहा है कि जब मैं अपनी तकरीर खत्म कर लूं उस वक्त किसी शख्स को हक है कि वह मुझ से कोई सवाल करना चाहे तो करे और मैं जवाब देना चाहूंगा तो दे दूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। वह यह है कि यह तरीका केवल सदस्यों पर ही लागू है या मंत्री लोगों पर भी लागू है, मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं।

अध्यक्ष—रूलिंग का सवाल तो है नहीं। अगर माननीय सदस्य जो खड़े हैं वह मौका देना चाहें तो दूसरा कोई सदस्य सवाल पूछ सकता है, वर्ना बीच में नहीं पूछ सकता। बीच में सिवा उस अवस्था के जब कि प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया गया हो जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको मैं बैठाने को तैयार नहीं हूं। इसका यही तरीका है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैंने अर्ज किया मुझसे सवाल कर लें लेकिन जब मैं बात खत्म कर दूं। यही मैं खुद भी करता हूं। खैर मैं थोड़ी सी बात अर्ज करने वाला हूं, देर नहीं लगाऊंगा। दूसरों को देख कर क्या करना चाहिये था क्या न करना चाहिये था वह मैंने कर दिया। वह ग़लत हो या सही इस कानून के अन्दर मौजूद है। आगे यह कहा गया कि मैं इस क्लाज़ को निकाल दूं तो मैं फिर इस बस्ते को उठा कर यहां से चल दूं। उसका इफेक्ट यही है कि ड्यूटी जो लगाई है वह इसी में लगाई है। इसको निकालने के मानी हैं कि यह क़ानून पास ही न किया जाय। मेरे दोस्त क्या मुझसे ऐसा करने की तवक्को कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि उनकी समझ में यह बात नही आ सकती थी कि मैं इसे मंजूर कर लूंगा।

अध्यक्ष—श्री नारायण दत्त जी अब सवाल पूछना चाहते हों तो पूछ लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दफा ९ जो है क्या वही है जो मैंने कही। इसमें जनरल कंजम्पशन लिखा हुआ है जो बिजली कि किसी प्लांट द्वारा उत्पादित की गई हो। मेरे कहने का मतलब यह था कि १५ यूनिट बिजली बग़ैर ड्यूटी के है जो कम्पनी दे या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दे, यह नहीं कि मैं डायनमो लगाकर उसे जनरेट करूं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—किसी चीज़ की जरूरत नहीं है केवल अक्ल की जरूरत है। वह इसमें यह मुलाहिजा फ़र्मा सकते हैं, इसमें आखिर में यह लिखा हुआ है या वह बिजली जो इस प्लांट से बनी हो जिसके पैदा करने की काब्लियत ढाई किलोवाट से ज्यादा न हो। इसके मानी वह हैं जो मैंने बयान किये थे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१०२

विपक्ष में--१५

खण्ड ४

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत-सरकार को शुल्क) की उगाही।

४--(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) उगाह करके राज्य

(१) जब एनर्जी (विद्युत शक्ति) की लाइसेंसी ने पूर्ति (supply) की हो तो लाइसेंसी द्वारा,

(२) जब एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा या इनकी ओर से की गयी हो तो सम्बद्ध नियुक्त प्राधकारी (appointed authroity) द्वारा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी अपने द्वारा पूरित (supplied) उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये तब तक ड्यूटी (शुल्क) देने का उत्तरदायी न होगा जब तक कि उसने तत्संबंधी देय धनराशि वसूल न कर ली हो।

(२) इस प्रकार देय ड्यूटी (शुल्क) लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, उस एनर्जी, (विद्युत शक्ति) के निमित्त जिसकी उसने पूर्ति की हो प्राप्य धनराशि पर प्रथम भार (first charge) हो गयी और यह राज्य सरकार का उसके ऊपर ऋण होगा।

(३) जब कोई उपभोक्ता नियत समय के भीतर तथा नियत रीति के अनुसार अपने द्वारा देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी जैसी भी दशा हो, धारा ७ के अन्तर्गत राज्य सरकार के धनराशि वसूल करने के अधिकार को न बाधित करते हुये, ऐसे उपभोक्ता को कम से कम ७ दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात उसकी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति (सप्लाई) का विच्छेद कर सकता है।

१९१० की ऐक्ट संख्या ९।

(४) उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन लाइसेंसी को मिले अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, मानो कि ऐसे उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) के सबंध में देय धन पर उक्त ड्यूटी (शुल्क) भार (चार्ज) हो।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) की पंक्ति ५ में अंक व शब्द "७ दिन" के स्थान पर अंक व शब्द "३० दिन" रख दिये जायं।

मैं समझता हूं कि इसमें मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जो कुछ आपने कहा है उसे मान लेते हैं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) की पंक्ति ५ में अंक व शब्द "७ दिन" के स्थान पर अंक व शब्द "३० दिन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---मैं आप की इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे का वक्त और बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज साढ़े पांच बजे बक्शी के तालाब पर एक फंक्शन (जलसा) है जहां मुख्य मंत्री जी भी जा रहे हैं। वहां हम लोगों को भी बुलाया गया है। उन्होंने सब से वहां आने के लिये कहा है। अब यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो समय पर हम वहां नहीं जा सकते। अगर हमारे मित्र आज ही यह विधेयक पास करना चाहते हैं तो वहां से आने के बाद रात में ८ बजे से १० बजे तक कार्यवाही हो सकती है। वहां डेवलेपमेन्ट प्लानिंग अफ़सर ट्रेनिंग कैम्प का अन्तिम जलसा है के बारे में है जहां हम सब को जाना चाहिये। विरोधी पक्ष व सरकारी पक्ष दोनों को पंत जी ने वहां आने के लिये कहा है। इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि मेरे मित्र सरदार शिवमंगल सिंह जी वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मुझे इस प्रस्ताव का विरोध इसलिये है कि अगर कार्यक्रम को देखा जाय तो ५ बजे के बाद एक और कार्यक्रम है और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि एक घंटा और बढ़ा दिया जाय तो यह अन्याय होगा।

वित मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---समय न बढ़ाया जाय।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर---मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक १९५२, (क्रमागत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ का विरोध करता हूं। वह इसलिये कि चूंकि इसमें जो कम्पनी या अप्वाइन्टेड अथारिटी है उसके ऊपर यह लाजिमी कर दिया है कि वह गवर्नमेंट की इस ड्यूटी को वसूल करे और अगर वसूल नहीं करती है तो उन्हें निश्चित अवधि के भीतर उसको अधिकार रहे कि जो एनर्जी है उसको काट दे। अगर यह अधिकार उस अप्वाइन्डेट अथारिटी को दिया गया तो कंज्यूमर को अपील का भी कोई अधिकार नहीं है और कोई इस प्रकार की गुंजाइश इस ऐक्ट में है। इस में कंज्यूमर्स को कोई मौका नहीं दिया गया है उनको तो हर तरह से हानि ही है। जो इसमें 'रिसपौन्सिबिल अथारिटी' होगी और है वह इससे नाजायज फायदा उठायेगी। मान लीजिये किसी मौके पर वे रेट को बढ़ा सकते हैं। वह कहता है कि आपने रेट बढ़ा दिया है लेकिन मैं पुराने रेट व ड्यूटी दे रहा हूं। अब कम्पनी ने अपने मतलब के लिये रेट और ड्यूटी में कन्फ्यूजन

कर दिया । वह कह सकते हैं कि आप ने पूरा रुपया नहीं दिया और जो ड्यूटी चार्ज होती है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम पर उसका चार्ज लाजिमी है । इस प्रकार कम्पनी वाले ड्यूटी के लिये दिये गये रुपये को अपने रेट का रुपया बतला कर गड़बड़ कर सकते हैं। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो खामी है वह दूर हो जाय । मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खंड ४ में जो खामी रह गई है वह इस सुझाव से पूरी हो जाय । इस कारण मैं चाहता हूं कि इस विरोध को स्वीकार किया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई कार्यवाही हो सके। इसलिये मैं इसको मंजूर करना मुनासिब नहीं समझता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४ इस विधेयक का अंग मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से एक बात कहना चाहता हूं कि सुल्तान आलम खां बोलना चाहते थे, लेकिन वह बैठ गये, इसका क्या कारण है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष, मुझे कोई शिकायत नहीं है । मैं खुद ही बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे किसी ने रोका नहीं है ।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो वजह उन्होंने पेश की है वह उचित है ।

जिला बोर्ड रायबरेली के ग़बन से सम्बद्ध हिसाब के काग़जों के दीमक द्वारा खाये जाने के संबंध में श्री चन्द्रपाल वाजपेयी के प्रश्नों के विषय में विवाद

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सदन और सरकार का ध्यान अपने ५ तारीख के प्रश्न संख्या ४६ की ओर दिलाना चाहता हूं। यही वह प्रश्न है जिसमें रायबरेली के जिला बोर्ड के काग़जात के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब के बारे में माननीय गृह मंत्री ने यह बतलाया कि उन काग़जात को दीमक खा गई । यह काग़जात पुलिस के मालखाने में रखे हुये थे । उसमें से कुछ काग़जात दीमक खाये हुये मिले मगर पुलिस ने उसे देने से इनकार कर दिया। माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे यह मालूम होता है कि पुलिस वाले किस तरह से भ्रष्टाचार को दबा देते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मामला कोई मामूली मामला नहीं है । गृह मंत्री ने कहा कि यह केवल १२ सौ रुपये का मामला था । लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल १२ सौ रुपये की बात नहीं थी बल्कि और ज्यादा रुपये की बात थी जिस वक्त यह ग़बन पकड़ा गया था उस समय मैं बरेली जिला बोर्ड का अध्यक्ष था। मैं आप से कहता हूं कि मैंने ३ लाख ४३ हज़ार और ४८० रुपये चार आने के काग़जात पुलिस के सुपुर्द किये थे । यह असली काग़जात थे । इसमें कुछ अध्यापकों की तनख्वाह के बिल थे। पुलिस को चाहिये था कि उसकी ठीक ठीक जांच करती और पता लगाती कि कितने का ग़बन हुआ है लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस ने काफी टालमटोल की। इस मामले को मैंने स्थानीय पुलिस को ही नहीं बताया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया, मैंने कमिश्नर साहब को लिखा और उसके बारे में एकाउन्टेन्ट जनरल को भी लिखा और जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो संबंधित मंत्रियों के पास भी मैंने लिखा लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने इस पर खास कार्यवाही नहीं की। यह मामला साधारण तौर से पहले जिले की पुलिस के पास रहा और साल भर तक पुलिस ने उन काग़जात को अपने पास डाले रखा और इत्तला दी कि केवल ३२ रुपये के ग़बन का पता चलता है और साल भर के बाद पुलिस ने यह किया कि सारे काग़ज़ात मालखाने में फेंक दिये, या तो वहां उनको दीमक खा गई या ख़राब कर दिया गया और

[श्री चन्द्रपाल वाजपेयी]

नष्ट कर दिया गया और उनसे सिर्फ थोड़ा सा हिसाब निकाल कर अदालत में भेजा गया । मैं यहां पर सूचना के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि केवल १,६०० रुपये का ग़बन अदालत में दिखाया गया लेकिन अदालत के सामने सिर्फ ८०३ रुपये के मनीआर्डर पेश किये गये और ऐसे काग़जात पेश किये गये जिनको अदालत में साबित करना मुश्किल था और कमजोर क़िस्म की चीजें पेश की गयीं ....

अध्यक्ष---क्या अदालत के सामने यह मामला मौजूद है ?

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---अदालत में तो मामला खत्म हो गया है लेकिन अभी सी० आई० डी० उस की जांच कर रही है । तो वहां गवर्नमेन्ट हाई स्कूल के लड़के जो रिश्तेदार थे ४५० रुपये और ५०० रुपये माहवार के हिसाब से टीचर्स के वेतन से काट कर भेजे जाते थे और यहां एक लड़का कान्यकुब्ज कालेज में था उसको भेजते थे और मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा था और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे । मैंने उनसे भी सलाह ली और सारा मामला पुलिस के सुपुर्द किया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सलाह से सारे काग़जात पुलिस के सुपुर्द किये गये और ख्याल था कि नेकनियती के साथ पुलिस इस मामले की जांच करेगी लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि पुलिस ने इस मामले में बेहद लापर्वाही से काम लिया । अध्यक्ष महोदय, इतने रुपये के काग़जात खराब कर दिये गये और रुपये से ज्यादा कीमती रुपये का हिसाब होता है । अगर्चे इस तरह के काग़जात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ़्तर में ख़राब हो गये होते या उनको वहां दीमक चाट गई होती तो मेरी चूंकि मैं वहां उस वक्त प्रेसीडेंट था नामालूम चारों तरफ कितनी बदनामी होती, बोर्ड भी सुपरसीड गवर्नमेंट करती या मैं ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हटा दिया गया होता । लेकिन पुलिस के यहां वह काग़जात ख़राब किये गये उनकी जांच भी नहीं हुई और मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने बताया कि काग़जात के ख़राब होने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है और किसी को सजा दिये जाने की इत्तला नहीं दी गयी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उन काग़जात के ख़राब होने का पता तो देर में लगा पुलिस को चाहिये था कि अगर सिर्फ ८०३ रुपये का ही मामला पेश करना था तो सारे काग़जात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही वापिस कर देते । मैंने उस वक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भी लिखा कि काग़जात वापिस कर दिये जायं लेकिन वह वापिस नहीं किये गये और बार बार कहा गया कि वह अदालत में दाख़िल है । बाद में मालूम हुआ कि कुछ काग़जात दाखिल थे और बाक़ी वहां थे लेकिन जब चीफ़ कोर्ट से मामला खत्म हुआ तब बहुत थोड़े से काग़जात भेजे गये जो पढ़े नहीं जा सकते थे। मैं खुद गया और मैंने देखा कि दीमक कहां है लेकिन वहां दीमक का कोई निशान नहीं मिला । मैंने एस० पी० साहब जो एक नये अंग्रेज कप्तान थे उनसे भी कहा कि यह दीमक यहां नहीं मालूम होती है । उन्होंने भी कहा कि हां बाजपेयी जी ऐसा मालूम होता है कि यह एसिड से खराब किये गये हैं दीमक नहीं है । मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप इसकी जांच कीजिये कि यह क्या मामला है, उन्होंने बताया कि उसकी जांच की जायगी लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक पता नहीं चला कि उसका क्या नतीजा हुआ।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य संक्षेप में विवरण दें।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---तमाशा यह कि जब मैंने ए०जी० को लिखा कि आडिट होना चाहिये तो आडिट कराने से इंकार कर दिया गया। ऐ० जी० के यहां जो काग़जात थे वे ख़त्म हो गये, डाकखाने में जो काग़जात थे वे खत्म हो गये और पुलिस के दफ्तर के काग़जात भी ख़त्म हो गये अब नतीजा यह है कि इस बात का सही पता लगाना मुश्किल है कि ग़बन कितने का हुआ। सी० आई० डी० जो मेरे कहने के अनुसार मुकर्रिर की गई है उसका ख्याल यह है कि ५० हज़ार के क़रीब ग़बन हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में जो सावधानी बरती जानी चाहिये थी वह नहीं बरती गई और उसके मुताल्लिक़ जो काग़जात थे

वे भी ख़राब हो गये और उसका नतीजा यह हुआ कि जांच करना भी मुश्किल हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में न हो और इस समय जो यह जांच हो रही है उसका जो भी नतीजा निकले। लेकिन ऐसी बातों का रेपीटीशन नहीं होना चाहिये और सरकार से प्रार्थना है कि अब भी पता लगाने की कोशिश करे कि वे काग़जात किस वजह से ख़राब हुये। दीमक ने खाये या एसिड से ख़राब किये गये। सब से बड़ी बात यह है कि इससे बड़ी भारी बदनामी होती है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि एक शख़्स रंगे हाथ पकड़ा गया और उसका केस खराब हो गया तथा उसका नतीजा कुछ न निकला। मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है मैंने संक्षेप में वह बातें सदन और सरकार के सम्मुख रख दी हैं और मुझे आशा है कि उनका संतोषजनक उत्तर मिलेगा।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझा था इस समय केवल उन काग़जात की ही चर्चा होनी थी लेकिन माननीय सदस्य बाजपेयी जी ने उस मुक़द्दमे के संबंध में ऐसी बहुत सी बातें कहीं जिनके बाबत इस वक्त मुझे जवाब देना मुश्किल है मस्लन यह कि पुलिस ने बहुत ज्यादा समय उस मुक़द्दमे के चलाने में लगा दिया। इस संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो कुछ सूचना है उसके अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस मुक़द्दमे का पता डाकखाने से लगा। डाकखाने के सुपरवाइज़र ने बाजपेयी जी को लिखा कि आपके यहां से कोई मनीआर्डर आ रहा है जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम है लेकिन मालूम ऐसा होता है कि उसका रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लिया जायगा। उन्होंने इंसपेक्टर आफ़ स्कूल को भी लिखा और इसी तरह से इस मामले का श्रीगणेश हुआ। बाजपेयी जी ने यह मामला अपने सेक्रेटरी को सुपुर्द किया और उन्होंने उसका कुछ पता लगाया। इंसपेक्टर आफ़ स्कूल्स भी जो कुछ कर सके उन्होंने किया। उन्होंने अपने यहां एक सरक्यूलर जारी किया कि किसी जगह ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स की तनख्वाह बाक़ी हो। इस तरह से यह सरक्यूलर ४ अप्रैल को भेजा गया और ७,८ महीने उसके जवाब आने में लगे। उसके जवाब आने के बाद ही मुक़द्दमा अदालत में दिया जा सकता था इतना तो मैं अभी कह सकता हूं कि एक कारण देर होने का यह जाहिर है कि जब तक उस सरक्यूलर का जवाब न आ जाता आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बहुत से काग़जात देखने के लिए और उनको स्टेडी किया तथा जिन काग़जात के आधार पर मुक़द्दमा चलाया जा सकता था उनको अदालत में पेश किया। बाक़ी जो काग़जात थे उनको, जहां तक मेरी इत्तिला है मालखाने की रेक में रख दिया गया चूंकि उन काग़जात की अदालत में जरूरत नहीं पड़ी न तो पुलिस ने मुक़द्दमे में पेश किया, पुलिस को जरूरत नहीं समझ आई, न तो जिन पर मुक़द्दमा चलाया गया उन्होंने ही डिफेन्स में उसको तलब किया और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से इसकी जरूरत हुई कि इन काग़जात को पेश होना चाहिये और न अदालत ने तलब किया। तो किसी स्टेज पर काग़ज़ की जरूरत नहीं पड़ी और वह मालखाने में रखे गये थे और यह सोचा गया कि जब क़िस्सा ख़त्म हो जायगा तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को काग़जात वापिस कर दिये जायेंगे। मुक़द्दमे की सूरत यह थी कि एक कोई सिंह साहब थे जो रुपया भेजा करते थे। उनके भतीजे थे उनके पास रुपया भेज दिया करते थे। वह दोनों भतीजे मैजिस्ट्रेट के यहां से बरी हो गये। सेशन्स कोर्ट से उनको सजा हुई लेकिन बाद में उन्होंने चीफ़ कोर्ट में अपील की और वहां से वह छूट गये। अब जो मालखाने में काग़जात पड़े हुये थे उनके बारे में हमारी इत्तिला यही है कि उनकी जरूरत किसी स्टेज पर भी नहीं पड़ी और दूसरे काग़जात जो मुक़द्दमें के सिलसिले में थे वे जुडीशियल रिकार्ड के अंग हैं और हाई कोर्ट से वापिस आये हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापिस कर दिया गया है। बाकी जो मेरी इत्तिला है जिन काग़जात की जरूरत नहीं पड़ी है किसी आलमारी के रैक पर रखे हुये थे। जब उस रेक से निकाले गये तब देखा यह गया कि उन काग़जात को दीमक खा गई थी। दो लिफाफे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

थे जिनमें वे बिल्स थे यह सही है कि अगर खराब न हुये होते तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बहुत मदद मिलती और जांच करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती लेकिन इस वक्त जो इत्तिला है वह यही है कि इन काग़ज़ात की वजह से उस मुक़द्दमे पर कोई असर नहीं पड़ा । मुक़द्दमा हाई कोर्ट से खारिज हो गया । फिर कुछ और ऐसी बातों का पता लगा है और सी० आई० डी० के जरिये जांच हुई है और आगे जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा है उन बातों का ख़्याल रखा जायगा । इसमें कोई शुबहा नहीं है कि वहां पर जब मालखाने का पता चला तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने देखा कि किसकी ज़िम्मेदारी है । वह कहते हैं कि उनसे किसी ने कहा कि यह दीमक का काम नहीं है यह तो एसिड की बात मालूम होती है और वह ज़रूर कहते हैं कि ठीक होगा लेकिन रिकर्ड में ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती । किसी ने रिश्वत दे कर ऐसा काम कराया हो इसका कोई सबूत मिलता नहीं है और जो काग़ज़ात थे वह दीमक का काम ही मालूम होता है । फिर भी मालखाने में, जो चार्ज में थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर काग़ज़ को उलट कर देखा जाना तो असम्भव बात है । फिर भी इन्क्वाइरी के समय जो मालखाने के चार्ज में थे कैलाश सिंह जी उनको मिसकन्डक्ट का चार्ज लगाकर उनके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी गई और उनका फोर्स्ड कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया । यह सजा थी जब कि उनका कोई कसूर साबित नहीं हुआ लेकिन फिर भी अगर बाजपेयी जी कहते हैं कि उनसे किसी आफ़िसर ने कहा कि दीमक का काम नहीं था और एसिड का काम था तो हमारे पास कोई रिकर्ड नहीं है लेकिन अगर उनको डेफीनिटली विश्वास है तो मैं इतना कर सकता हूं और उसकी जांच करा सकता हूं कि सचमुच में किस तरह से यह बात हुई । यह पता लग सकता है कि वह काम डेलीबरेटली जानबूझकर तो नहीं हुआ । वह काग़ज़ मिल सकते हैं और उन काग़ज़ात को हम देख सकते हैं और देखने से मालूम हो जायगा कि दीमक खाये हुये हैं या एसिड से खत्म किये हुये हैं । अगर वह ऐसा चाहें तो जांच करा सकता हूं इस वक्त कोई रिकर्ड नहीं है ।

श्री चन्द्रपाल बाजपेयी--अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि या तो स्वतंत्र इन्क्वायरी करायी जाय या कोई बाहर का ऊपर का अधिकारी वहां भेजा जाय तो इसकी जांच ठीक हो सकती है स्थानीय अधिकारियों से जांच नहीं हो सकती ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे तो और खास निवेदन करना नहीं है । अगर माननीय बाजपेयी जी का डेफीनिट विश्वास है कि ऐसा किसी ने किया है तो इन्क्वायरी कराऊंगा और जहां तक निष्पक्ष एन्क्वायरी हो सकती है उसको ज़रूर करने की कोशिश करूंगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष चूंकि सदन उठ रहा है और पांच छः दिन शायद बन्द रहेगा, बैठक नहीं होगी, इसलिये अगर गवर्नमेंट बता दे कि किस बिल को कब लाने जा रही है तो हम लोगों को समझने और तैयारी करने में ज्यादा आसानी होगी । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वह चीज़ गवर्नमेंट से पूछ कर बता दी जाय कि कौन-कौन सा बिल कब आयेगा ।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने कई बिल परसों बयान किये थे । वही अभी खत्म नहीं हुये हैं । वह तो आएंगे ही । उसके बाद जो आने वाले होंगे वह १७ की सुबह को सब बयान कर दूंगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर बुधवार, १७ सितम्बर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१० सितम्बर, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हमने, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं और जो उस प्रवर समिति के सदस्य हैं जिसको उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ अभिदिष्ट दिया गया था, विधेयक पर विचार किया है और अपनी प्रसूचना अपने द्वारा संशोधित विधेयक सहित जो कि इसके साथ सम्बद्ध है, प्रस्तुत करते हैं :—

समिति की बैठकें विधान भवन में २९ अगस्त और ४ तथा ८ सितम्बर, १९५२ को हुई। पहले दिन हमने विधेयक के सामान्य पहलुओं पर चर्चा की और कतिपय संशोधनों पर भी विचार किया। अगली बैठक में विधेयक पर खंडशः विचार के साथ साथ पहले किये गये निर्णयों पर आधृत संशोधनों के प्रारुप पर विचार किया गया और ८ सितम्बर, १९५२ को हम लोग प्रसूचना पर हस्ताक्षरार्थ एकत्र हुये।

हमारे विचार में विधेयक में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाने चाहियेः—

(१) भूमिधरों तथा सीरदारों की ऐसी भूमि, जो ऐसे भूमिधरों और सीरदारों की निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रख्यापत की गयी हो, अधिनियम के क्षेत्र से बाहरकर देनी चाहिये, जिससे कि उस भूमि के अध्यासीन अधिवासी का अधिकार प्राप्त न कर सकें।

(२) ऐसी भूमि के अध्यासीनों को, जिसके समस्त भूमिधर और सीरदार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १० की उपधारा (२) में उल्लिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग के हों, अधिवासी के नहीं अपितु असामी के अधिकार मिलने चाहिये।

(३) धारा ४ के अन्तर्गत की गयी प्रविष्टियों के विषय में विधेयक की धारा ५ में जो परिकल्पना उपबद्ध की गयी है वह उससे प्रबल होनी चाहिये।

(४) ऐसी भूमि भी, जिसके विषय में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० और १८३ में उपबद्ध प्रकार का वाद या ऐसे वाद में पास की गयी डिक्री के विरुद्ध कोई पुर्नवाद अथवा अन्य कार्यवाही ३० जून, १९५२ को किसी माल या दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हो या जिसके विषय में कब्जे के लिये उक्त दिनांक को या उससे पूर्व डिक्री पास हो गयी हो और अन्तिम हो चुकी हो या जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५२२ के अन्तर्गत किसी आदेशानुसार कोई अध्यासीन बेदखल कर दिया गया हो, विधेयक के क्षेत्र से बाहर कर देनी चाहिये।

उपर्युक्त संशोधनों के अतिरिक्त कतिपय छोटे छोटे प्रारूपण के संशोधन भी किये गये हैं।

विधेयक, २१ अगस्त, १९५२ को असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था। हमारी सम्मति है कि विधेयक, जैसा कि हमने उसे संशोधित किया है, पुनः प्रकाशित किया जाय।

चरण सिंह।
द्वारिका प्रसाद मौर्य।
अब्दुल मुईज खां।
लक्ष्मीरमण आचार्य।
भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)।
ब्रजवासी लाल।
*बलवन्त सिंह।
रामलखन मिश्र।
मही लाल।
*जयपाल सिंह।
ख्वाजा अतहर हुसेन।
नेकराम शर्मा।
ब्रजबिहारी मिश्र।
ऐजाज रसूल।
जयराम वर्मा।
लालबहादुर सिंह
†सुरेश प्रकाश सिंह।
†रणंयज सिंह।
†गेंदा सिंह।
*रामसुन्दर पाण्डेय।
*कमला सिंह।

---

* इन सदस्यों ने असहमति टिप्पणी सहित हस्ताक्षर किये हैं।

† इन सदस्यों ने संशोधन उपस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रक्खा है।

असहमति टिप्पणियां

इस अधिनियम के प्रस्तुत करने का कारण जैसा कि इस के उद्देश्य और कारण में लिखा है यह है कि "बहुत से व्यक्ति भूमि से बेदखल किये जा रहे हैं या किये जा चुके हैं" और "उक्त व्यक्ति, कृषकों की उस श्रेणी के जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं" "उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय" किन्तु इस अधिनियम के द्वारा, जो प्रवर समिति ने संशोधन करके पेश किया है, केवल जो कृषक १३५९ फ० में भूमि पर क़ाबिज़ है चाहे जैसे भी हो जबरन या मरजी से, उनके नाम का इन्दराज सरकारी काग़जात में मौक़े की तहक़ीक़ात कराकर करा दिया जायगा और ऐसे कृषकों का स्तर अधिवासी का मान लिया जायगा। किन्तु देखना यह है कि इसका लाभ और असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के ज़मींदारी विनाश क़ानून के जरिये जिन लोगों के नाम सरकारी काग़जात में १३५६ फ० में दर्ज थे उनको अधिकार दे दिये गये हैं और वह बेदखल नहीं हुये, किन्तु बहुत अधिक संख्या ऐसे कृषकों की रह गयी है जिनके नाम काग़जात में दर्ज नहीं थे, हालांकि भूमि पर उनका क़ब्ज़ा था और सही बात यह है कि उन लोगों को ज़मीनें काश्तकार के रूप में दी भी गयी थीं किन्तु उनकी कमज़ोरी या देने वालों की होशियारी या असर से काग़जात में उनका नाम नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और यही वह लोग हैं जिनका संकेत इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में किया गया है और यही वह "बहुत से व्यक्ति हैं जो भूमि से बेदखल किये जा चुके हैं" असरदार लोगों ने ऐसे लोगों को क़ानून आने की शोहरत सुन कर निकालना शुरू किया और अब तक यानी १३५९ फ० तक क्या कोई रह भी गया होगा। इसमें भारी आशंका है। यदि कोई रहा है तो वह उस निकालने वाले से अधिक असरदार और काबू याफ्ता है। भला कहीं ऐसे आदमियों के नाम काग़जात में दर्ज होने से रह सकते हैं और यदि हैं भी तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। क़ानून की शोहरत सुन कर १३५६ फ० के बाद तो किसी ने अपनी ज़मीनें किसी को भी काश्त करने को नहीं दीं और यदि दी गयी हैं तो उनके नाम काग़जात में आ गये हैं। बिना काग़जात में नाम आये वही लोग हैं जिन्होंने जबरन अपनी ताक़त के ज़ोर से बिना मर्जी क़ब्ज़ा किया है। बहुत सों के ख़िलाफ दफा १८०, १८३ या फौजदारी की अदालतों में मुक़दमें भी चल रहे हैं या चल चुके हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध दफा १८०, १८३ के दावे इसलिये नहीं हुये कि कार्यवाही बेदखली बन्द थी और यह बन्द रहने का समय मियाद में लग सकता था। ऐसे लोगों को किसी क़ानून का हक़ नहीं देना चाहिये। इस क़ानून से ऐसे लोगों को भी हक़ मिल जाता है जिन्होंने १३५९ फ० मे जबरन क़ब्ज़ा कर लिया है और क़ानून में दावा करने की मियाद बाक़ी रहने से उनकी बेदख़ली नहीं की जा सकी। १३५९ फ० बहुत ही निकट का साल है। लोग फरज़ी भी यह कह सकते हैं कि मेरा क़ब्ज़ा है मगर नाम दर्ज नहीं, ऐसे क़ाबूयाफ्ता लोगों को गांवों में मददगारों और हाकिमों के सामने कहने वालों की क्या कमी। इस क़ानून के पास होने से गांव के जीवन में बेचैनी और बेईमानी बढ़ जाने का भारी ख़तरा है। विधेयक इस रूप में आना चाहिये था कि जिन लोगों के क़ब्ज़े १३५९ फ० में थे किन्तु उनके नाम दर्ज काग़जात न थे और यदि वह किसी अदालत से क़ानूनी कार्यवाही द्वारा भूमि बेदख़ल नहीं किये गये उनको उन लोगों की तरह कि जिनके नाम १३५९ फ० में हक़ दे दिये जायंगे और यदि ऐसे लोग ज़मीन से निकाल दिये गये हैं तो भी वह ज़मीन पर क़ब्ज़ा पा सकेंगे।

उक्त कारणों से मैं प्रवर समिति की राय से इत्तफ़ाक नहीं करता और उपर्युक्त सुझाव सदन के सामने पेश करता हूं।

बलवन्त सिंह।

यह बिल इसलिये आया कि, सरकार को बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हैं, जो भूमि में खेती करने के रूप में क़ाबिज थे। और ऐसे किसानों को खातेदारों अथवा ज़मींदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भूमि पर क़ब्ज़ा दिया था, और ऐसे किसान अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। इसलिये यह विधेयक उक्त भूमि पर, उक्त दरिद्र और निर्बल किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये उपस्थित किया गया है।

परन्तु यह बात निर्विवाद है, कि इस प्रदेश में ऐसे किसानों की एक ख़ास संख्या है, जिनका कब्ज़ा, खेती करने के रूप में बरसों से लगातार चला आ रहा है, और उनका नाम ज़मींदारों द्वारा पटवारियों और दूसरे अनसोशियल एलिमेंट्स (unsocial elements) से मिल कर सरकारी काग़ज़ों में, नहीं दर्ज हो पाया। ऐसे किसान ज़मींदारों या उन लोगों के जिनके नाम काग़ज़ात में दर्ज है, उनकी अनुमति से क़ाबिज़ चले आ रहे हैं, और उनको बराबर निश्चित लगान भी अदा करते रहे हैं, ऐसे किसान अपढ़, निर्धन, और निसहाय ही हैं उनको लगान की रसीद भी नहीं दी जाती। रेवेन्यू काग़ज़ात में उनके नाम न होने के कारण उनके द्वारा जोती, बोई और पैदा की हुई फ़सल पुलिस से मिल कर क़ुर्क़ तक कर ली जाती है, और किसानों को उनके द्वारा बोई हुई फ़सल के नज़दीक तक जाने से रोक दिये जाते हैं। इस प्रकार खेत के न रहने अथवा फसल के उन क़ब्ज़े में न रहने के कारण उनको भूखों तक मरना पड़ता है, और बराबर हर साल किसानों की फसलें क़ुर्क़ कर ली जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसे मुक़दमों के फ़ैसले भी दो दो, तीन तीन साल के बाद ही होते हैं, जिससे बेचारे ग़रीब, निसहाय किसान परेशान हो जाते हैं। और ज़मींदार पुलिस से मिल कर इन ग़रीब किसानों पर, अपनी बोई हुई फ़सल को काट लेने पर भी धारा ३७६ आई० पी० सी० का शिकार होना पड़ता है, और रेवेन्यू काग़ज़ात में खेती के रूप में क़ाबिज़ किसानों का नाम न रहने के कारण अदालतें भी, उन्हीं का क़ब्ज़ा मानते हैं, कि जिनका पटवारी के काग़ज़ातों में इन्दराज होता है। फल यह होता है कि लाखों मुक़दमों का शिकार ग़रीब किसानों को भूमि से संबंधी क़तल, मारपीट, बेदख़ली, आदि के संबंध में होना पड़ता है।

ज़मींदारी–विनाश तथा भूमि व्यवस्था क़ानून १९५१ के द्वारा भी ऐसे किसानों के हितों की रक्षा जिनका खेती के रूप में ज़मींनों पर क़ब्ज़ा था, परन्तु नाम न था, रक्षा न कर सके। फल यह हुआ कि इस क़ानून की धारा १६ (२) के अधीन जिन किसानों का नाम १३५६ फसली में क़ाबिज़ के रूप में था मौरूसी किसानों के समान उनको हक़ मिले, परन्तु ऐसे किसानों के लिये, जिनका क़ब्ज़ा १३५६ में दर्ज नहीं था, बहुत ही कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। ज़बरदस्त और बड़े बड़े ज़मींदारों को अच्छा मौक़ा लगा। ऐसे ज़मींनों से ग़रीब किसानों को ज़बरदस्ती बेदख़ल कर दिया गया। और बहुतों को पुलिस के ज़रिये १४५ के अन्तर्गत बेदख़ल कराया गया, और १३५५ फ़सली में जिनका नाम भी था, उनका नाम भी १३५६ फ़० से निकाल दिया गया। बहुत से ऐसे किसानों के नाम जिनके नाम दर्ज नहीं थे १३५७ में और १३५८ फ़० में निकाल दिया गया। ऐसे किसानों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है, जिन्हें बेदख़ल कर दिया गया। इस प्रकार पीड़ित किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही इस बिल को लाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी है। जिससे निर्बल और दरिद्र व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

"उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक)" विधेयक १९५२ की धारा ३ के अनुसार ऐसे किसानों को जिनका क़ब्ज़ा १३५९ फ़० में रहा परन्तु उनका नाम सरकारी काग़ज़ातों में नहीं है। उनको अधिवासी (शिकमी काश्तकार) के अधिकार दिये जायेंगे। बशर्ते कि सरकारी अधिकारी जिसे इस क़ानून द्वारा नियुक्त किया जायगा ऐसे भूमिधरों को क़ाबिज़ के रूप में काग़ज़ में इन्दराज कर दें। धारा १६ ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था, १९५० के क़ानून के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जिनका नाम किसी भूमि के अध्यासीन (occupants) के रूप में किसी ऐसे अभिलेख में (१) जो यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित (revised) किया गया हो, या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो या जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिये राज्य सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया हो, अभिलिखित हो और जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उस भूमि पर क़ाबिज़ रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर (United Provinces Tenancy (Amendments) Act, १९४७ की धारा २७ की उपधारा १ के खंड सी (c) के अनुसार क़ब्ज़ा वापिस पाने का अधिकार हो अथवा (२) जो United Provinces Land Revenue Act, 1901 की धारा ३२, खण्ड के अधीन कृषि वर्ष, १३५६ के लिये तैयार किया गया हो अभिलिखित हो। और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उक्त भूमि पर क़ाबिज़ रहा हो, यह समझा जायगा कि, वह उक्त भूमि का मौरूसी काश्तकार है, और उपर्युक्त दिनांक पर ऐसे काश्तकारों को लागू दरों से लगान का देनदार है। इस से स्पष्ट है कि Land Record Officer द्वारा काश्त के इन्दराज से ही ऐसे किसानों को मौरूसी के अधिकार दिये गये हैं, और उन्हें ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून के अनुसार सीरदारी के सभी अधिकार

होंगे । अतः इस अनुपूरक विधेयक में ऐसे किसानों को अधिवासी के अधिकार देना न्याय संगत नहीं है। जब कि इस बिल के उद्देश्यानुसार ऐसे दरिद्र और असहाय किसानों की रक्षा करना है, तो, ऐसे किसानों को सीरदार के अधिकारों से क्यों वंचित किया जाय ।

सिर्फ १३५९ फ़० में क़ाबिज़ वही लोग हैं कि जिन्होंने किसानों से जबरदस्ती जमीनों को बेदखल कराया इस तरह से तो जमींदार वर्ग की ही रक्षा होती है । इस प्रकार जो किसान १३५८ फ़० में बेदखली से बच गये थे वे १३५९ फ़० में बेदखल कर दिये गये, और उसे क़ानूनी क़रार दिया गया । जिन किसानों का क़ब्जा १३५७, १३५८ फ़सली में बहुत दिनों से चला आ रहा था और उनके नाम न थे, यदि १३५७ या १३५८ फ़० में उनका नाम किसी तरह दर्ज हो गया तो १ वर्ष की मियाद के अन्दर ही १८० धारा के Tenancy Act, 1939 के अन्तर्गत बेदखली के मुक़द्दमात दाखिल कर दिये गये । ऐसे दरिद्र और निर्बल किसानों की रक्षा के बजाय उक्त अधिनियम की धारा ५ 'अ' को ला कर उनकी बेदखली और भी निश्चित कर दी गयी । यद्यपि इन किसानों में ९९ प्रतिशत ऐसे किसान हैं, जो बहुत दिनों से खेती के रूप में जमींदारों की अनुमति से या मर्जी से इन जमींनों पर क़ाबिज थे ऐसे किसानों के लाखों की संख्या में मुक़दमे, उनको अपनी जमींनों से बेदखल करने के लिये किये गये, और बार बार stay हुये। परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जिनका १३५९ फ़० में क़ब्जा हो गया है उसको तो अधिकार दिया गया, पर जिन किसानों का क़ब्जा जमींदार साहिबान भी मानते हैं, और आज नहीं कई सालों से मानते हैं कि इन किसानों ने हमारी जमींनों पर ग़ैर क़ानूनी क़ब्जा किया हुआ है । अतः खेद के साथ कहना पड़ता है कि धारा ५ 'अ' और जोड़ कर ऐसे निर्बल दरिद्र किसानों को जो अधिकार यह विधेयक देना चाहता है, वह भी उन्हें नहीं मिलेंगे ।

वर्तमान धारा ३ के अनुसार जो काश्तकार १३५७ फ़०, १३५८ फ़० १३५९ फ़० में क़ाबिज हों, वह भी सीरदार क़रार दिये जायं, और यदि कोई काश्तकार, जो १३५६ फ़० में क़ाबिज रहा हो, और उसको बेदखल कर दिया गया हो, तो ऐसे किसानों को वापिस क़ब्जा दिलाया जाय । और इस विधेयक के अनुसार ऐसे किसानों को क़ब्जा वापिसी के अधिकार नहीं मिलते । इसी प्रकार जिन किसानों का क़ब्जा १३५७ व १३५८ में रहा हो, और उनका क़ब्जा, १३५९ फ़० में ग़ैर क़ानून क़रार दिया गया हो ऐसे किसानों को १३५९ फ़० में वापिस क़ब्जा दिलाया जाय । १४५ का फ़ौजदारी के मुक़दमात में summary trial होता है । इस अधिनियम के अनुसार भी किया जाय। १४५ का० फ़ौजदारी में काग़ज़ात के इन्दराज पर सब मामला चलता है , अतः यहां भी असल क़ाबिज को देखा जाय, और मौके पर जाने से सच्चाई का पता लग जायगा । इस तरीक़े से खेती के रूप में क़ाबिज किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाय । परन्तु जिन काश्तकारों का नाम नहीं था उनकी कौन कहे, अतः वे काश्तकार के हक़ों को, जो १३५८ फ० में क़ाबिज थे, और जो १३५९ फ़० में बेदखल कर दिये गये थे, उनकी भी रक्षा नहीं हो सकी । इस प्रकार इस अधिनियम की धारा ३ के अनुसार दिये गये उद्देश्य और कारणों के विपरीति और १८३ यू० पी० Tenancy Act में जो क़ब्जा वापिसी का हक़ इनको दिया गया था, वह भी ख़त्म कर दिया गया।

धारा ३ (a) में भूमिधर और सीरदार जो धारा १० जमींदारी क़ानून में वंचित किये गये थे, उन को भी हक़ नहीं दिये गये । यद्यपि बहुत से बड़े बड़े जमींदार अथवा पूंजीपति लोगों ने हजारों बीघा जमीन अपनी स्त्री बच्चों के नाम दर्ज करा दिये थे । ऐसे लोगों की जमींनें यदि ३० एकड़ से अधिक हों तो ऐसी भूमि पर भी इस अधिनियम के अनुसार अधिकार दिया जाय । उसी प्रकार ऐसे जमींदारों ने हजारों बीघा जमीन परती अथवा खेती के लायक़ जमीन को अपने स्त्री अथवा बच्चों के नाम लिखा दिया, परन्तु सही बात यह है कि काश्तकारों ने उन जमींनों को खुद तोड़ा, खुदकाश्त शुरू की । ऐसी जमींनों पर स्पष्टीकरण कर किसानों को अधिकार दिया जावे।

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार ऐसे माफ़ीदारों को जो सेवा के बदले में क़ाबिज हैं, मौरूसी के बराबर हक़ दिये गये हैं, और वे सीरदार कहलाते हैं। ऐसे ही जिन जमींदारों ने हलवाहों को हलवाही के बदले यदि भूमि दी हो, और जिन पर उनका exclusive क़ब्जा रहा हो, उनको भी और सीरदार को हक़ दिये जायं, परन्तु सीरदार को कौन कहे अधिवासी बनाने का भी हक़ न दिया गया सरकार की उस नीति की भी उपेक्षा की गयी जो जमींदारी विनाश क़ानून की धारा १९५ में वर्णित है और इन काश्तकारों को, जो इन खेतों को अपने हल बैल से जोतते हैं, अधिकार नहीं दिया गया।

धारा ५–अ के अनुसार धारा १८३ Tanancy Act १६३६ के ऐसे मुक़दमात जो उक्त क़ानून की धारा २६ में आते हैं, यदि जहां ज़मींदार ने अपने स्त्री बच्चों के नाम फ़र्ज़ी काश्त लिखा कर खेती के रूप में क़ाबिज़ किसानों को बेदख़ल करने के लिये मुक़दमात दाख़िल किये हों ऐसे मुक़दमात को stay कर किसानों को अधिकार दे दिया जाय। इसी प्रकार धारा १८० के तमाम मुक़दमात जो ऐसे काश्तकारों पर किये गये हैं, जिन ज़मीनों पर उनका क़ब्ज़ा अधिक दिनों से खेती के रूप में है, और ज़मींदारों ने बेदख़ल कर दिया या अपने बीबी बच्चों के नाम फ़र्ज़ी काश्त लिखवा कर मुक़दमात दाख़िल कर दिये हैं। उन्हें अधिकार दिये जावें। ऐसे काश्तकारों को भी अधिवासी या सीरदारी का हक़ दिया जावे। १३५६ फ़० से जितने काबिज अभिलिखित काश्तकार थे उनको मौरूसी का हक़ दिया गया। और अदालतों में pending cases की कोई exemption करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब १३५६ फ़० के क़ाबिज़ काश्तकारों के हक़ देने का समय आया, तो १८०, १८३ के ज़ेरे असर काश्तकारों को इस विधेयक के द्वारा दिये जाने वाले अधिकारों से वंचित रक्खा गया। फल यह हुआ कि वे काश्तकार जिनका अधिक दिनों से क़ब्ज़ा था, परन्तु नाम नहीं था, यदि किसी तरह किसी फ़सली के नाम आ गया तो एक साल की अवधि क़रार दे कर उनको भी १८० धारा Tenancy Act के अन्तर्गत बेदख़ल कराने का प्रयत्न किया गया। और १३५६ के फ़सली के ग़ासिबों को हक़ दिया जा रहा है। परन्तु उन काश्तकारों––जिनका क़ब्ज़ा अधिक दिनों से चला आ रहा है, और किसी तरह से १ साल का इन्दराज हो गया उनको भी ग़ासिब क़रार दे कर बेदख़ल किया जाना ही है। उपरोक्त बातों को देखते हुये मेरा यह निश्चित मत है कि संशोधित अधिनियम के द्वारा बेदख़ल हुये काश्तकारों को किसी प्रकार भी रक्षा नहीं होती, बल्कि ग़ासिब ज़मींदारों को और भी अधिक बल मिला है, और लाखों की संख्या में ऐसे निर्बल और असहाय किसान, जो खेती के रूप में क़ाबिज़ थे, के अधिकारों की रक्षा इस विधेयक से नहीं हो सकी है। हमें न्याय की दृष्टि से (justice and equity) के अधार पर जितने भी ग़रीब दरिद्र और निर्बल किसान हैं उनकी रक्षा करनी चाहिये, और रक्षा ही नहीं, बल्कि (relief) देने के लिये उन्हें काश्तकारी के हक़ पर अथवा सीरदारी के अधिकार देने चाहिये––और इस उसूल को नहीं भूलना चाहिये कि ज़मीन उसी किसान के पास रहनी चाहिये जो अपनी गाढ़े पसीने के द्वारा अपने ही औज़ारों से हल से, जो बैलों से, भूमि को जोत कर फ़सल पैदा करते हैं। अर्थात् भूमि ऐसे ही किसानों के पास जानी चाहिये। इस बिल द्वारा ऐसी गुंजाइश छोड़ दी गयी है, कि जिससे बड़ा किसान अथवा ज़मींदार किसी न किसी रूप में खेतिहर मज़दूर द्वारा खेती कराता रहे।

सदन द्वारा नियुक्त किये हुए उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १६५२, की प्रवर समिति के दोनों बैठकों में मैंने भाग लिया। मुझे इस विधेयक के उद्देश्य से सहानुभूति थी और इसके सिद्धान्त से मैं सहमत था। इसी लिए मैंने प्रवर समिति में जाने की अनुमति दी थी, यद्यापि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि शिकमी काश्तकार को सीरदार या अधिवासी का अधिकार देकर सरकार ने क़रीब १२ लाख भूतपूर्ण ज़मींदार और क़रीब १७ लाख असली काश्तकारों पर अन्याय किया है। (याद रहे कि इसी कांग्रेस सरकार ने १६३७ के यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, के द्वारा भूतपूर्व ज़मींदार और काश्तकारों को आपनी भूमि को शिकमी काश्त पर उठाने का अधिकार दिया था)। यदि सरकार इस सिद्धान्त को मानती थी कि भूमि उसी की होनी चाहिए जो कृषि कार्य स्वयं करता हो, तो शिकमी काश्त पर भूमि उठाने की आज्ञा कदापि नहीं होनी चाहिए थी। परन्तु यदि क़ानून द्वारा यह अधिकार दे दिया गया था तो इस के लिए क़रीब ३० लाख व्यक्तियों को दण्ड देना न्यायसंगत नहीं था। परन्तु इस अनुपूरक विधेयक पर विचार करते समय इसका प्रश्न नहीं उठता था क्योंकि उचित या अनुचित रूप से ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यावस्था अधिनियम में शिकमी काश्त पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है और हम इस मूल अधिनियम के किसी भी व्यवस्था के विपरीत इस अनुपूरक विधेयक में नहीं जा सकते। यही कारण है कि शिकमी काश्त के प्रश्न पर भूतपूर्व ज़मींदार और असली काश्तकारों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखता हुआ भी उन शिकमी काश्तकारों के अधिकारों की उपेक्षा भी नहीं देख सकता था जिन्हें ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम द्वारा अधिवासी या सीरदार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यही कारण था कि शिकमी काश्त के प्रश्न पर उल्लिखित विचार रखता हुआ भी मुझे इस अनुपूरक विधेयक के उद्देश्य से सहानुपूति थी, परन्तु मुझे खेद है कि प्रवर समिति में सरकार और बहुमत दलके माननीय सदस्यों की विचारधारा और उन के निर्णय पर विचार करता हुया मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करने में असमर्थ हूं और मुझे विरोध करना पड़ रहा है। इस अनुपूरक विधेयक के उद्देश्य और कारणों के उल्लेख में कहा गया है कि "सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदार

के खातों की भूमि की खेती करने के रूप में क़ाबिज बहुत से व्यक्ति भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण हैं कि इनमें बहुत से व्यक्तियों को खातेदारों ने अपने भूमि पर क़ब्जा दिया था। उक्त व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त, निर्बल और दरिद्र हैं। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय।" इन "अत्यन्त निर्बल और दरिद्र" काश्तकारों के लिए सरकार की चिन्ता और क़ानून द्वारा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के प्रयत्न से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। परन्तु सरकार स्वयं कहती है कि उसे यह विश्वास है कि बहुत से व्यक्तियों को खातेदारों ने अपनी भूमि पर क़ब्जा दिया था। यदि शब्द "बहुत से" पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट है कि ऐसे भी कब्जे हो सकते हैं जिन्हें खातेदारों ने अपनी रजामन्दी से कब्जा न दिया हो। यही कारण है कि पूर्ण रूप से इस अनुपूरक विधेयक को स्वीकार करने में मैं आपत्ति पाता हूं। मेरा यह विचार था कि सरकार भी मेरी इस आपत्ति से सहमत होगी और अवश्य ही वह प्रवर समिति में इसका कोई उचित उपाय करेगी। प्रवर समिति मे माननीय राजस्व मन्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने बड़ी दृढ़ता पूर्वक यह कहा कि वह इस अनुपूरक विधेयक द्वारा ग़ासिबाना कब्जे (Trespass) को किसी प्रकार भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहते और न ऐसे कब्जे को वैधता ही प्रदान करना चाहते हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य और खेद है कि इसके लिये प्रवर समिति में कोई उपाय नहीं किया गया। जब एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि स्पस्टीकरण में ग़ासिबाना क़ब्जे का प्रश्न भी स्पस्ट कर दिया जाय, तो उसको स्वीकार करना तो दूर रहा सरकार और अन्य माननीय सदस्यों ने उस पर पूर्ण रूप से विचार भी नहीं किया। मेरा यह विचार है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में सरकार का ग़ासिबाना कब्जेदारों के प्रति सहानुभूति दिखाना और उन्हें उक्त भूमि पर पूर्ण अधिकार देना सर्वथा अनुचित था, किन्तु मैं यह समझता था कि सन् १३५६ फसली तक ग़ासिबाना क़ब्जेदारों को यह अधिकार दे कर अब सरकार अपने ही हित में इस प्रश्न को सदा के लिऐ समाप्त कर देगी। परन्तु आश्चर्य है कि इस विधेयक में भी सरकार स्पष्ट रूप से यह कहने को तैयार नहीं कि ग़ासिबाना क़ब्जे पर यह विधेयक लागू न होगा।

यद्यापि यह सत्य है कि सरकार ने नया खंड ५ (क) रख कर U. P. Tenancy Act 1939 की धारायें १८० व १८३ के अन्तर्गत ग़ासिबाना क़ब्जे के खिलाफ जो मुक़द्दमे चल रहे हैं, उन्हें इस विधेयक से बाहर रखा है परन्तु मेरे विचार से इतना ही प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। यहां पर सरकार के किसी सिद्धान्त पर वादाविवाद न करते हुये इतना अवश्य कहना पड़ता है कि प्रजातंत्र प्रणाली में व्यक्तिगत अधिकारों का भी कुछ स्थान अवश्य है। प्रजातंत्र में सार्वजनिक हित सर्वोत्तम है परन्तु उसके साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि व्यक्तिगत अधिकारों पर कम से कम कुठाराघात किया जाय। यही कारण है कि उन देशों में जहां प्रजातंत्र प्रणाली की सुदृढ़ स्थापना हो चुकी है और जिनका हम अपने राज्य कार्य संबंधी व्यवस्थाओं में अनुकरण करते हैं वहां सार्वजनिक हित की चिन्ता की प्रधानता होते हुये भी व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कम से कम होने पाता है। यह कौन नहीं स्वीकार करता कि इस देश की भूमि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका खेती पर निर्वाह होता है परन्तु उनके पास अपनी भूमि नहीं। परन्तु जब तक राज्य इसका कोई उचित प्रबन्ध न कर सके, तब तक क्या हमें इन भूमिहीन खेतिहरों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित हो कर ग़ासिबाना क़ब्जे को किसी प्रकार भी प्रोत्साहन देना ठीक होगा? इस प्रकार की सहानुभूति राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित ही नहीं वरन् एक अत्यन्त भयानक परिस्थिति पैदा कर देगी। मेरा यह विचार है कि सरकार स्वयं यह नहीं समझ सकी है, कि आज कल देहाती क्षेत्रों की परिस्थिति और हमारी गिरी हुई राजनैतिकता के वातावरण में यह विधेयक कितना क्रान्तिकारी साबित हो सकता है। अभी ५ ही साल हुये हैं कि हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुये देश पर पूर्ण प्रजातंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। राजनैतिक दलों को भी प्रजातंत्र प्रणाली के पूर्णरूप से व्यवहारिक ज्ञान होने में भी अभी कुछ समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी व्यवस्था जिससे अराजकता पैदा होने की संभावना हो मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है

अन्त में मैं फिर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल ग़ासिबाना क़ब्जे के प्रश्न पर मेरा और बहुमत दल के विचारों में विरोध होने के कारण मैं इस अनुपूरक विधेयक को पूर्णरूप से स्वीकार करने में असमर्थ हूं। परन्तु मेरी अब भी यही आशा है कि जब यह अनुपूरक विधेयक सदन के विचाराधीन होगा, सरकार स्वयं संशोधन लगा कर या इस प्रश्न पर किसी संशोधन को स्वीकार कर मेरे विरोध को पूर्ण सहयोग

में परिवर्तित होना सम्भव करेगी । जब यह विधेयक सदन के सामने विचाराधीन होगा मैं उचित संशोधनों को उपस्थित करने का पूर्ण अधिकार रखते हुये यह विभक्ति टिप्पणी देता हूं ।

सुरेशप्रकाश सिंह, ।

मैं श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी के विचारों से प्रायः सहमत हूं । ट्रेस्पासरों को अधिकार मिल जाना मैं कदापि उचित नहीं समझता ।

रणन्जय सिंह,

यह बात निर्विवाद है कि इस प्रदेश में ऐसे किसानों की एक खास संख्या है जिनका क़ब्ज़ा खेती करने के रूप में आराजियत पर अरसे से चला आ रहा है परन्तु उनका नाम काग़ज़ात पटवारी में काविज के रूप में दर्ज नहीं है । ऐसे लोग जमींदारान की अनुमति से ही अराजियात पर क़ाबिज़ चले आ रहे हैं और उनको बराबर लगान भी अदा करते रहे हैं। ऐसी अराजियात जोतने वाले निम्न श्रेणी के किसान हैं जो अपढ़, ग़रीब और निस्सहाय हैं। इनको लगान की रसीद भी नहीं मिलती । पटवारी के काग़ज़ात में ऐसे किसानों के नाम का इन्द्राज न रहने के कारण कभी कभी उनकी बोई हुई फ़सलें पुलिस की साजिश से १४५ जा० फ़ौजदारी के अन्तर्गत क़ुर्क कर ली जाती है और वे फ़सल के नज़दीक जाने से रोक दिये जाते हैं । कभी कभी ऐसे मुक़द्दमात के फैसले दो दो तीन तीन साल में होते हैं अन्य जमीन न रहने के कारण कृषक भूखों मरने लगता है । कभी कभी तो पुलिस की साजिस के कारण इन कृषकों को अपनी बोई हुई फ़सल को काट कर ले जाने पर धारा ३७९ भारतीय दण्ड विधान का शिकार होना पड़ता है । काग़ज़ात पटवारी में खेती के रूप में क़ाबिज़ व्यक्तियों का इन्दराज न रहने के कारण अदालतें भी उन्हीं का क़ब्ज़ा मानती हैं जिनका इन्दराज हो । फल यह होता है कि कृषक की परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं।

कांग्रेस सरकार ने ७ जुलाई, सन् १९४९ ई० को ज़मींदारी विनाश क़ानून बनाने का कार्यभार अपने हाथ में लिया । ऐक्ट और अधिनियम बनाये गये लेकिन फिर ऐसे किसानों के हक़ों की जो खेती के रूप में जमींनों पर क़ाविज थे परन्तु काग़ज़ात पटवारी में उनका इन्द्राज न था रक्षा न हो सकी । ऐक्ट के अन्दर धारा १६ व २० के अन्तर्गत १३५६ फ़सली के काग़ज़ात में आकुपेंट आफ़ लैंड (Occupant of land) के रूप में जिन कृषकों का नाम दर्ज था उन्हें मौरूसी व अधिवासी किसानों का हक़ दे दिया गया परन्तु अधिकतर कृषकों के काग़ज़ात पटवारी से इन्दराज न रहने के कारण जमींदारान को अच्छा मौक़ा मिला । उन्होंने कृषकों को बेदखल करना शुरू कर दिया यहां तक कि १३५५ फ़सली के क़ाग़ज़ात में जिन कृषकों के नाम थे बहुतों के नाम १३५६ फ़सली में निकाल दिये गये । बेदखली की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और १३५९ फ़सली में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई । अराजकता फैलने का अन्देशा दिखाई देने लगा सरकार को भी ऐसे नियम , उपनियम बनाने पर विचार करने के लिये विवश होना पड़ा । निर्बल और दरिद्र कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया ।

प्रवर समिति में जब इस विधेयक पर विचार आरम्भ हुआ बिल के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया परन्तु बहुमत न रहने के कारण निर्बल कृषकों के अधिकारों की रक्षा जिनका वर्णन उद्देश्य में किया गया है न हो सकी, बल्कि इसके विपरीत उन जमीदारान के हक़ों की रक्षा की गयी जो १३५९ फ़सली में जबरदस्ती कृषकों की भूमि बेदखल कर क़ाबिज़ हो गये थे । इस प्रकार उन किसानों की बेदखली जो १३५९ या १३५८ फ़सली तक जमींनों पर क़ाविज थे क़ानूनी क़रार दी गई । यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८३ के जरिये जो ज़मीन वापस तीन साल के अन्दर मिलती थी उस हक़ से कृषक महरूम कर दिया गया ।यदि किसी कृषक का नाम किसी भूमि पर क़ाबिज़ के रूप में १३५७ या १३५८ फ़सली में दर्ज हो गया तो उसकी मुद्दत एक साल क़रार देकर १८० धारा काश्तकारी क़ानून, १९३९ के अन्तर्गत बेदखली के मुक़द्दमात दाखिल कर दिये गये। इन कृषकों की बेदखली इस विधेयक में धारा '५–अ' बढ़ाकर और भी निश्चित कर दी गई और ऐसे कृषक (trespass) 'जबरदस्ती जोतने वाले करार दिये गये और जो लोग १३५९ फसली में ज़बरदस्ती खेतों पर क़ब्ज़ा कर लिये थे उनका क़ब्ज़ा क़ानूनी क़रार दिया गया।

इस विधेयक की संशोधित धारा ३ में १३५९ फ़सली के मुताल्लिक़ आपस में बहुत मतभेद था—समिति में यह अनुरोध हमारी ओर से किया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनका क़ब्ज़ा खेती के रूप में १३५७ से १३५९ फ़सली तक लगातार हो उस भूमि पर सीरदार घोषित किये जायं और जिन कृषकों का क़ब्ज़ा १३५६ या १३५७ या १३५८ में खेती के रूप में रहा हो और उनके इन्दराज पटवारी के काग़ज़ात में न हो यदि १३५७ या १३५८ या १३५९ फ़सली में जबरदस्ती उस भूमि से बेदखल कर दिये गये हों तो उनकी बेदख़ली गैर कानूनी घोषित की जाय और उनको उस भूमि पर क़ब्ज़ा वापिस दिलाया जाय । परन्तु इस धारा के द्वारा १३५९ फ़सली में जबरदस्ती बेदख़ली करने वालों के हक़ नियमित करार दिये गये और कृषकों को हक़ वापसी १८३ यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, धारा १६ व २० ज० वि० ऐक्ट से भी महरूम किया गया ।

धारा ३ (a) में ज़मींदारी विनाश ऐक्ट की धारा १० के अन्तर्गत जो लोग आते थे उनकी ज़मींनो पर इस विधेयक का प्रभाव लागू न किया गया नतीजा यह हुआ कि जिन जमींदारान ने अपनी सब जमीन अपनी स्त्री और बच्चों के नाम से कर दिया था उस पर क़ाविज़ कृषक अपने हक़ों से महरूम किये गये । यहां तक कि जिन परती और बंजर ज़मीनों को कृषकों ने खुद काटकर काश्त करने योग्य भूमि बनाई थी, स्त्री और बच्चों के नाम पट्टे इत्यादि हो जाने के कारण, उनको भी सीरदारी का हक़ न मिल सका ।

धारा ३ के स्पष्टीकरण में मार्टगेजी इन पजेशन या ठकेदारों का क़ब्ज़ा खेती के रूप में होने पर भी इन्द्राज न होगा । जहां तक उनको अधिकार देने का प्रश्न है उनको कोई हक़ नहीं मिलना चाहिये परन्तु उनके क़ब्ज़े का इन्द्राज होना इसलिये आवश्यक है ताकि कृषक डेट रिडेम्पशन ऐक्ट और एग्रिकलचरल रिलीफ ऐक्ट का फायदा उठा सकें और अपने खेत पटानी कर वापस ले लें क्यों कि ऐसी हालतों में जहां रेहन या ठीकों की रजिस्ट्री नहीं हुई होगी इन्द्राज न रहने से रेहन्दार और ठेकेदार भी काश्तकार बनने लगेंगे जिससे मुक़द्दमा बाजी और बढ़ने का भय रहेगा।

धारा '५ अ'—इस धारा का विरोध किया गया । सन् १३५६ फ़सली में occupant of land (आकुपेन्ट आफ़ लैन्ड) के रूप में जिन कृषकों के नाम से भूमि दर्ज थी बिला किसी मुक़द्दमा का ख्याल किये जो अदालतों में चल रहे थे उनको सीरदार या अधिवासी का हक़ दे दिया गया । परन्तु जब १३५९ फ़सली में क़ाविज़ काश्तकारान को हक़ देने का वक्त आया तो अदालत के विचाराधीन मुक़द्दमात का ख्याल किया गया और खास कर ऐसे मुक़द्दमात का जो उस वक्त दाख़िल किये गये थे जब १८० के मुक़द्दमात Stay (रोके) जा रहे थे । जैसा ऊपर बतलाया गया है अधिकतर मुक़द्दमात उन्हीं लोगों पर दाख़िल किये गये हैं जो बहुत दिनों से जमीनों पर क़ाविज़ थे पर उनका नाम पटवारी के काग़ज़ात में दर्ज न था और किसी तरह दरख्वास्त देने पर एक साल के काग़ज़ात में उनका इन्द्राज हो गया था या जब जमीदारान ने देखा कि कृषक अधिक दिनों से खेत जोत रहा है आसानी से न छोड़ेगा तो पटवारियों से मिल कर एक साल का इन्द्राज करा दिया और १८० का मुक़द्दमा भी दाखिल कर दिया । ऐसी हालत में जब आज जमींदार सरकार हो गयी है ऐसे काश्तकारान की बेदख़ली कराना न्याय संगत नहीं मालूम होता और इस विधेयक को ऐसे मुक़द्दमात पर भी लागू करने चाहिये । कृषकों की भूमि पर १३५९ फ़सली में जो जबरदस्ती क़ाविज़ हैं उनको तो हक़ दिया जाय और उनका क़ब्ज़ा नियमित माना जाय परन्तु ऐसे काश्तकारों का कब्ज़ा जो अधिक दिनों से किसी भूमि पर क़ाविज़ रहें हों और १३५९ फ़सली तक क़ब्ज़ा चला आ रहा हो । उसको हक़ मुकद्दमा दाख़िल होने के कारण न दिया जाय यह ठीक न होगा । जब ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे जबरदस्ती बेदख़ली से क़ब्ज़ा वापसी का हक़ भी ख़त्म हो जाता है तो ऐसी दशा में धारा १८० व १८३ के मुक़द्दमात का जारी रखना न्यायसंगत न होगा।

विकसित सम्पति अधिनियम

जहां तक इस ऐक्ट का प्रश्न है इस ऐक्ट के लागू होने के दिन बहुत से ऐसे कृषक थे जो उक्त भूमि पर बहुत पहले से खेती के रूप में क़ाविज़ थे परन्तु उनका नाम काग़ज़ात पटवारी में दर्ज न थे केवल (Evacuee property) इवैक्यूवी प्रापर्टी (declare) घोषित हो जाने के कारण उन कृषकों को हक़ न देना न्यायसंगत नहीं मालूम होता ।

उपरोक्त बातों को देखते हुये यह प्रत्यक्ष है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण की पूर्ति किसी दशा में नहीं होती अतः उपरोक्त विमत टिप्पणियां उपस्थित की जा रही हैं।

कमला सिंह,
गेंदा सिंह,
रामसुन्दर पाण्डेय।

संसद भवन पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों की अनुपूर्ति करने के लिये;

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहां आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था [अनुपूरक] (विधेयक) अधिनियम, १९५२" कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जहां १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का प्रसार समय विशेष पर हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (क) से खंड (च) तक में उल्लिखित क्षेत्रों में वह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(क) किसी क्षेत्र के संबंध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन उक्त क्षेत्र के निहित होने के दिनांक (date of vesting) से है।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(ख) "भूमि" (land) का तात्पर्य बाग भूमि (grove land) से भिन्न ऐसी भूमि से है जिसका १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १८ या १९ के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर या सीरदार बन गया हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१।
यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९।
उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

(ग) उन शब्दों और पदों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है और जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था-अधिनियम में प्राप्त हुये हों, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों में उनका हो।

[३––प्रत्येक व्यक्ति जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २० के अधीन किसी भूमि का अधिवासी न हुआ हो किन्तु १३५९ फ़सली में उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ब्जा रहा हो, उक्त भूमि का निश्चित दिनांक से अधिवासी होगा और एतद् द्वारा अधिवासी प्रख्यापित किया जाता है और उसको उक्त अधिनियम के अधीन अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त हो जायंगे एवं अधिवासी पर लगाये गये सभी दायित्व उस पर होंगे।

१३५९ फ़स्ली से खेती करने के रूप में काबिज व्यक्तियों का अधिवासी होना।

स्पष्टीकरण:––यदि कोई व्यक्ति सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार के नौकर के रूप में या खेती के काम में साझीदार के रूप में उक्त भूमि पर खेती करता रहा हो तो उसके विषय में यह न समझा जायगा कि उसका उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ब्जा है ।]

३––प्रत्येक व्यक्ति , जो १३५९ फ़सली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में क़ाबिज़ हो किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १८ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार , अधिवासी या असामी हो गया हो,

(क) यदि उक्त भूमि का भूमिधर या सीरदार, अथवा जहां उक्त भूमि संयुक्त रूप से दो या अधिक भूमिधरों या सीरदारों की हो और उनमें से सब निश्चित दिनांक पर उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के मद (१) से (६) में अभिदिष्ट व्यक्ति हो, तो वह वर्षानुवर्ष (from year to year) का असामी, अथवा

(ख) यदि उक्त भूमिधर या सीरदार युक्त प्रकार का व्यक्ति न हो तो अधिवासी

निश्चित दिनांक से होगा और एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है; और वह यथास्थिति उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा असामी या अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उन पर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे।

स्पष्टीकरण––यदि कोई व्यक्ति उस भूमि पर भोगबन्धकी (मार्टगेज विथ पजेशन) या ठेकेदार के रूप में खेती करता हो अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में , सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार अधिवासी या असामी की केवल सहायता करता हो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो, तो उसके संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ाबिज़ है ।

अधिकार अभिलेख का संशोधन करने के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति ।

४––(१) इस बात को निश्चित करने के लिये कि धारा ३ में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर खेती करने के रूप में १३५९ फ़स्ली में क़ब्जा था [या नही,] राज्य सरकार इस अधिनियम के आरम्भ हो जाने के बाद यथाशीघ्र किसी क्षेत्र में अधिकार अभिलेख (Record of Rights) में संशोधन के लिये अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो पद द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट क लेक्टर से कम का न हो।

(२) उक्त अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थानीय जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, १३५९ फ़सली के अधिकार अभिलेख में [ऐसे] उक्त प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर [१३५९ फ़सली में] क़ाबिज़ (Occupant) के रूप में दर्ज कर दे, चाहे किसी विधि में इसके विपरीत कोई बात हो।

धारा ४ के अधीन अधिकार अभिलेख के विषय में परिकल्पना।

[५—धारा ४ के अनुसार अधिकार अभिलेख में किये गये इन्दराज के विषय में यह परिकल्पना की जायगी कि जब तक वह अन्यथा प्रमाणित न हो, सही है।]

५—धारा ४ के अधीन अधिकार-अभिलेख में किया गया इन्दराज सही समझा जायगा जब तक कि उसका विरोध करने वाला पक्ष (party) उसे ग़लत न प्रमाणित कर दे।

५-क—इस अधिनियम में कही गयी कोई बात ऐसी भूमि के संबंध में लागू नहीं होगी,

(क) जिसके विषय में,

(१) यू० पी० टेनेंसी एक्ट, १९३९ की धारा १८० या १८३ अधीन कोई वाद या उक्त वाद में दी गयी डिक्री के विरुद्ध कोई अपील या अन्य व्यवहार ३० जून, १९५२ को किसी माल या दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहा हो, अथवा

(२) उक्त दिनांक को या उससे पहले दखल की डिक्री दी गयी हो, और वह अन्तिम हो चुकी हो, अथवा

(३) कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ५२२ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दखल की वापसी की आज्ञा दी गयी हो,

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले, विवासित सम्पत्ति (evacuee property) के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विधि (law) के अधीन और अनुसार विवासित सम्पत्ति (evacuee property) प्रख्यापित हो या हो चुकी हो।

नियम बनाने का अधिकार।

धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन जांच करने की रीति और उसमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं इस अधिनियम के उपबन्धों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था के निमित्त, राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदारों के खातों की भूमि में खेती करने के रूप में क़ाबिज़ बहुत से व्यक्ति भूमि से ज़बरदस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण है कि इनमें बहुत से व्यक्तियों को खातेदारों ने अपनी भूमि पर क़ब्ज़ा दिया था। उक्त व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उस भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८८ एल० ए०—१९५२—८५०